

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937

No. 278]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2015

सा.का.नि. 349(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3, धारा 4, धारा 5 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 6, धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख), धारा 12 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) तथा धारा 13 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के परन्तुक, धारा 14 की उपधारा (2), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- ा (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2015 है।
  - (2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में -
  - (क) नियम 5 का लोप किया जाएगा।

- (ख) नियम 6 में उपनियम (1) में "पचास लाख रुपए से अधिक हो या संगत अविक दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार" पद के स्थान पर "पचास लाख रुपए और उससे और संगत अविध के दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार" शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) नियम 7 के उपनियम (1) में "समादत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए या उससे या जिसका वार्षिक औसत कारोबार, संगत अविध के दौरान" पद के स्थान पर "समादत्त पूंजी पचास लाख रुपए या उससे कम हो और वार्षिक औसत कारोबार, संगत अविध के दौरान शब्द रखे जाएंगे;
- (घ) नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

"7क शास्ति. यदि कोई एकल व्यक्ति कंपनी या ऐसी कंपनी का कोई अधिकारी इन निर्मं के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो ऐसी एकल व्यक्ति कंपनी या ऐसी कंपनी का अधिकारी जुर्माने के साथ दंड का पात्र होगा जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है और उल्लंघन के जारी रहने के लिए प्रथम अपराध के दिन से प्रतिदिन पांच सौ रुपए तक और जुर्माना लगाया जा सकता है"।

- (ड) नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (ख) के उपखंड (xi) के परंतुक में "अधिनियम धारा 248 के अंतर्गत" शब्दों और अंकों के के पश्चात् "या कंपनी अधिनियम, 1956 (18) का 1) की धारा 560 के अंतर्गत" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (च) नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (थ) के स्थान पर निम्नितिखित रखा जाएगा क्रिंक (थ) प्रवर्तक या प्रथम निदेशक का स्वप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर और नवीनतम फोटों किर्धारित प्ररूप संख्या आई.एन.सी.-10 में होगा"।
- (छ) नियम 35 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "36. निगमन के लिए एकीकृत प्रक्रिया (1) कंपनी के निगमन के लिए प्ररूप भरती सरलीकरण के प्रयोजन के लिए इस नियम के उपबंध एकीकृत प्रक्रिया के संबंध में 1 1 2015 से लागू होंगे।
- (2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, एकीकृत प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ तीन निदेशक निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन के लिए, नाम का आरक्षण, कंपनी के निक्र और प्रस्तावित कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवंदन कंपनी (रिजिस्ट्रीक कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट रिजिस्ट्रीकरण फीस के साथ दो हैं।

रुपए के साथ कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थान के क्षेत्राधिकार वाले रजिस्ट्रार के पास एकीकृत प्ररूप संख्या आईएनसी-29 (एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और उत्पादक कंपनी के लिए) के माध्यम से किया जाएगा।

- (3) एकीकृत निगमन प्ररूप फाइल करने के प्रयोजनों के लिए अधिकतम तीन निदेशकों की विशिष्टियां आईएनसी-29 में फाइल किए जाएँगे और यदि प्रस्तावित निदेशकों के पास अनुमोदित डीआईएन नहीं है तो आईएनसी-29 में अधिकतम तीन प्रस्तावित निदेशकों को डीआईएन के आवटन की अनुजा होगी।
- (4) प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या आवेदक (आवेदकों) को ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-29 में मात्र एक नाम का प्रस्ताव करने की अनुजा होगी।
- (5) प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या आवेदक आईएनसी-30 में दिए नमूने के अनुसार संगम-जापन तैयार कर सकते हैं और संगम-जापन और संगम अनुच्छेद तैयार करने के लिए नियम 13 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप आईएनसी-31 में संगम अनुच्छेद के नमूने का विकल्प चुन सकते हैं।
- (6) प्रवर्तक या आवेदक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और पठनीय रूप से स्कैन किए गए प्ररूपों में संगम-जापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर और साक्षी करेगा और संगम-जापन और संगम अनुच्छेद तैयार करने के लिए नियम 13 के उपबंधों के अनुसार ई-प्ररूप आईएनसी-29 में संलग्न करेगा।
- (7) प्ररूप आईएन्सी-29 में निगमन के लिए एकीकृत आवेदन फाइल करने की सुविधा इन नियमों में यथाउपबंधित अनुसार निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंदन, नाम आरक्षण और कंपनी के निगमन के लिए अलग आवेदनों की प्रक्रिया के विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी।
- (8) इस नियमों में उपबंधित अनुसार, निगमन के लिए एकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करते हुए कोई आवेदन फाइल करने के लिए अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के उपखंड (i) और इन नियमों के नियम 9 के उपबंध लागू नहीं होंगे।
- (9) इस नियम के उपबंधों का उपयोग करने वाली कोई कंपनी ई-प्ररूप आईएनसी-29 फाइल करके अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन उसके रिजस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन उपलब्ध कराने का विकल्प चुन सकती है, और ऐसे मामले में कंपनी (ऐसे ई-प्ररूप आईएनसी-29 के साथ) नियम 25 के उपनियम 2 में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज संलग्न कर सकती है।

- (10) ई-प्ररूप आईएनसी-22 को फाइल करन की अपेक्षा समाप्त कर दी जाए**नी** बे प्रस्तावित कंपनी दिए हुए पत्राचार पते पर उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखती है।
- (11) कंपनी के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के क्षेत्राधिकार वाला रजिस्ट्रार पहन संख्या के आवंटन के लिए आवंदन (आवंदनों) सहित आईएनसी-29 पर प्रक्रिया करेगा।
- (12)(क) जहां रजिस्ट्रार, ई-प्ररूप आईएनसी-29 की जांच पर, और अधिक सूचना संस्था आवश्यक समझता है या किसी संबंध में ऐसे आवेदन या दस्तावेज को त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पा है तो वह वहां आवेदक को त्रुटि का समाधान करने की सूचना देगा और रजिस्ट्रार द्वारा है गई ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ई-प्ररूप पुन: जमा करने के लिए कहेगा।
- (ख) दस्तावेज पुन: जमा किए जाने के पश्चात् भी यदि रजिस्ट्रार किसी मामले में दस्तावेज को त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाता है तो वह ऐसी त्रुटियों या कमियो को दूर करने के लिए पंद्रह का एक और अवसर प्रदान करेगा।
- (ग) यदि रजिस्ट्रार ऐसी दो अवसर देने के बाद भी किन्ही मामलों में दस्तावेज बुटिपूर्ण अ अपूर्ण पाता है तो प्रस्तावित ई-कंपनी का ई-प्ररूप आईएनसी-29 अस्वीकार कर दिया जायकाः।
- (13) रजिस्ट्रार द्वारा निगमन सबूत-पत्र प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में जारी किया जापना
- (ज) उपाबंध में, प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में "और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के किस 8" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के किस 18" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएँगे।
- (झ) उपाबंध में,-
- (क) प्ररूप संख्या आईएनसी-7, आईएनसी-10, आईएनसी-11, आईएनसी-22 के लिए स्वासी निम्निसिखित 22 रखे जाएंगे, अर्थात् -

# प्ररूप सं. आई. एन. सी. 7

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) तथा कंपनी ( निगमन) नियम, 2014 के नियम 10, 12, 14 एवं 15 के अनुसरण में]



# कंपनी (एकल व्यक्ति वाली कंपनी से भिन्न) के निगमन के लिए प्ररूप

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 फिल्टी

	लिए अनुदेश किट पढ़ें।	
. * प्ररू	र आई. एन. सी.1 का सेवा अनुरोध संख्या ( एस. आर एन. )	Garage Garage
. ( <b>क</b> ) ব	पनी का माम	
(ম্ব) ক	ानी का प्रकार (ग) केंपनी की श्रेणी	
(ঘ) স	वर्ग (इ.) उप उपवर्ग	
धारा 8 अ	नुत्रप्ति संख्या	
: कंपनी	o शेयर पूंजी वाली है o बिना शेयर पूंजी वाली है।	
<u>(क) र</u>	ज्य / सघ राज्यक्षेत्र का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है।	
Ì		
(ख) कंप	नी रजिस्टार के कार्यालय का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्टीकत किया जाना है।	
(a <u>t</u> ) *	क्या पत्राचार के लिए पता कंपनी के रिजेस्ट्रीकृत कार्यालय का पता होगा।	أبيب
	्र o नहीं	
	का रिजिस्ट्रीकृत कार्यांसय स्थापित होने की तारीख तक पश्चचार के लिए पता	
* पक्ति	1	
٠		
पंक्ति I		
*. लगर		
* राज्य	/ संघ राज्यक्षेत्र	

The Control of the Co
· 10 (4) · (20, 20, 2) ·
प्रति साधारण अश सांकेतिक राशि साधारण अंश की कुल राशि
art Alleria 24 Alleria Alla
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
अधिकान अंग की कुल राशि (रूमें)
( ) असे असे कार में <b>संख्या की प्रविष्टि करें</b>
ि उन्हें भी भी को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या
process and the second
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ं ंत कर्नवर्ध (कर्मचारियाँ) को छोड़कर सदस्यों की संख्या
ं े अद्योगित के अनुष्य प्रभाग
the Afficial Control of the Af
ļ
A STATE OF THE STA
ा १८ १८ विश्व विश्वी अस्तिय दिस्त श्रेया अधिनियम,1934 की धारा 45 - <b>झ के अर्थ के भीतर कोई गैर बैंककारी वित्तीय एवं</b>
ें . जा एक वह विकास क्रेडिंश <b>७ हों ० नहीं</b>
ं 🔻 🧓 ्रिश्च की एविभिन्न कर विस्तवन आस्तीय दिन्तर्व बैंक या अन्य संबंधित विभियासक प्राधिकारी द्वास इसे
the total an electric an electric data and an are distinct telescoper and and the first after
1940 1 (PAN ASSE) 1980 AND 801
·
ल १८ १ १८ १८ १८ १८ अधिहासक ) की संस्था की प्रतिकित करें
lunion de la companya del companya de la companya del companya de la companya de
रात्ता राज्यात् के प्रकार अभियास ) की <b>विशिष्टिया</b>
िर्धात वस्त्रवाह वहात । क्षेत्र ) का आव-कार स्था <mark>यी लेखा सख्या</mark>
. १५ लर १११ ) रू १५२६ १६ १६६१६ वर भारपोरेट पहचान संख्या (सिन)
पूर्व - पूरित इयौरे सत्यापित कर्र
रह १९ इ.सी तीनहादेकाण संख्या <b>( ६क सी आर एन. ) या काई</b>
The Control of the Market
Control of the Contro
† \

\* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

निदेशक प्रवर्तक सी. आई. एन
कंपनी का नाम
निदेशक प्रवर्तक सी. आई. एन
कंपनी का नाम
<ul> <li>प्रतिश्रुत शेयरों की संख्या</li> <li>प्रतिश्रुत शेयरों की कुल राशि ( रु. में )</li> </ul>
• प्राधिकृत व्यक्तियों की विशिष्टियां
(क) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
(ख) O पिता का नाम O माता का नाम O पित / पत्नी का नाम
(ग) लिंग a पुरुष a महिला a उभयलिंग
(घ) राष्ट्रीकता (घ) जन्म की तारीख
(इ.) फोन ( एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )
(च) ई- मेल आई. ही.
B. (क) * क्या अनुच्छेद की छँटनी की मई है या नहीं □ नहीं □ नहीं □ वहीं
(ख) अनुच्छेदों की संख्या जिनमें छँटनी के उपबंध लागू होंगे
अनुच्छेद के ब्यॉर जिनपर छँटनी के उपबंध लागू होंगे
क्र. सं. अनुच्छेद्र सं विषय वस्तु
9. स्टांप इयूटी के संदाय की विशिष्टियां
(क) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जिसका बाबत स्टांप इयूटी संदत्त किया(पूर्व पूरित)
(ख) क्या स्टांप इयूटी एम. सी. ए. 21 प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त किया जाना।

- 4	<del>-</del> -	<del>- 3</del>	_	लाग्	-44
ा हो	ם ו	লহা		ભાગ	नहा

(i) संदत्त किए जाने वाले स्टांप इयुटी का	(i)	संदत्त	किए	जाने	वाले	स्टांप	डयटी	का	ब्यौर
--	-----	--------	-----	------	------	--------	------	----	-------

दम्तावेज ।की विशिष्टियां	प्ररूप	आई.	एन.	सी.	7	संगम जापम	संगम अनुच्छेद
संदत्त किए जाने वाले स्टांप इयूटी की राशि (रू. में)							

(ii) पहले संदत्त किए जाने वाले स्टांप इयूटी का ब्यौरा दें

इस्तावेज / विकरणियों का प्रकार	प्ररूप आईएमसी 7	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद	अन्य
सदत्त स्टांप इय्टी की कुल राशि ( रू. में )				
न्टाप इयूटी के संदाय की पद्धति				
वेंहर या खजाने या प्राधिकारी का नाम जो स्टांप इयूटी संग्रह करने या स्टांप पेपर की बिक्की करने या दस्तावेजों को उत्कीर्ण करने या सरकार की ओर से स्टांप वाउचर को संवितरित करने के लिए प्राधिकृत हैं				
त्कीर्ण या स्टांप या स्टांप पेपर की क्रम संख्या या खजाना लान संख्या				
डर की रजिस्ट्रीकरण संख्या				
टोप या स्टांप पेपर की बिक्रीत या स्टांप इय्टी के संदाय की	,			
टांप या स्टांप पेपर <b>की बिक्रीत या स्टांप इयूटी के संदाय का</b> थाज	<del></del> ·	-		

10. स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर कटौती खाता संख्या (टैन) आवेदन हेतु अतिरिक्त सूचना

पैन विशिष्ट सूचना

क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	ेरंज कोड	एओ सं.			

टैन विशिष्ट सूचना

आव का स्रोत  □ व्यापार/वृत्ति से आय  □ पूंजी अभिअभिसाम  □ मृह संपत्ति से आव
□ व्यापार/वृत्ति से आय □ पूंजी अभिअभिसाम
□ व्यापार/वृत्ति से आय □ पूंजी अभिअभिसाम
🛘 पूंजी अभिअभिसाम
•
🛘 मृह सपाल्त स आब
<ul> <li>अन्य स्रोतों से आय</li> </ul>
🗆 कोई आय नहीं
व्यापारव/वृत्ति कोड
<ol> <li>कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत नियोक्ता रिजस्ट्रीकरण के सिए अतिरिक्त सूचना</li> </ol>
अंकाई का प्रपार o कारखाना o स्थापन
क्रिप जा रहे कार्य/व्यापार की वास्तविक प्रकृति
अपेव आक्रा
To the state of th
कार्य उप श्रेणी
श्रॅप झज्ज ◆ यह सूचना पैन और/या टैन का आवेदन करने के इध्युक आवेदकों के मामने में वह सूचना कंपनी के अनव दिया जाना अज्ञापक रूप से अपेक्षित हैं। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अ
• यह स्चना पैन औरांया टैन का आवेदन करने के इध्युक आवेदकों के मामसे में यह सूचना कंपनी के
हॉप झजन ◆◆ यह सूचना पैन औरांया टैन का आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के मामसे में यह सूचना कंपनी के अनव दिया जाना अज्ञापक रूप से अपेक्षित हैं। यह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के आ \$-विज पोर्टस पर उपसम्ध हैं।
#प झजन ● यह स्थना पैन और/या टैन का आवेदन करने के इंध्कुक आवेदकों के मामसे में वह स्थना कंपनी के भ्रमच दिया जाना अज्ञापक रूप से अपेक्षित है। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के आ \$-विज पोर्टस पर उपसम्ध है। संसम्बक
<ul> <li>मिंप झड़न</li> <li>मह सूचना पैन औरांया टैन का आवेदन करने के इंध्युक आवेदकों के मामसे में वह सूचना कंपनी के संमय दिया जाना अज्ञापक रूप से अपेक्षित है। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के आई-विज पोर्टस पर उपसम्ध है। संस्तरनक</li> <li>1) * संगम जापन</li> </ul>
<ul> <li>मेंच झड़न</li> <li>मेंच औरांचा टैन का आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के मामसे में यह सूचना कंपनी के अनिव दिया जाना अशापक रूप से अपेक्षित है। यह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अर्थे कि पोर्टस पर उपसम्ध है। संसम्बक</li> <li>1) * संगम जापन</li> <li>2) * संगम अनुच्छेद</li> </ul>
<ul> <li>मैंप झड़न</li> <li>मह सूचना पैन औरांया टैन का आवेदन करने के इंध्युक आवेदकों के मामसे में वह सूचना कंपनी के झन्म दिया जाना अज्ञापक रूप से अपेक्षित है। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के झाई-विज पोर्टस पर उपसम्ध है। संस्थानक</li> <li>1) * संगम जापन</li> <li>2) * संगम अनुष्ठेद</li> <li>3) * प्रस्प सं. आई. एन. सी. 8 में घोषणा</li> </ul>
<ul> <li>में बडन</li> <li>में बह सूचना पैन औरांचा टैन का आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के मामसे में यह सूचना कंपनी के अनिव दिया जाना अशापक रूप से अपेक्षित है। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अधित पोर्टस पर उपसम्ध है। संसम्बक</li> <li>1) * संगम जापन</li> <li>2) * संगम अनुच्छेद</li> <li>3) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 8 में घोषणा</li> <li>4) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 9 में जापन के प्रत्येक अभिदाता का शपथ पत्र</li> </ul>
•• यह स्चना पैन और/या टैन का आवेदन करने के इंग्लुक आवेदकों के मामसे में वह स्चना कंपनी के अनिन दिया जाना अज्ञापक रूप से अपेक्षित हैं। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अपेक्षित हैं। वह सुविधा ई-विज पोर्टस पर उपसम्ध हैं। संसम्मक  1) * संगम जापन 2) * संगम अनुग्छेद 3) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 8 में घोषणा 4) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 9 में जापन के प्रत्येक अभिदाता का सपथ पत्र 5) * आवासीय पता का सबूत 6) प्ररूप सं. आई. एन. सी. 10 में नमूना हस्ताक्षर 7) पहचान का सबूत
•• यह सूचना पैन और/या टैन का आवेदन करने के इंप्लुक आवेदकों के मामसे में यह सूचना कंपनी के अलग दिया जाना अमापक रूप से अपेक्षित हैं। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अर्थन्तिज पोर्टस पर उपसन्ध हैं। संसम्म जापन  1) * संगम अनुष्ठेद  3) * प्ररूप संज्या आई. एन. सी. 8 में घोषणा  4) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 9 में जापन के प्रत्येक अमिदाता का सपथ पत्र  5) * आवासीय पता का सब्त  6) प्ररूप सं. आई. एन. सी. 10 में नमूना हस्ताक्षर  7) पहचान का सब्त  8) छँटनी किए गए संगम अनुष्ठेद
• यह सूचना पैन औरांचा टैन का आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के मामसे में वह सूचना कंपनी के आभव दिया जाना अज्ञापक रूप से अपेक्षित हैं। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के आक्रिया पीर्टस पर उपसन्ध हैं। संसन्तक  1) * संगम जापन 2) * संगम अनुच्छेद 3) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 8 में घोषणा 4) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 9 में जापन के प्रत्येक अमिदाता का सपथ पत्र 5) * आवासीय पता का सब्त 6) प्ररूप सं. आई. एन. सी. 10 में नम्ना हस्ताक्षर 7) पहचान का सब्त 8) छॅटनी किए गए संगम अनुच्छेद 9) भारतीय रिजर्य बैंक या किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सैद्वांतिक अनुमोदन की प्रति
■ यह सूचना पैन और/या टैन का आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के मामसे में वह सूचना कंपनी के अलग दिया जाना अज्ञापक रूप से अपेक्षित हैं। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के आ कि पोर्टस पर उपसम्ध हैं। संसन्नक  1) * संगम जापन 2) * संगम अनुष्ठेद 3) * प्ररूप सं आई. एन. सी. 8 में घोषणा 4) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 9 में जापन के प्रत्येक अमिदाता का शपथ पत्र 5) * आवासीय पता का सबूत 6) प्ररूप सं. आई. एन. सी. 10 में नमूना हस्ताक्षर 7) पहचान का सबूत 8) छैंटनी किए गए संगम अनुष्ठेद 9) भारतीय रिजर्य बैंक या किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रति 10) प्रवर्तकों (संगम जापन के प्रथम अमिदाता) में परिवर्तन की दशा में अनापत्रित सबूत पत्र
• यह स्थना पैन औरांया टैन का आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के मामसे में वह स्थना कंपनी के अभव दिया जाना अजापक रूप से अपेक्षित हैं। यह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अपेक्षित हैं। यह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अपेक्षित पर उपसन्ध हैं। संसन्नक  1) * संगम अनुष्ठेद 3) * प्रस्प सं आई. एन. सी. 8 में घोषणा 4) * प्रस्प संख्या आई. एन. सी. 9 में जापन के प्रत्येक अमिदाता का शपथ पत्र 5) * आवासीय पता का सब्त 6) प्रस्प सं आई. एन. सी. 10 में नमूना हस्ताक्षर 7) पहचान का सब्त 8) छँदनी किए गए संगम अनुष्ठेद 9) भारतीय रिजर्व बँक या किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सैद्रांतिक अनुमोदन की प्रति 10) प्रवर्तकों (संगम जापन के प्रथम अमिदाता) में परिवर्तन की दशा में अनापत्ति सब्त पत्र
• यह स्थाना पैन और/या टैन का आवेदन करने के इण्डुक आवेदकों के मामसे में वह स्थाना कंपनी के अभव दिया जाना अजापक रूप से अपेक्षित हैं। वह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अपेक्षित हैं। वह सुविधा ई-विज पोर्टस प्र उपसम्य हैं। संसम्मक  1) * संगम जापन 2) * संगम अनुच्छेद 3) * प्ररूप संज्या आई. एन. सी. 8 में घोषणा 4) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 9 में जापन के प्रत्येक अभिदाता का सपथ पत्र 5) * आवासीय पता का सब्त 6) प्ररूप सं आई. एन. सी. 10 में नमूना हस्ताक्षर 7) पहचान का सब्त 8) छॅटनी किए गए संगम अनुच्छेद 9) भारतीय रिजर्य बँक या किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रति 10) प्रवर्तकों (संगम जापन के प्रथम अभिदाता) में परिवर्तन की दशा में अनापत्ति सब्त पत्र 11) राष्ट्रीयकता सब्त (यदि अभिदाता कोई विदेशी राष्ट्रिक है) 12) पैन कार्ड (भारतीय राष्ट्रिक की दशा में)
• यह स्थना पैन औरांया टैन का आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के मामसे में वह स्थना कंपनी के अभव दिया जाना अजापक रूप से अपेक्षित हैं। यह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अपेक्षित हैं। यह सुविधा ई-विज पोर्टस द्वारा निर्धारित असग प्रक्रिया के अपेक्षित पर उपसन्ध हैं। संसन्नक  1) * संगम अनुष्ठेद 3) * प्रस्प सं आई. एन. सी. 8 में घोषणा 4) * प्रस्प संख्या आई. एन. सी. 9 में जापन के प्रत्येक अमिदाता का शपथ पत्र 5) * आवासीय पता का सब्त 6) प्रस्प सं आई. एन. सी. 10 में नमूना हस्ताक्षर 7) पहचान का सब्त 8) छँदनी किए गए संगम अनुष्ठेद 9) भारतीय रिजर्व बँक या किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सैद्रांतिक अनुमोदन की प्रति 10) प्रवर्तकों (संगम जापन के प्रथम अमिदाता) में परिवर्तन की दशा में अनापत्ति सब्त पत्र

#### घोषणा

I * मैं के रूप में अनुच्छेद में नामित व्यक्ति घोषणा करता है
िक कंपनी के रजिस्ट्रीकरण और उससे पूर्वांगी या अनुषंगी विषयों की बाबत कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी
अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने एवं इसे प्रस्तुत करने के लिए संगम जापन एव
सगम अनुच्छेद में अभिदाय करने वाले अन्य प्रवर्तकों तथा पहले निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा एवं सत्यापित किया जात
है कि :
<ol> <li>जब कभी इस प्ररूप और उसके संलग्नकों में जो भी कथन है वह सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए महत्यूर्ण सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है तथा संगम भापन एवं संगम अनुच्छेद में अभिदान करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।</li> <li>मैंने इस प्ररूप के सभी संलग्नक देख लिए हैं और उन्हें सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और सुपाठ्य के रूप में</li> </ol>
सत्यापित किया है।
3. जिसकी सदस्यता संख्या और/या व्यवसाय सबूत पत्र संख्या है, को धारा 7 (1) (ख) के अधीन घोषणा करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा ऐसी घोषणा संलग्न है।
4. मैं आवेदक, की हैसियत में यह घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सूचना और
विश्वास के अनुसार सही है।
*अंकीय हस्ताक्षर किया जाए डी. एस. सी. बॉक्स
* पदनाम
* निदेशक पहचान संख्या
लिद्राय मृत्याच मञ्जा ६ कार्या ।
टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपवंधों की और ध्यान आकृष्ट करावा जाता है जिसमें अन्य बार्तो के साथ – साथ वह उपवंध किया
गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही वा निथ्या विवरणियों प्रस्तुत करने वा किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के
अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 और 449 के उपबंधों की और भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: मिथ्या
कथन एवं मिथ्या साक्ष्य के निए दंड का उपबंध किया नया है।
उपातरित करें प्ररूप की आँच करें संवीक्षा पूर्व प्रस्तृत करें
केवल कार्यालय के उपयोग के लिए
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या ( एस. आर. एन. ) ई-प्ररूप प्रस्तुत करने की तासख ( दिन/मास/वर्ष )
यह ई-प्ररूप एतद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत
यह ई-प्ररूप एतद् द्वारा अस्वीकृतं
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकीय हस्ताक्षर जमा करने की पुष्टि करें
हस्ताक्षर की तारीख ( दिन/मास/वर्ष )

### प्ररूप सं. आई एन सी-10

### अभिदाताओं के हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए प्ररूप

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 16(1)(थ) के अनुसरण में]

4' x 4' आकार (पासपोर्ट आकार)

1.	अभिदाता/प्रथम	निदेशक	का	नाम,	पिता	का	नाम	और	पताः
----	---------------	--------	----	------	------	----	-----	----	------

(i)	
(ii)	

2. दो नमूनों के हस्ताक्षरः

अनुप्रमाणित

(पता के साथ स्व-अनुप्रमाणित किया आध्

#### टिप्पणः

- 1. उपरोक्त बिन्दु संख्या में, जो लागू न हो उसे हटा दें।
- 2. सांक्ष्याकन करने वाला व्यक्ति अपना नाम, पता और पहचान पत्र संख्या दर्शाएं

। ई म्फ्रफ्र 🎋

### ो स्टिम्ब्य्येसः से करूर

### निगमन का सब्त-पत्र

र्मि एएसहैस् कं 81 मध्नी कं 410	. <mark>र. मध्यति (त्तमात्ति) क्रियम, १</mark>
प्रींस (ऽ) ग्राधमट कि √ ग्राध कि	हराउद्य अधिनियम, 2013

प्रक्षात्म्म र्स सं	ा		<b>\$</b>	yws (5		
			***************************************	ģ ±	ग्र <del>हेस्स्</del> री क	e <mark>∳®bo</mark> res.
	कि (मान कं ६१०ऽ ,मफ्नि ।ईं इर्जानास्टर्	श्री६ किएम्क		<del>16</del>	<b>3</b> 5	meg 🟗

ग़रुमिति किम्प्क

(মন্য)

## प्ररूप संख्या आईएनसी 22

[कल्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(2) एवं (4) और कल्पनी (निगमन) नियम, 2014 के विकास 25 और नियम 27 के अनुसरण में]



रजिस्ट्रीकृत कार्याक्षय की स्थिति अथवा स्थिति के परिवर्तन की नोटिस

चम 25 और निवम 27 के अनुसरण में]
कम की भाषा ० अंग्रेजी ० हिन्दी
रूप को अरगे हेतु निर्देश किट देखें
1. *यह प्ररूप o नई कम्पनी o विद्यमान कम्पनी के लिए हैं
*(क) कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)     अथवा प्ररूप संख्या आईएनसी 1 का एसआरएन     (ख) कम्पनी की वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन)
3. (क) कम्पनी का नाम
(ख) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
(m) second to the many of the control of the contro
(ग) कम्पनी के विद्यमान रजिस्ट्रार (आरओसी) के कार्यालय का नाम
(घ) *प्ररूप का प्रयोजन
)   नगर, शहर अथवा ग्राम की स्थानीय रेंज के भीतर परिवर्तन
🕒 नगर, शहर अथवा गाँव की स्थानीय रेंज के बाहर परिवर्तन, उसी आरओसी और राज्य के भीतर
🗆 उसी राज्य के भीतर आरओसी में परिवर्तन
🗇 उसी आरओसी के अधिकारिता के भीतर राज्य में परिवर्तन
🗇 वर्तमान आरओसी के अधिकारिता के बाहर राज्य में परिवर्तन
4. एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि
*(क) (दिन/मास/वर्ष) से कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता है-
O कम्पनी के निगमन की तारीख है
•पता पंक्ति।
पंक्ति॥
+ नगर
* जिला
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
देश
*पिन कोड
*दूरभाष संख्या (आईएसडी कोड के साथ)
* ई-मेल आईडी
" 5-40 JII55I

खः रजिस्ट्रीकृत कार्यालय	
िकम्पनी के स्वामितव में है o निदेशक के स्वामितव में <b>है (कम्प</b> नी द्व	गरा पट्टे पर नहीं लिया गया है)
ं कम्पनी द्वारा पट्टे पर लिया गया है o किसी अन्य निकाय/व्यक्ति के स्व	वामित्व में है (कम्पनी द्वारा पट्टे प
स्या है)	
म) * प्रस्तावित आरओसी अथवा नए आरओसी के कार्यालय का नाम	
	*
(घ) पुलिस थाने का प्रा पता जिसके क्षेत्राधिकार में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित	₹
'नाम' <u> </u>	
*पता पंक्ति ।	
पता पंक्ति ।:	
• सगर	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	}
	•
*पिन कोड	
(इ) *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता बताने वाले उपयोगिता सेवा बिल की विशिष्टि	टेयां —
(दो मास से पहले का न हो)	
(क) *प्ररूप एमजीदी 14 का एसआरएन	
(ख) *संबंधित प्ररूप का का एसआरएन	
(ग) *केंद्रीय सरकार के आदेश की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)
क	संलग्नकों की सूची
.) *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता का सबूत (वाहन/ पट्टा	
संसग्नक	
करार/ किराया रसीद सहित किराया करार) आदि.;	
?) *उपर उत्लेखानुसार उपयोगिता बिलों की प्रतियाँ	
संतर्गक	
(दो मास से पहले का न हो);	
) * यह कि कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के रूप में पता का	
, , ,	<b> </b>
उपयोग करने के लिए कम्पनी को अनुज्ञा देने संबंधी सबूत <b>सलग्नक</b>	
· ·	
पत्र यदि इसका स्वामित्व किसी अन्य निकाय/व्यक्ति के	
* (	
पास है (कम्पनी द्वारा पड़े पर नहीं लिया गया है);	
) *सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति;	
y Name and a Single an Ally	
समान रजिस्ट्रीकरण कार्गालय पता वाले सभी कम्पनियों (उन	
सीएनआई का उल्लेख करते हुए) की सूची,यदि कोई हो	संलग्नक हटाएँ
) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।	
: 집하는데하 회사(원하 기간 하다 한다	

	धोषणा
<b>*</b> * [	
17	कम्पनी के एक (ड्रॉप डाउनः निदेशक/प्रबंधक/कम्पनी सचिव)) के रूप में अनुच्छेदों में नामित एक व्यक्ति को
	इस प्ररूप के हस्ताक्षर के लिए संकल्प संख्या तारीख तोरीख के माध्यम से कम्पनी के
	निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है और घोषित किया जाता है कि
13	*कम्पनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु और इसके प्रासंगिक मामलों के संबंध
	में किए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।
fi	*में यह भी घोषित करता हूँ कि इस प्ररूप के संलग्नको सहित उपयुक्त दी गई सभी सूचना सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा कोई भी
	सामग्री छुपाया नहीं गया है।
13	इसके अतिरिक्त यह श्री प्रमाणित किया जाता है कि (संक्षिप्त विवरण बॉक्स), संख्या
	और प्रेक्टिस संख्या न सबूतपत्र वाले (ड्रॉप डाउन) (मूल्य: चार्टर्ड अकाउंटेंट/कम्पनी सचिव/ लागत
	लेखा} को इस उद्देश्य के लिए सम्यक् नियुक्त किया गया है।
<b>'गिम्न</b> 'पदना	मिखित द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित किया जाना है
14911	
'निदेश	क की निदेशक पहचान संख्या; अथवा
<b>।बं</b> धक	या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; अथवा
na-yaf)	सचिव की सदस्यता संख्या
	वृत्तिक व्यवहार द्वारा सबूत-पत्र
नि क	भेत करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के सबूतन के लिए सम्यक् रूप से लगा हुआ है । यह प्रमाणित किया जाता <b>है हैं</b> मुपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध और इस प्ररूप की विषय-वस्तु एवं इससे संबंधित मामलों के संबंध सुरूप के संवर्षक विकास के एक विषय है और मैंडे सुप्रिय समुद्धा (संस्कृतकों सुनिय) कराउनी के सुप्रस्कार

है और मैंने उपयुक्त सूचना (सलग्नको सहित) कम्पनी के पास मूल अभिलेख से सत्यापित की है जो कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु है और उन्हें सत्य, सही एवं पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:

- 1. उपर्युक्त अभिलेख उचित रूप से तैयार किए गए हैं, कम्पनी के संबंधित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं. और कम्पनो अधिनियम, 2013 के संबंधित उपबधों के अनुसार रखे जाते हैं और ठीक पाए गए;
- 2. सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण और स्पष्ट रूप में संलग्न किए गए हैं।
- 3. यह और भी घोषित करता हूँ कि प्ररूप मे दिए गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के उल्लिखित पते पर मैंने स्वयं दौरा किया है और सत्यापित किया कि कम्पनी का उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कम्पनी के कारबार के प्रयोजनों के लिए कार्य कर रहा है।

1942 GI/16

#### ंनिम्नलिखित द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किया जाना है

- ्डीएससी बॉक्स इ
- ं चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
- ं कॉस्ट अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
- कम्पनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)

ार्सासिएट अथवा अध्येता

०. एसोसिएट

०. अध्येता

मदस्यता संख्या .....

व्यवासय संख्या का सबूत-पत्र .....

टिप्पण : धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: मिथ्या विवरण / सबूत-पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है ।

उपांतरित करें	फॉर्म जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें

**कवल शासकीय के उपयोग के लिए** :

दायर किए जाने वाला ब्यौरा संलग्न करें

ं फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)...... ई-फॉर्म प्रस्तुत करने की तारीख ......(दिन/मास/वर्ष)

मधिकृत करने वाले अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

ाह ई-फॉर्म एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है ......

ুহ ई-प्लॉर्स एतद्दवारा रद्द किया जाता है ...... (प्रस्त्तीकरण की पृष्टि करें)

्नार्ट्यात किए जाने की तारीख ......(दिन/मास/वर्ष)

#### अथवा

भार है प्रस्थ को इलेक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से कम्पनियों के रिजस्टर द्वारा अनुरक्षित फाइन पर और कम्पनी द्वारा दी गई ्यातच्यता के आधार पर लिया गया है।

্রে) प्ररूप आईएनसी-28 के पश्चात् प्ररूप निम्नतिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

<b>20</b> THE	GAZETTE OF IND	IA: EXTRAORDINARY	[PART II—S
प्ररूप सं. आईएनसी-29	<del></del>	एकीकृत	निगमित प
(कंपनी अधिनियम, 2013 की ध	गराएं 4, 7, 12,		
152 और 153 तथा उनके अ	धीन बनाए गए		
नियमों के अनुसरण में)		·	
प्ररूप की भाषा ० अग्रेजी ० हिंदी	<u></u>		
प्ररूप फाइल करने के लिए निदेश	ि किट का प्रयोग	करें	
1. (क)∗कंपनी का नाम		*******	
(ख)+ कंपनी का वर्ग o पि	लक o प्राइवेट ov	कल व्यक्ति कंपनी	
(ग)*कंपनी का प्रवर्ग	prist*************************	***********	
(घ)+ कंपनी की उप-प्रवर्ग	. 2747 **	··········	
(इ)+ कंपनी शेयर	पूंजी वाली है	शेयर पूंजी वाली नहीं है।	
2. (क)* कंपनी की औद्योगिक		<del></del>	
मुख्य विभाग का वर्णन	•	,	
字 mm 開発 mm ニロルロ・ディー mm ディロ mm がらちゃ かち mp c i mp c i m m が か m m m m m m m m m m m m m m m m			
(ख)* क्या मानक सांचा के लिए	कंपनी अधिनियम	 r, 2013 की अनुसूची । के अधीन उ	ल्लिखित
संगम जापन का नम्ना चुना गर		- · · ·	
		यम, 2013 की अनुसूची । के अधीन	उल्लि <b>खि</b> त
संगम अनुच्छेद का नम्	ना चुना गया है	o हां o नहीं	
(ii) क्या संगम अनुच्छेद क			
~	जेन परिरक्षास्थाप	ना के उपाबंध लागू किए जाएंगे	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ऐसे अनुच्छेदों का विवरण			
क्र. सं. अनुच्छेद संख्या	खंड के प	रिरक्षास्यापना का संक्षिप्त विवरण	
3. (i) * कंपनी की पूंजीगत र	 !रच <b>ना</b>		·
1			

अधिमान

अशात

कृत प्राधिकृत शेयर पूंजी (रूपए में).....

साम्या

अभिदत्त शेयर पूंजी

भेयरों की <b>संख्या</b>		
शंतिशंग्रर का नामिक मूल्य (रूपए में)	-	
कृत राशि (रूपण में)		

ात प्रसिद्धत शेयर पूजी (रूपए में).....

र <b>भि</b> द्धन्त	साम्या	अधिमान	अज्ञात
नेयर्ग की मंख्या			
ित शेयर का न्यूनतम मूल्य (रूपए में)			
ं शशि (रूपए में)		**************************************	

मुख्यस्था की **सख्या का व्योरा** 

p.E.S.	भदान्यों की अधिकतम संख्या दें	
्र्या <del>१</del>	पप्तातित कर्मचारियों के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या	
	्दस्यों की मख्या	
. 14	पञ्चावित कर्मचारियों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या	
	Company of the compan	

क्रिक अञ्चल <b>ार का पता</b>
स्पेवत <b>।</b>
पस्ति प
- अस्य
-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*पिन कोड
ं जिला
-दुरभाष (एसटोडी कोड सहित)

	फैक्स
	*कंपनी का ई-मेल पता
	*(ख) क्या पत्र व्यवहार का पता कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता है o हां o नहीं
	<ul> <li>(ग) कंपनी रिजस्ट्रार कार्यालय का नाम, जहां कंपनी रिजस्ट्रीकृत होनी प्रस्तावित है</li> </ul>
5.	<ul> <li>प्रस्तावित नाम के ब्यौरे</li> </ul>
1	'ক)

प्रस्तावित नाम	
प्रस्तावित नाम में संक्षिप्त या संक्षेपाक्षर शब्द का महत्व	
यदि प्रस्तावित नाम था उसके अर्थ में क्षेत्रीय भाषा	
प्रयुक्त हुई है।	

(ख)

(i)+ क्या प्रवर्तक आवेदन किए गए नाम पर कोई भागीदारी फर्म, पूर्ण स्वामित्व या रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व का संचालन भी कर रहा है।	० हां ० नहीं	
यदि हां, क्या ऐसी अस्तित्व का ऐसे कारबार अर्जित किया जाएगा?	o हां <b>० नहीं</b>	
(ii)* क्या प्रस्तावित नाम में संस्थापक (संस्थापकों) के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या उनके निकट रक्त- संबंधी है	० हां ० नहीं	
(iii)* क्या प्रस्तावित नाम में नातेदार (नातेदारों) का नाम भी शामिल है	o हां o <b>नहीं</b>	
(iv)+ क्या किसी शाखा विषयक नियामक से अनुमोदन अपेक्षित है	० हां ० नहीं	
(v) क्या कंपनी का नाम है o वर्तमान भारतीय कंपनी के समान है o विदेशी कारपोरेट निकाय के समान		

्ञक्क्य बोर्ड के रूप में अनापत्ति सबूत-पत्र (उस कंपनी के एक निदेशक द्वारा या	थावत
पश्चिमाणिन की प्रति सं <b>लग्न क</b> रें]	
ाहिआईएन बताए(पूर्व पूरित)	
ं भी का माम	

ा विन्ह अस्तिवित नाम एक रजिस्ट्रीकृत ज्यापार चिन्ह पर या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अपिनियम के किए लंबित एक आवेदन की विषय वस्तु पर आधारित है o हां o नहीं

अध्यय चिन्ह के वर्ग (वर्गो) विनिर्दिष्ट करें (ब्यौरे के लिए निदेश किट देखें)

ः चिन्हं के आवेदन का या आवेदक या स्वामी अनुमोदन की विशिष्टियां दें।

🔗 🖂 🕾 अध्यात के पहले अभिदाता (अभिदाताओं) और कंपनी के निदेशकों के नाम

	विधिमान्य	विधिमान्य डीआईएन
	डीआईएन है	नहीं है
न है कुछ स <b>ख्या (अभिदाता -सह-निदेशक</b>		
अस्तर प्रस्ति अभिदातः (अभिदाताओं))-सह-निदेशक अस्तिकात् का प्राच्या		:
कारण सहनितिक्षक <b>से भिन्न ट्यैक्तिक प्रथम</b> कारण (अभिनानामों) की संख्या		
व्यापकृष्य प्रश्नम् अभिदाता (अभिदाताओं) की व्यापक		

(ख)∗ निदेशको (प्रथम अभिट	व्यताओं स भिन्न) का विशिष्ट्या
1.* निदेशक पहचान संख्या	(डीआईएन)(पूर्व पूरित)
* नाम	
* Rij	.जन्म की तारीख + राष्ट्रीकता
*पदनीम	<b>∗</b> प्रवर्ग
क्या 🌼 अध्यक्ष 🅶 कार्यपालर	क निदेशकः गैर-कार्यपालक निदेशक
<ul> <li>कंपनी या संस्थान का ना</li> </ul>	म, जिसका नामनिर्देशिति व्यक्ति नियुक्त है
# <del>*</del> -	
* \$-#a 4dl	
ऐसी संस्थाओं की संख्या	, जिनमें निदेशक का हिंत है (यदि संस्था के पास
सीआईएन/एफसीआरएन/ए	रलएलपीआईएन है तो उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है)
************************	***************************************
∗रजिस्टीकरण संख्या	
~	
हित का प्रकार	*पदनाम
·	शेयरधारण का प्रतिशतराशि
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
1.* प्रथम नाम	
मध्य नाम	
मध्य नाम *उपनाम	
*उपनाम	
*उपनाम * पिता का पहला नाम	
*उपनाम * पिता का पहला नाम *पिता का मध्य नाम	
*उपनाम * पिता का पहला नाम *पिता का मध्य नाम *पिता का उपनाम	······································
*उपनाम * पिता का पहला नाम *पिता का मध्य नाम *पिता का उपनाम	न्म की तारीख* राष्ट्रीकता

• व्यवसाय का प्रकार o स्विनयोजित o वृतिक o घरेलू o विद्यार्थी o सेवक			
+ व्यवसाय का क्षेत्र			
यदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें			
+शैक्षिक अर्हता			
🔹 🍙 स्थायी खाता संख्या 🔞 पासपोर्ट संख्या	(सत्यापित करें)		
* पदनाम *	प्रवर्ग		
🖟 क्या 💂 अध्यक्ष 👜 कार्यपालक निदेशक् <b>य</b> गैर-कार	र्थपालक निदेशक		
<ul> <li>कंपनी या संस्था का नाम, जिसका नामनिर्दिशिति</li> </ul>	व्यक्ति नियुक्त है		
» ई-मेल पता			
स्थायी पता			
« पंक्ति I	*********		
∗पंक्ति ॥	***********		
* नगर	·····		
» राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र <b>* पिन कोड.</b>			
<ul> <li>आईएसओ देश कोड</li> </ul>	देश		
द्रभाष (एसटीडी/आईएसडी कोङ सहित)			
» क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है o हां o नहीं			
वर्तमान पता			
* पंक्ति I			

• राज्य/ सध राज्य क्षत्र	* 14#1 \$15		
• आईएसओ राष्ट्र कोड	देश		
<ul> <li>दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोः</li> </ul>	ड सहित)		
<ul> <li>वर्तमान पते पर रहने का अवी</li> </ul>	घेमास		
यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष र	में कम समय से रह रहे हो, तो पूर्ववर्ती निवास का पता		
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
<ul><li>पहचान का सब्त</li></ul>	* निवास का सब्त		
मतदान पहचान कार्ड संख्या			
चालन अनुजिप्त संख्या			
आधार संख्या	······································		
संमग्नकों में पहचान का सबूत अं	े संसग्नकों में पहचान का सबूत और पते का सबूत प्रस्तुत करें।		
ऐसी संस्थाओं की संख्या, जिनमें	निदेशक का हित है-		
• रजिस्ट्रीकरण संख्या			
• नाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
• पता			
हित का स्वरूप	*पदनाम		
	शेयर धारिता का प्रतिशतराशि		
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
(ग)* व्यैक्तिक प्रथम अभिदाता (	अभिदाताओं)-सह-निदेशकों की विशिष्टियां		
1. * निदेशक पहचान संख्या (डी.	आईएन)(पूर्व पूरित)		
* नाम	***************************************		
• लिंग	जन्म की तारीखराष्ट्रीकता		

÷ पदनाम*	प्रवर्ग	
क्या <b>७ अध्यक्ष</b> कार्यपाल	स्क निदेशक <b>≖ गैर-कार्यपालक</b> नि	।देशक -
	ाम, जि <b>सका नामनिर्देशिति व्य</b> क्ति	
ंडे-मेल पता	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
अभदत्त शयरा का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
सम्या शेयर		
अधिमान शेयर		
	<u> </u>	
ऐसी संस्थाओं की संख्या, जि	नमें निदेशक का हित है (यदि ऐ	सी संस्थाएं सीआईएन/ एफसीआरएन/
एतएतपीआईएन वाली है तो	उल्लेख करने का <mark>उल्लेख नहीं क</mark>	₹)
<del></del>		
<ul> <li>रजिस्ट्रीकरण संख्या</li> </ul>		
<b>⊬</b> नाम	*******	
fi-dura John		
॰ पता		
हेत का प्रकार	*पदनाम	
•	शेयर धारिता का प्रतिशत	राशि
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
्रि प्रथम नाम		
मध्य नाम		
*उपनाम		
+ पिता का पहला नाम		
≉िपता का मध्य नाम		
•पिता का उपनाम		•
		* राष्ट्रीकता
🔹 जन्म का स्थान		

*क्या भारतीय नागरिक है o हा o नहीं
<ul> <li>व्यवसाय का प्रकार o स्वनियोजित o पेशेवर o घरेलू o विद्यार्थी o सेवक</li> </ul>
• व्यवसाय का क्षेत्र
बदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें
•शैंसिक अर्हता
<ul> <li>स्थायी खाता संख्याक     पासपोर्ट संख्या (विवरण सत्यापित करें)</li> </ul>
* <b>पदनाम</b> *प्रवर्ग
🌞 क्या 🔳 अध्यक्ष 🍙 कार्यपालक निदेशक्ष्म गैर-कार्यपालक निदेशक
<ul> <li>कंपनी या संस्था का नाम, जिसका नामनिर्देशिति व्यक्ति नियुक्त है</li> </ul>
• <b>ई-मे</b> ल पता
स्थायी पता
» पंक्ति ।
े कित ।।
• गगर
• <b>राज्य</b> / संघ राज्य क्षेत्र • पिन कोड
» आईएसओ देश कोडदेशदेश
🌶 दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)
• स्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है o हां o नहीं
भार्तमान पता
• पंक्ति ।
े भंक्ति ॥
* <b>शहर</b>

भाग ॥—खण्ड ३(१)।	भारत का राजपत्र : असाधारण	
<ul> <li>राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र</li> </ul>	*	पिन कोड
• आईएसओ देश कोड	देश	
* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी	कोड सहित)	••••••
• वर्तमान पते पर रहने का	अवधिवर्ष	मास मास
यदि वर्तमान पते पर एक र	वर्ष से कम समय से रह रहे हो	तो पूर्ववर्त निवास का पता
** पहचान का सबूत	* निवास का	सबूत
मतदान पहचान पत्र संख्या		
चालन अनुज्ञपित संख्या		
आधार संख्या		
सलग्नकों में पहचान का सब्	त और पते का सबूत प्रदान करें।	<b>.</b>
अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साभ्या शेयर		-
अधिमान शेयर		4
ऐसे अस्तित्वों की संख्या, जि	नमें निदेशक का हित है	
<ul> <li>रजिस्ट्रीकरण संख्या</li> </ul>		
* नाम		
• पता		
हित का स्वरूप	*पदनाम	
	शेयर धारिता का प्रतिशत	
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

् <b>(घ)</b> + व्येक्तिक प्रथम अशदात	ग (अंशदाताओं)-सह-निदेशको की	ि विशिष्टिया (अभिदाता-सह-निर्देशव
मिन्न)		
l * निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)		(पूर्व पूरित)
• नाम	••••••	
अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साभ्या शेयर		
अधिमान शेयर		
l + प्रथम नाम		
मध्य नाम		
* उपनाम	**********	
<ul> <li>पिता का पहला नाम</li> </ul>	***************************************	
पिता का मध्य नाम		
<b>∗</b> पिता का उपनाम		
<b>∗लिंग</b> *ज	ान्म की तारीख	* राष्ट्रीकता
• जन्म का स्थान		
<ul> <li>व्यवसाय का प्रकार ० स्व</li> </ul>	ानियोजित o वृतिक o घरेलू o	विद्यार्थी o सेवक
<ul><li>व्यवसाय का क्षेत्र</li></ul>	***************************************	
यदि 'अन्य' चुना गया है तो	कृपया विनिर्दिष्ट करें	
<b>*शैक्षि</b> क अर्हता	••••••	
• 🕳 स्थायी खाता संख्या ।	<b>ा</b> पासपोर्ट संख्या	(विवरण सत्यापित करें)
* ई-मेल पता	•••••	
स्थायी पता		
• पंक्ति l		

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साभ्या शेयर		
अधिमान शेयर		

THE OPERITE OF INDIA, BATRAONDIMANT	ft ver trop** 3
(इ)* अव्यैक्तिक प्रथम अंशदाता (अंशदाताओं) की विशिष्टियां	
• प्रवर्ग	
•कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या	
(एफसीआरएन) अथवा अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या	(पूर्व पूरित)
*कारपोरेट निकाय का नाम	
व्यवसाय का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता या भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान व्यवसाय का मुख्य स्थान	या भारत से बा
• पंक्ति I	
पंक्ति ॥	
* नगर	
<ul> <li>∗ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र</li> </ul>	
• आईएसओ देश कोड	
देश	
<ul> <li>दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)</li> </ul>	••••
फैक्स	
*ई-मेल आईडी	
प्राधिकृत व्यक्ति का की विशिष्टियां	
* प्रथम नाम	
मध्य नाम	
* उपनाम	
• पिता का पहला नाम	

अभिदत्त शेयरों का प्रकार अभिदत्त शेयरों की संख्या अभिदत्त शेयरों की राशि

साभ्या शेयर

अधिमान शेयर

·ई-मेल आईडी.....

स्थायी पता

• पविल ।

पंक्ति ।

.....

• राज्यः संय राज्य क्षेत्र ......• पिन कोड.....• पिन कोड.....

आईएसओ देश कोड
 देश

- Constitution of the Constitution of the Constitution of the particular of the particular of the particular of the constitution of the constitut

1942 GI/15-

• पहचान का सबूत...... • निवास का सबूत .....

8.	स्टांप	शल्क	के	संदाय	की	विशिष्टिय
••	,	4	•	J	•••	

(क) वह राज्य या संघशासित प्रदेश जिसके पक्ष में स्टांप

(पूर्व पूरित)

शुल्क का भुगतान किया गया या किया जाना है.....

- (ख) क्या स्टांप शुल्क का भुगतान एमसीए-21 प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से किस जाना है o हां o नहीं o लागू नहीं
- (i) भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क का विवरण

दस्तावेज का प्रकार/ विशिष्टियां	प्ररूप	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद
भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क की			
राशि (रूपए में)			1.

(ii) भुगतान किए हुए स्टाम्प शुल्क की विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

दस्तावेजों का प्रकार/ब्यौरा	प्ररूप	संगम जापन	संगम अनुच्छेद	अन्य
भुगतान किए हुए स्टाम्प शुल्क की कुल राशि				
स्टाम्प शुल्क भुगतान का प्रकार				
सरकार की तरफ से स्टाम्प शुक्क एकत्रित करने अथवा स्टाम्प पेपर बेचने अथवा दस्तावेजों पर मुहर लगाने या स्टाम्प बाउधर बांटने के लिए प्राधिकृत विक्रेता या कोषागार या प्राधिकारी या अन्य किसी सक्षम अधिकरण का लाम मुहर था स्टाम्प या स्टाम्प पेपर की क्रम संख्या या				
कोषागार चालान संख्या	<u> </u>	<del> </del>	<u></u>	
तिकेता की रजिस्ट्रीकरण संख्या स्टाम्प या स्टाम्प पेपर के बिक्रीत या स्टाम्प शुल्क के भगतान की तारीख (दिदि/मम/वववव)				
स्टाम्प या स्टाम्प पेपर के बिक्रीत या स्टाम्प शुल्क के भुगतान का स्थान				

Stokie ba an ber

Take Congress

BAR DON

ार प्रमाधारक (कि)काष्ट्रिकी हेए (रि.)कप्राधारह स्वरूप

	PE tyre	132	AND WELL SEED OF SEED
	Phils:	स्थारक्षमा	enter o
ितिस प्रजी कं फिका	<del>्रिम्हीर फ़र्मायकी निक्ति</del> न	<b>६ (फिड़ेाएसप्रडे)</b> मार्ट <b>न</b>	s that been gover
			a(m. 1929a)
	ई आज. बही	र्त <del>त</del> ः 0	MIS & HIS VA
मार में अख	अभिसाम 0 मुह संपत्ति		स ११ क् <b>री</b> शेटल र
, ,			
, ,			EM: 1
			<b>粉</b> 烷 (F
(33) H.	इकि रूर्	प्राक्ता सिर्ग	₩ / A   A   A   A   A   A   A   A   A   A
	डिक रूर्	dina kanangan sampungan sampungan manangan manangan mengangan kanangan sampungan sampungan sampungan sampungan	
	इकि रूर्	dina kanangan sampungan sampungan manangan manangan mengangan kanangan sampungan sampungan sampungan sampungan	<b>519</b> : // (-)

रेक किकार

र्रेक निग्नेर

र्रक ककार

4.	कार्यालय पता का सबूत (किराया रसीद के साथ हस्तांतरण	संलग्न करें	
; ;	पत्र/पट्टा विलेख/किराया करार आदि);		
5.	उपयोगिता बिल की प्रति (दो माह से अधिक पुराना न हो)	संलग्न करें	
6.	व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए व्यापार चिन्ह के	संलग्न करें	
	स्वायी अथवा ऐसे आवेदन के आवेदक का अनुमोदन;		
7.	संबंध का सब्त;	संलग्न करें	
8.	एकल स्वामी/भागी/अन्य सहयोगी/वर्तमान कंपनी से	संलग्न करें	
	अनापत्ति सबूतपत्र (एनओसी);		
9.	अन्य किसी व्यक्ति से अनापतित सबूत पत्र (एनओसी);	संलग्न करें	
10.	विदेशी कारपोरेट इकाई के निगमन एवं पारित संकल्प के	संलग्न करें	
	सब्त पत्र की प्रति;		
11.	संप्रवर्तक कंपनी द्वारा पारित संकल्प;	संलग्न करें	
12.	वर्तमान भारतीय कंपनी से अनापत्ति सबूत पत्र	संलग्न करें	
	(एनओसी);		
13.	अन्य कंपनियों में प्रथम निदेशक(कों) का हित;	संलग्न करें	
14.	गमित व्यक्ति की सम्मति;	संलग्न करें	
15.	अंशधारक के निवास के पते एवं पहचान का सब्त;	संलग्न करें	
16.	नामित व्यक्ति के निवास के पते एवं पहचान का सब्त;	संलग्न करें	
17.	आवेददक । के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें	
18.	आवेददक ॥ के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें	
19.	आवेददक ॥ के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें	
20.	ऐच्छिक अनुलग्नक, (यदि कोई हो)	संलग्न करें	

अनुलग्नक हटाएं

## घोषणा

बमेंने नाम के आरक्षण की बावत में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों, इसके अधीन नियमी एवं निर्धारित तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को पढ़ा है और इसके अर्थ को समझा है कि प्रस्तावित नाम इसके अनुरूप है।

\*मेंने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पोर्टल में उपलब्ध खोज सुविधाओं का स्पर्धांश पूर्व से रिजेस्ट्रीकृत अथवा पूर्व में अनुमोदित नामों वाली कंपनियों व सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) के साथ क्रमश: प्रस्तावित नाम की समानता की जांच के लिए किया है।

अप्रस्तावित गाम ने संप्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अपर्वधों का उल्लंघन नहीं किया है और समय-समय पर इसका संशोधन किया जाता है।

ब्ह्रम्तावित नाम लोगों के किसी भी वर्ग के लिए घृणोत्पादक नहीं है अर्थात प्रस्तावित नाम में ऐसी किसी प्रकार की अचारअष्टता अथवा शब्द या वाक्यांश अंतर्विष्ट नहीं है जो समान्यतः पर जातीय समृह, धम्म, लिंग या परंपरा के लिए है।

•कंपनी ट्वारा प्रस्तावित नाम के उपयोग से किसी भी विधि के अधीन आपत्तिजनक नहीं होरण।

≈थांद बाद में यह नाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) और धारा 4(4) के उपबंधों व इसके नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो इसके परिणाम के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने का वचनबद्ध देता हूं और मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(5) (व)(क) और (ख) के उपबंधों और नियमों को पढ़ा और समझा है और इसके परिणान के लिए स्वयं को उत्तरदायी घोषित करता हूँ।

नी नामित है, कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने तथा यह घोषणा करने के लिए विधिवत रूप से सम्यक हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बने नियमों की आवश्यकताओं, जो निदेशक पहचान संख्या (डिन) कंपनी के रजिस्ट्रीकरण एवं इससे पूर्ववर्ती या प्रासंगिक मामलों से संबंधित है, को संकलित किया गया है।

में समम जापन एवं संगम अनुच्छेद को स्वीकार करने वाले प्रवर्तकों तथा प्रथम निदेशक(कों) द्वारा यह घोषणा करने तथा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत है। भ प्रत्येक अंशधारकओं द्वारा यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत हूं कि कंपनी तब तक अपना क्रीक आरंभ नहीं करेगी जब तक प्रत्येक अंशधारक ने संगम जापन को स्वीकार करने के सं ः सके द्वारा प्राप्त शेयरों के मूल्य का भुगतान न कर दिया हो।

🤏 😂 अञ्चल करता हूं कि कंपनी अपना वृतिक तब तक आरंभ नहीं करेगी जब तक क्षेत्रीय विश्विय संबंधे देशे आरबीआई, सेबी आदि से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।

- भें प्रवर्तको एवं प्रथम निदेशकों की ओर से यह घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नियमन के रुमय सभी प्रस्तावित कंपनियों को संबोधित सभी सूचनाओं तथा अधिसूचनाओं को प्राप्त करने और स्वीकारने के लिए सक्षम है और उन्हें इस प्ररूप की मद संख्या 4 में दिए गए पतं में रखना आवश्यक है।
- मैं प्रस्तावित कंपनी के संगम अनुच्छेद में नामित सभी प्रथम निदेशकों की ओर से दृढतापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त घोषणा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और निगमन के लिए इस समेकित आवेदन प्ररूप में दी गई सूचना और इसके अनुलग्नक सही एवं पूर्ण हैं और इस प्ररूप से संबंधित किसी भी सूचना को छुपाया नहीं गया है। सभी आवश्यक अनुलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से, सही रूप में और स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है और वह संगम जापन और संगम अनुच्छेद में अंशदान करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेख के अनुसार है।
- में, प्रस्तावित विदेशकों, जिनके ब्यौरे डिन के आबंटन के लिए उपर्युक्त रूप में भरे गए हों, की ओर से इस बात की पृष्टि और घोषणा करता हूं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों जिसमें धारा 164 और 169 शामिल हैं, के तहत किसी कंपनी के निदेशक के रूप में निय्क्ति के लिए नियंत्रित, अयोग्य या पृथक नहीं है और उन्हें किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्याय या उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य अदाखत की तरफ से घोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के तहत किसी निदेशक पहचान संख्या (डिन) का आबंटन पहले से नहीं किया गया है और इसके अलावा मैं इस बात की घोषणा भी करता हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449, धारा 450 और धारा 451 के साथ पठित धारा 154, धारा 155, धारा 447 और धारः 448 के उपबंधों को पढ़ा और समझा है।

٠.			- सदस्य	संख्या		और/या	अभ्यास	संख्या	के	सबूत	पत्र	 को
र्गा स	7)1)	(ख)	के तहत	घोषणा	दी गई और ऐ	सी घोषण	ा को संत	गग्न कि	या	गया।		

टिप्पण: धारा 7(5) और धारा7(6) के उपबंधों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसमें यह उपाबंध है कि किसी सूचना का मिथ्या या गलत ब्यौरा या किसी तात्विक सूचना को दबाने से धारा 447 के तहत कपट के लिए दंड मिल सकती है। धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या सबूतों के लिए क्रमश: दंड का उपाबंध है।

∗िनदेशक द्वारा अंकीय रूप में हस्ताक्षर किया जाना है।	डीएससी बॉक्स
*Gन/पैन	

## वृतिक द्वारा की गई घोषणा और प्रमाणन

मैं का सदस्य जिसका कार्यालय
में स्थित है और जो कंपनी के गठन के लिप्त में लगा हुआ है, यह
घोषणा करता हूं कि मैं इस प्ररूप के सबूतन के प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से लिप्त हूं। मैं यह
भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और इसके नियमों को इस प्ररूप
के अनुषंगी और इससे संबंधित मुद्दों के लिए पढ़ा है और ऊपर दिए ब्यौरों, जो इस प्ररूप की
विषयवस्तु हैं, को आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलिखित के साथ सत्यापित किया है
(अनुलग्नक शामिल हैं) और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की किसी सूचना को
दबाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि :

- (i) प्रारूप ज्ञापन और संगम अनुच्छेद को धारा 4 और धारा 5 के उपबंधों और इसके नियमों के पुष्टि किया गया है; और
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इसके अंतर्गत बने नियम, जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन कंपनी के रिजस्ट्रीकरण से संबंधित है और इसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों को संकलित कर लिया गया है। उक्त अभिलेखों को उचित रूप में तैयार कर कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर लिया गया है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार रखा गया है और उन्हें क्रमबद्ध रूप में पाया गया है;
- (iii) मैंने इस प्ररूप के सभी अनुलग्नकों को देखा है और इन्हें आवश्यकता के अनुसार पूर्ण और स्पष्ट पाया है:
- (iv) मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैंने प्ररूप में दिए गए प्रस्तावि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वैयक्तिक रूप से दौरा किया है और यह पाया है कि कंपनी का प्रस्तावि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

कंपनी के व्यावसायिक प्रयोजन के लिए काम कर रहा है (प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के संबंध में, जहां लागू हो);

- यह समझ लिया है कि मैं गलत सब्तन, यदि किसी स्तर में पाया गया, के लिए कंपनी (v) अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूं।
  - \*चार्टर्ड लेखाकार (पूर्णकालिक सेवा) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक सेवा) या
  - o +कंपनी सचिव (पूर्णकालिक सेवा) 0 · अधिवक्ता ------
    - \*कया सहयोगी या साथी है सहयोगी साथी
    - \*सदस्य संख्या ------

व्यवसाय संख्या का सब्त पत्र ....----

\*आयकर पैन -----

संशोधन प्ररूप देखें पूर्व जांच - पेश करें

शासकीय उपयोग के लिए

फाइल किए गए विवरण

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध सं.(एसआरएन) ----- ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

इस ई-प्ररूपको एतद्दवारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर ----- जमा पृष्ट करें

हस्ताक्षर की तारीख ----- (तारीख/मास/वर्ष)

## प्ररूप संख्या आईएनसी-30

[कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची । (धारा 4 और धारा 5 देखें) के अन्सरण में]



संगम ज्ञापन

प्ररूप भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी प्ररूप को भरने के लिए निर्देश किट का अनुदेश लें।

\*कंपनी उचित सारणी का चुनाव करें जो ----- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अधीन अधिसूचित है। ------

तालिका क - शेयरो दवारा सीमित कंपनी का संगम जापन

- 1. कंपनी का नाम "----- लिमिटेड/प्रा.लि." है।
- 2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ----- राज्य में स्थित होगा।
- (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं: (ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।
- 4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है और यह उत्तरदायित्व उनके द्वारा आयोजित शेयरों, यदि कोई हो, के अदत्त राशि के भुगतान तक सीमित है।
- 5. कंपनी की शेयर पूंजी ----**---- रूपये है, जो ----- रू. के -----रू. के -----**- शेयर में विभाजित है।
- 6. हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी इच्छा चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या सहमत करते हैं:-

अंशदाता के नाम, पते,	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए	अंशदाता के	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते,
विवरण और व्यवसाय	शेयरों की सं.	हस्ताक्षर	विवरणी और पेशा
वाणिक का ए.बी.			मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया
			हस्ताक्षर
लिए गए शेयरों का कुल		-	
योग			

7.	मैं,	जि	सका	नाम	और	पता	नीचे	दिया	गया	₹,	इस	संगम	न जा	पन	के	अनुसरण	Ą	एक
कंपनी	बनाने	का	इच्छु	क हूं	और	कंपनी	की	पूंजी	के स	ी १	शेयरों	को व	हण	करत	ता ह	्। (एकल	r ē	यक्ति
<b>अं</b> गनी	के मार	मले	में)	.,												•		

	अंशदाता के नाम, पते,	प्रत्येक अंशदाता द्वारा	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
	<b>वि</b> वरण और पेशा	लिए गए शेयरों की सं.	•	नाम, पते, विवरण और
	:			पेशा
1				

1.	श्री/श्रीमती	,पत्र/पत्री,	<b>Al</b>		निवासी			
		-						
· ·	आयु	<del></del>	ач,	एकमात्र	सदस्य	का मृत्यु	हाल पर ना	। <b>ਮ</b> ਰ
<b>है</b> गा	(एकल व्यक्ति कंपनी के	मामले में	it)					
सारीर	T							

**ाणी ख -** शेयर पूंजी रहित और प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी का संगम ज्ञापन।

- 1. कंपनी का नाम "------ लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड" है।
- 2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ----- राज्य में स्थित होगा।
- (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं: (ख) खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस पकार हैं।
- 4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है।
- 5. कंपनी का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित योगदान देने की जिम्मेदारी लेता है:-
- सदस्यता के दौरान कंपनी के समापन के समय कंपनी की आस्ति में, या सदस्यता की समित के एक वर्ष के भीतर कंपनी के ऋण और दायित्व के भुगतान के लिए, या सदस्यता की समित के पूर्व किसी ऋण या दायित्व में; और
- हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक
   बनना चाहते हैं।

viti [1-6]02 3(1)	मारत का राजपत्र : असाधारण	
अंशदाता के नाम, पते, विवरण और जिविका	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
वाणिक का ए.बी		जिविका मेरे समक्ष हस्ताक्षर
		किया गया हस्ताक्षर

7. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं। (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में):-

अंशदाता के नाम, पते,	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
विवरण और जीविका		नाम, पते, वर्णन और
		पेशा
वाणिक का		मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.		किया गया
		हस्ताक्षर

आयु <del></del> -	वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित
होगा (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)	
तारीख दिन	***

सारणी ग - शेयर पूंजी वाली और प्रत्याभूति द्वारा कंपनी लिमिटेड कंपनी का संगम जापन। ।

- कंपनी का नाम "----- लिमिटेड/प्राईवेट लिमिटेड" है।
- कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ----- राज्य में स्थित होगा।
- (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-(ख) खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए <mark>आवश्यक मामले इस प्रकार</mark> 削
- सदस्यों का दायित्व सीमित है।
- कंपनी का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित योगदान देने की जिम्मेदारी लेता है:-5.

(i)	सदस्यता	के दौरान	कंपनी के	समापन	के समय	कंपनी की	आस्ति में	, या	सदस्यता	की
समाप्ति	न के एक	वर्ष के भी	तर कंपनी	के ऋण	और कर्ज	के दायित्व	के लिए,	या	सदस्यता	की
समाप्ति	त के पूर्वी	केसी ऋण	या दायित्व	ों में; औ	र					

(ii)	समापन के लागत प्रभार और व्ययों में (और उनके बीच योगदानकर्ता के अधिकारों के
समायो	जनों के लिए), ऐसी राशि की अपेक्षित होगी जोरू. से अधिक नहीं होगी।
6. कंप	नी की शेयर पूंजी रूपये है, जो रू. के रू. के
शेयर र	में विभाजित है।

7. हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या ग्रहण करते हैं:-

1	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए शेयरों की		साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, वर्णन और
	सं.		जीविका
वणिक का			मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.		,	किया गया
			हस्ताक्षर

8. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को करार करता हूं। (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

4	l "	1	साक्षियों के हस्ताक्षर,
विवरण और जीविका	ालए गए शयरा का सं.	,	नाम, पते, विवरण और जीविका
বणिक का			मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.			किया गया
			हस्ताक्षर

भाग 🛭	-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	47
1.	श्री/श्रीमती,पुत्र/पुत्री, श्री	
निवा	ासी <b>अायु वर्ष, एकमा</b> त्र	f
सदस	न्य की मृत्यु होने पर नामित होगा (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)	
	खदिनदिन	
सारण	गी घ - एक शेयर पूंजी रहित असीमित कंपनी का संगम ज्ञापन।	
1.	कंपनी का नाम " कंपनी" है।	
2.	कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राज्य में स्थित होगा।	
3.	(क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-	
	(ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं	1
4.	सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है।	

हम कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनना चाहते हैं।

अंशदाता के नाम, पते,	प्रत्येक अंशदाता द्वारा	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
विवरण और जीविका	लिए गए शेयरों की		नाम, पते, वर्णन और
	सं.		जीविका
वणिक का			मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.			किया गया
			हस्ताक्षर

6. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं। (एकल ट्यक्ति कंपनी के मामले में):-

अंशदाता के नाम, पते,	प्रत्येक अंशदाता द्वारा	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
विवरण और जीविका	लिए गए शेयरों की		माम, पते, वर्णम और
	सं.		जीविका
व्यापारी का			मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.			किया गया
			हस्ताक्षर

fD.vv	II—-Sec.	26
PART	II—-26C:	-4

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया

हस्ताक्षर -----

------ ,पुत्र/पुत्री, श्री ------

40	ŤHE (	azette oe india extraordii	NARY [Part II—Sec. 3
<del>***</del> 7			17.20-1
f			वर्ष, एकमाश्र
स	दस्य की मृत्यु होने पर नामित	होगा (एकल व्यक्ति कंपनी के	मामले में)
त	ारीख दि <i>न</i>	**	
स	<b>ारणी इ.</b> - एक शेयर पूंजी वर्ल	ो और असीमित कंप <b>नी का संग</b>	म जापन।
1.	कंपनी का नाम "	कंपनी" है।	
2.	कंपनी का रजिस्टीकत कार्य	लिय राज्य	में स्थित होगा।
3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-	
		•	लेए आवश्यक मामले इस प्रकार <b>हैं</b> ।
4.	सदस्यों का उत्तरदायित्व अ		CC SHACAR SHOCK SCI NAME &
5.	कंपनी की शेयर पंजी	रूपये हैं. जो	·····································
	- शेयर में विभाजित है।	, , , , <b>()</b>	
6.	•	म और पते अभिटत्त हैं हम	संगम जापन के अनुसरण में एव
-	_		सामने दिए गए कंपनी की पूंजी बे
	शेयरों की संख्या करार करते		Charles lost and death and done a
3	शदाता के नाम, पते, विवरण	<del></del>	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पत्ने,
l .	र जीविका	Straten 4: 633mix	वर्णन और जीविका
	वणिक का ए.बी.		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया
			हस्ताक्षर
			जापन के अनुसरण में एक कंपनी
		की पूजी के सभी शेयरों की ग्रह	ण करता हूं। (एकल व्यक्ति <b>कंपजें</b>
क	मामले में)		
3 <b>i</b> '	शदाता के नाम, पते, विवरण	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम,
31	र जीविका		पते, वर्णन और जीविका

– वणिक का ए.**बी**.

श्री/श्रीमती ------

तारीख ----- दिन ------

सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

प्ररूप संख्या आईएनसी-31

संगम अनुच्छेद

(कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची । (देखें धारा 4 और 5) के अनुसरण में)

प्ररूप की भाषा

0अंग्रेजी

0हिंदी

प्ररूप अरने के लिए निदेश देखें।

1.\*कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची । के अधीन यथा अधिसूचित कंपनी के लिए लागू समुचित सारणी चुनें ......

अनुच्छेद सं.	विवरण	लाग् होना हां/नहीं
	निवर्चन	
	(1) इन विनियमों में,-	0 हां 0 नहीं
	(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;	
	(ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।	
İ	(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और	
	पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट है, वे ही अर्थ होंगे जो	
	अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर	
	आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।	
	अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार	<del></del>
	अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी	0 हां 0 नहीं
	की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो	
-	उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में	
ļ	और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान	
	मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें,	
	निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा	

50	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[Part II—Sec. 3
	निपटान कर सकेंगे।	
2	(i) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के रूप में	0 हां 0 नहीं
	प्रविष्ट है, जापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात्	
	आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के	
	रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या	
	इतनी अन्य कालावधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित	
	की जाए-	
	(क) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी अंशों (शेयरों)	
	के तिए एक प्रमाणपत्र; अथवा	
	(ख) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से	
	अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर	
	प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा।	
	(ii) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मुद्रा लगी होगी और उसमे वे अंश	
	(शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समादत्त रकम भी	
	निर्दिष्ट होगी।	
	(iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या	
	किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए	
	कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी	
	एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों	
	को पर्याप्त परिदान होगा।	ŀ
3	(i) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित	0 हां 0 नहीं
	हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के	
	पृष्ठाकंन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को	
	उसके प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर	
	उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि	
	कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के	
	समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति के	
	निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया	
	प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र,	
	हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी किया जाएगा।	
	(ii) अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक	
u	परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों को लागू होंगे।	
4	विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह	0 हां 0 नहीं
	मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए	
	** ***********************************	

5

6

हए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर), साम्याजात, समाश्रित, भावी या भागिक हित से, न उस अंश (शेयर) के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से विवश होगी।

- कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन 0 हां 0 नहीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में हैं परंतु यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तदीन बनाए गए नियमों दवारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है।
- कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक नहीं होगी।
- कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त अंशो (शेयरों) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत दसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।
- यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले 0 हां 0 नहीं अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न अधिकारों में तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है। धारा 48 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयराँ) के धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से किया जा सकेगा।
- साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू हाँगे कित् ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशौं (शेंयरों) के कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।

जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है,

कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है, चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के

1 15 - 37-43	> 3(1) !	
	तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के	
	कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह	
	दिन का अवसान न हो गया हो।	
	(i) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी ट्यक्ति को	
	प्राधिकृत कर सकेगा।	
	(ii) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरों) के धारक	
	के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।	
	(iii) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखे कि	
	क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेयरों)	
	पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा	
	जो विक्रय कार्यवाहियाँ में हुई हैं।	
+2	<ul><li>(i) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए आएंगे और उनका</li></ul>	0 हां 0 नहीं
	उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है,	
	उतने भाग को चुकाने में किया आएगा जो तत्क्षण देय है।	
	(ii) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो	
	नत्साण देय नहीं है. ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन	
	अंशों (शेयरों) पर तिक्रय के पूर्व विद्यमान के, उस व्यक्ति को दे दी	
	जाएगी जो विक्रंथ की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है।	
	अंशों (शेयरों) लेखें आहवान	
\$	(i) बोर्ड ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आहवान, जो चाहे अंशों	0 हा 0 नहीं
	(शेयरों के अभिहिल मूल्य लेखें या प्रीमियम के तौर पर) उनके अंशों	
	(शेयरों) के आबटन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं की	
	गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगाः	
	परंतु कोई भी आहवान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से	
	अधिक नहीं होगा या न अंतिम पूर्ववर्ती आहवान के घुकाने के लिए	
	नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी।	
	(ii) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए	
	जान के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह	
	दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे	
	विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा।	
	(iii) कोई आहवान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहत या मुल्तवी किया	
	जा सकेगा।	
	}	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PARI II—SBI	
14	आहवान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया	0 हां 0 नहीं	T
<u>.</u> 1	जब से आहवान को प्राधिकृत करने वाला बोई का संकल्प पारित		
	किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह		
ĺ	किस्तों में चुकाया जाए।		
15	अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस लेखे सभी आह्वानों को चुकाने के	0 हां 0 नहीं	٦
]	लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।		
16	(i) यदि अंश (शेयर) लेखे आहूत नियत राशि उसे चुकाने के लिए	0 हां 0 नहीं	
·-	नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह		
	व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, सके चुकाने के लिए नियत		
	दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस	{	
<u> </u>	प्रतिशत की दर से या ऐसी जीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड		
	अवधारित करे, ब्याज देगा।		
	(ii) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने		-
	का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे।		
17	(i) अंश (शेयर) के निर्ममन के निबंधनों के अनुसार जो कोई	0 हां 0 नहीं	
	राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के		
	रूप में आबंटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी		
	बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह		
	उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसकों ऐसी		-  -
	राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आहवान		
	है।		j
	(ii) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे		ŀ
	सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में		
	या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी		
	किसी आहवान के आधार पर देय हो गी है जो सम्यक् रूप से किया		
	गया और अधिसूचित किया गया था।		
18	बोर्ड-	0 हां 0 नहीं	$\neg$
	(क) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी	,	
	धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) लेखे अनाहूत और असमादत्त		
	धनराशि है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि		
	चुका देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से		
	प्राप्त कर सकेगा, तथा		
	(ख) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं		
	पर ब्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न		
			—

ः भः स्टब्ह	3(1)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष	
	से तब के सिवाय जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा	
	निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड	
	और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार	
	पाई जाए।	
	अंशों (शेयरों) का अंतरण	
19	(i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक	0 हां 0 नहीं
	और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।	
	(ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती	
	का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट	
	नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।	
30	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,-	0 हां 0 नहीं
	(क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर)	
	जहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक	
	नहीं समझता, अथवा	
	(গু) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का	}
	धारणाधिकार है,	
	रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।	
21	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय	0 हां 0 नहीं
	कर सकेगा जबकि-	
	(क) अंतरण लिखत धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए	
	नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;	
	(ख) अंतरण तिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह	
	संबंधित है. प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का	
	वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण	
	करने का उसका है; तथा	
L	(ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।	
:2	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से	0 हां 0 नहीं
; i	कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय	
	पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या	
	जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेः	
i :	परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के	
į	ितए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिन से अधिक के	
	3	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[Part II—Sec. 3(i
	लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।	
	अंशों (शेयरों का परेषण)	
23	(i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह	0 हां 0 नहीं
	सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि	
	वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके	
	नामनिर्देशितियों के विधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन	
	अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी	
	द्वारा मान्यता दी जाएगी।	
	(ii) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा	
	को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियों के	
	साथ संयुक्त धारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।	
24	(i) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप	0 हां 0 नहीं
	जो व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के	
	पेश किए जाने पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उचित रूप से	
	अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात् इसमें यथा उपवंधित के	
	अधीन रहते हुए, या तो-	
	(क) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने	į
	का, या	
	(ख) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या	
	दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा।	
	(ii) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण	
	करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार	
	होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या	
: 	दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।	
25	(i) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता	0 हां 0 नहीं
	है कि स्वंय मुझे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया	
	जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह	
	कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या	
	भेजेगा।	
	(ii) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का	
	निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश	
	(शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा।	
	(iii) इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध,	
	जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के	

।।ग 🔡 - खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
T	अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर,	
I.	जो पूर्वोक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यु न हुई हो या	<b>!</b>
	उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य	
,	द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।	,
26	जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यु	0 हां 0 नहीं
İ	होने या दिवाला निकलने के करण हो जाता है वह उन्हीं लाभांशों और	
	अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता	
	जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने	
	के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में	
	रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि	
	कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के	
	कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर लेः	
	परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे	
	किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश	
	(शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करें तथा यदि	
	उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो	
	तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या	
	अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर	
]	सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया	•
	जाता।	
27	एक कंपनी की दशा में,-	0 हां 0 नहीं
	(i) एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा	
	नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा	
	जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा;	
	(ii) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के	
	लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी	
	घटना की सूचना दी जाएगी;	
!	(iii) ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और	
	दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य	
	हकदार था या दायी था;	·
	(iv) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व	
	लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिति करेगा जो	
	सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।	

	अंशों (श्वेयरों) का समपहरण	
28	यदि कोई सदस्य, किसी आहवान या आहवान की किस्त उसके दिए	0 हां 0 नहीं
	जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात्	
	बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आहवान या किस्त का	
ļ	भाग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने	
	वाली सूचना की लामील कर सकेगा कि आह्वान या उसका उतना	
	भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर	
:	प्रोद्भृत हो गया हो।	
29	पूर्वोक्त सूचना में-	0 हां 0 नहीं
1	(क) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा	
	अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील	
	की तारीख से चौदह दिन के अवमान से पहले का नहीं); तथा	
	(ख) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके	
	पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत	
	यह आहवान किया गया था, समपहरणीय होंगे।	
30	यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता	0 हां 0 नहीं
	तो वह अंश (शयेर), जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस	
	प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना	1
	द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपद्गत किया जा	
<u></u>	सकेगा।	
31	(i) कोई समपहत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति	0 हां 0 नहीं
	से जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा	
	व्ययनित किया जा सकेगा।	
	(ii) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस	
	समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर	
	सकेगा।	0 0
32.	(i) कोई ट्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहत कर लिए गए हैं,	U हा U लहा
	समपहृत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु	
	समपहण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो समपहरण	
	के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेख तत्क्षण देय थीं, देने	
	का दायित्व उस पर बना रहेगा।	
	(ii) ऐसे व्यक्ति का दायित्व उस दशा में और तब खत्म हो जाएगा	
<u> </u>	जिसमें कि और जब अंशों (शेयरों) लेखे सब धनराशियों का पूरा	

ग ॥ <u>-ख</u>	ण्ड 3(i)} भारत का राजपत्र : असाधारण
	भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा।
33	(i) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता 0 हां 0 नहीं
	कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, या सचिव है और कंपनी का अंश (शेयर)
	घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से समपहृत कर लिया गया
	है उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब व्यक्तियों
	का प्रश्न है जो उस अंश (शेयर) का हकदार होने का दावा करते है,
	निश्चायक साक्ष्य होगी।
	(ii) कंपनी वह प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो अंश
	(शेयर) के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस
	अंश (शेयर) का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे अंश (शेयर)
	बेचा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी।
	(iii) अन्तरिती तदुपरि अंश (शेयर) धारक के रूप में किया जाएगा;
	और
	(iv) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन,
	यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही अंश (शेयर)
	के समपहरण, विक्रय या व्ययन संबंधी कार्यवाहियों में की हुई किसी
	अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ता
	है।
34	समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं वे ऐसी किसी 0 हां 0 नहीं
	धनराशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के
	आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के
	रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह
	सम्यक् रूप से किए गए और अधिसूचित आह्वान के आधार पर देय
	हो गई थी।
	पूंजी में परिवर्तन
35.	कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली 0 हां 0 नहीं
••.	इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर
	साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट
	हो।
36	कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते 0 हा 0 नहीं
	हुए-
	(क) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने
	विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में

समेकन और विभाजन कर सकेगी;

- (ख) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पूनः संपरिवर्तित कर सकेगी;
- (ग) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;
- (घ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।

जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-

- (क) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति से और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना उन परिस्थितियों में सम्भव हो, अन्तरित कर सकेंगे;
- परंतु बोर्ड स्टाक की न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर सकेगा किंतु ऐसे ही कि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित रकम से, जिससे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा;
- (ख) स्टाक के धारकों को लाआंशों के, कंपनी के अधिवेशनों में मत देने के और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त होंगे मानो वे उन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भूत हुआ है, किंतु (कंपनी के लाआंसों और लाओं में तथा परिसमापन पर उसकी आस्तियों में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या फायदा स्टाक की ऐसी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि वह रकम अंशों (शेयरों) में विद्यमान होती तो उसके कारण सा विशेषाधिकार या फायदा प्रदत्त नहीं हो सकता;
- (ग) कंपनी के ऐसे विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू होते हैं, स्टाक को लागू होंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और "अंश (शेयर) धारी" शब्दों के अन्तर्गत क्रमशः "स्टाक" और "स्टाक धारी" आएंगे।

0 हां 0 नहीं

कोई कंपनी विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी प्रकार से और विधि 0 हां 0 नहीं

ग !!—खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण		_
	द्वारा प्राधिकृत किसी प्रसंगति के और अपेक्षित सम्मति के अधीन		
` !	रहते हुए,-		
	(क) अपनी अंश (शेयर) पूंजी कम कर सकेगी;		
	(ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधि कम कर सकेगी; अथवा		
	(ग) किसी अंश (शेयर) प्रीमियम खाते में कमी कर सकेगी।		
	लाओं का पूंजीकरण		
39	(i) कंपनी साधारण अधिवेशन में यह संकल्प बोर्ड की सिफारिश	0 हां 0 नहीं	_
	पर कर सकेगी कि-		
	(क) यह वाछंनीय है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी में		
	या लाभ-हानि खाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए		
	उपलब्ध रकम के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा		
	(ख) ऐसी राशि तदनुसार खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से उन		
	सदस्यों के बीच, जो उसके उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह		į
	रकम लाभाश के रूप में वितरित की जाती है और उसी अनुपात में		
	वितरित की जाने के लिए मुक्त कर दी जाती है.		
	(ii) उपरोक्त राशि नकद नहीं दी जाएगी किंतु उसका उपयोजन		
	खंड (iii) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए-		]
	(अ) उन अंशों (शेयरों) लेखे जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत है		
	तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकमें देने में या देने के निमित्त		
	किया जाएगा;		
	(आ) कंपनी के अनिर्गमित अंशों (शेयरों) लेखे पूर्णतः समादत्त		
	करने में किया जाएगा जिनकी बाबत यह मानकर कि वे पूर्णतः		ł
	समादत्त हैं उनकी रकम पूर्णतः जमा दिखा दी जाकर जिनका		l
	आबंटन या वितरण ऐसे सदस्यों की और उनके बीच में पूर्वोक्त		ļ
	अनुपात में किया जाता है; या		l
	(इ) भागतः उपखंड (अ) में विनिर्दिष्ट रूप में और भागतः उपखंड		
	(आ) में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा;		
	(ई) प्रतिभूति प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षिति खाते	•	
	का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजन अनिर्गमित ऐसे अंशों		
ĺ	(शेयरों) लेखे जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस अंशों		
	(शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही		
	किया जाएगा;		
	(3) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प		
	को प्रभावी करेगा।		į

जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब 0 हां 0 नहीं 40 (1) बोई-उन अविभाजित लाभों का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन करेगा जिनके पूंजीकरण के लिए तद्दवारा संकल्प किया गया है तथा पूर्णतः समाप्त अंशों (शेयरों) के, यदि कोई हों, सब आबंटन और निर्गमन करेगा: तथा उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें साधारणतः करेगा। (ii) बोर्ड को यह प्री शक्ति प्राप्त होगी कि वह-अंशों (शेयरों) के आगों में वितरणीय होने की दशा में के लिए ऐसा उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन दवारा या नकदी में संदाय दवारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त अंशों (शेयरों) या डिबेंचरों के हकदार हों वे उन अंशों (शेयरों) को यह दिखाया जाकर कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है वे अंश (शेयर) उनको आबंटित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा भी अपेक्षित हो, उनके विदयमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें या रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभों को, जिनका पंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं; ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और (iii) ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा। - शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना 41 इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा 0 हां 0 नहीं 68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभृतियों का क्रय कर सकेगी। साधारण अधिवेशन वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को 0 हां 0 नहीं 42 असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा। जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण | 0 हां 0 नहीं 43 (i)

फ! [] <b>खि</b> ण्ड	5 3(i)] भारत का राजपत्र : असोधारण	
	अधिवेशन बुला सकेगा।	
· 1	(ii) यदि कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक	
	किसी समय भारत में नहीं है जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त	ŗ.
1	संख्या हो तो कंपनी का कोई निदेशक या कंपनी के कोई दो सदस्य	7
	यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोई द्वारा ऐसा	•
	अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुला	
]	सकेंगे।	<u></u>
	साधारण अधिवेशन में कार्यवाहियां	
44	(i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संटयवहार नहीं	0 हां 0 नहीं
` }	किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर	
	उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कामकाज करने के लिए	
	अग्रसर होता है।	
Ì	(ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय सामान्य अधिवशन के	
   	ि तिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में किए गए उपबंध के अनुसार	
	होगी।	
45	बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में	0 हां 0 नहीं
i !	अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा।	<u> </u>
46	यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या यदि वह अधिवंशन करने के लिए	0 हां 0 नहीं
:	नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं होता	
; ;	है या यदि वह अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए	
<u>:</u> :	रजामन्द नहीं है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य	
; • : !	को अधिवेशन का अध्यक्ष चयन करेंगे।	
47	यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य	0 हां 0 नहीं
! i	करने के लिए रजामन्द नहीं है या उस समय के पश्चात, जो	
	अधिवेशन करने के लिए नियत है, पन्द्रह मिनट के अन्दर कोई	
	निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी	
	एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति होने के लिए चयन करेंगे।	,
48	एक व्यक्ति की दशा में-	0 हां 0 नहीं
	(i) कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने वाला	
	संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एक मात्र	
	सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता	į
	है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि	
	कर दी जाती है:	
	·	

	THE GAZETTE OF INDIA; EXTRAORDINARY	[PARTIISEC. 3
ĺ	(ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और	
İ	दिनांकित की जाएगी;	
	(iii) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने	•
	की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।	
	अधिवेशन का स्थगन	
49	(i) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के	0 हां 0 नहीं
i	लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें	
	गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा	
	जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।	
	(ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस	
•	अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार	
	नहीं किया जाएगा।	[
	(iii) जुबिक अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक	
	दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की	
	सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती	
	है।	
	(iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा	
	उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले	
	कामकाज की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।	
	मतदान अधिकार	
50	किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं	0 हां 0 नहीं
	अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,-	
	(क) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो	
	स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा	
	(ख) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो	
	कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में	
	हैं।	
51	कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में	0 हां 0 नहीं
	अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।	
52	(i) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं	0 हां 0 नहीं
	या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का	
	अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा।	ļ
	(ii) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की	
	जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं।	
	4	

1111 (31-4	= ५(१/) नारा का राजका है जिल्लामारन	
53	ऐसा कोई सदस्य जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी	0 हां 0 नहीं
	न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है,	
	हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक	
1	या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या	
	संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।	
54	ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की	0 हां 0 नहीं
	गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।	
55	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधार्ण अधिवेशन में	0 हां 0 नहीं
:	मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा जबकि कंपनी के अंशों	
:	(शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आहवान या राशियां	
· · !	उसने चुका दी हैं।	
56	(i) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया	0 हां 0 नहीं
	जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर	
	दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में	
I	अननुजात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए वैध	[
	होगा।	
	(ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के	
	सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय	
	अंतिम और निश्चायक होगा।	
	परोक्षी	
57	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य	0 हां 0 नहीं
	प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या	
	उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह	
	अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति	
	जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है	
	अन्यून अइतालीस घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के	
	लिए नियत समय से अन्यून चौबीस घण्टे पूर्व कंपनी के रिजेस्ट्रीकृत	
	कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में	
·	परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।	
58	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105	0 हां 0 नहीं
	के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।	
59	जो मत परोक्षी लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस	0 हां 0 नहीं
	बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला की तत्पूर्व	

ठीक समझे।
सभी चैक, वचनपत्र, ड्राफ्ट, हुण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य 0 हां 0 नहीं
लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें,
यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवों तथा कोषपालों द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड उन धाराओं के

उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे रजिस्टर के रख जाने की बाबत

ग ∏−खाण	ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल	<del></del>
	नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय	
<u> </u>	पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी	
	जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा	
	निष्पादित की जाएंगी।	
65	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस	0 हां 0 <b>नहीं</b>
	प्रयोजन से रखी गई किताब में अपने हस्ताक्षर करेगा।	
66	(i) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति	0 हां 0 नहीं
	होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को	
	अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु यह कि निदेशकों	
	और अपर निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के	
	लिए नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक	
	नहीं हो।	
	(ii) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण	
	अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के	
	अधीन रहते हए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के	
	रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।	
	बोर्ड की कार्यवाहियां	
67	(i) निदेशक बोर्ड कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे	
	विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।	
	(ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला	
	सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यपेक्षा पर बोर्ड का	
	अधिवेशन बुलाएंगे।	
68	(i) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के	0 हां 0 नहीं
	सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्यच मतों	
	की बहुसंख्या के अनुसार होगा।	
	(ii) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि	
	कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।	
69	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है वे निदेशक,	0 हां 0 नहीं
	जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी	
	संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति	
	के कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	PART LI—Se
	बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी	
	कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत	
	है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो	
	कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर	
	सकेंगे!	
70	(i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे	<b>)</b>
	पद धारण करना है।	
	(ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया जाता है या	
	किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन	
	करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो	
	जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का	
	सभापति चुन सकेंगे।	
71	(i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी	0 हां 0 नहीं
	शक्तियाँ में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे	
	सदस्य या सदस्यों से, जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी	
	समितियों को कर सकेगा।	
	(ii) ऐसे बनाई गई सिमिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियाँ	
	का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर	
	बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो।	
72	(i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर	0 हां 0 नहीं.
	सकेगी।	
	(ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि	
	किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए	
	नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो	
	उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन	
	का सभापति चुन सकेंगे।	
73	(i) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और	0 हा 0 नहीं
	अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी।	
	(ii) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित	
	सदस्यों के मर्तों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मर्तों	
	के बराबर होने की दशा में सभापति की द्वितीय या निर्णायक मत	
	प्राप्त होगा।	
74	वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या	0 हा 0 नहीं
	<del></del>	

ा ॥-खण्ड		<u> </u>
:	निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है	i
	तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से	
	ि किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी	
	व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्रह	
	था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति	
	सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए	
	अहिंत था।	
75	अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह	0 हां 0 नहीं
	लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी	
	सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना	
	प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और	·
	प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के	1
	या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।	ŀ
76	एक ट्यक्ति कंपनी की दशा में-	0 हां 0 नहीं
• •	(i) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन	
	में किए जाने वाले सभी कारबारों की प्रविष्टि धारा 118 के अधीन	
	रखी गई कार्यवृत्त प्स्तिका में की जाएंगी;	
	(ii) ऐसा कार्यवृत्त पुस्तिका निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और	
	दिनांकित की जाएंगी;	
	(iii) ऐसी संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त के हस्ताक्षर किए	
	जाने की तारीख से प्रभावी होगा।	
· · · · · · · · ·	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	
	अधिकारी	
77	अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए-	0 हां 0 नहीं
	(i) बोर्ड द्वारा किसी प्रबंधक या सचिव को ऐसी अवधि के लिए	,
	ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकेगा	
	जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे और बोर्ड ऐसे नियुक्त किसी मुख्य	
	अधिकारी को हटा सकेगा।	
	कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया	
	जा सकेगा।	
78	अधिनियम या विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य	0 हां 0 नहीं
78	कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को हटा सकेगा। (ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	PART II
	कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
<del>1</del>   	अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा	
	करता है या उसका दिग्या आना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे	
	व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक	1
	अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप	
	में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।	
. •	मुद्रा	
79	(i) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अमिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।	0 हां 0 नहीं
	(ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त	
	उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा	
	कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की	
	जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए	
	जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या	
	पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में	·
	कंपनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।	
	नामांश और आरक्षिति	
80	कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई	0 हां 0 नहीं
	लाआंश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा	: :
	की गई है।	
81	धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे	0 हां 0 नहीं
	अन्तरिम लाआंश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाओं के	
	आधार पर उसे न्यायंसगत प्रतीत हो।	
82	(i) बोर्ड किसी लाआंश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के लाओं	0 हां 0 नहीं
	में से ऐसी राशि आरिक्षिति या आरिक्षितियों के तौर पर अलग रख	2
	सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाओं का समुचित रूप	
	से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे	:.; :
	किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के निपटने	
	तथा लाआंशों का समतुलन आता है, उन राशियों पर उपयोजन बोर्ड	
		: 1

के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए जाने या लंबित रहने तक वे राशियां वैसी ही विवेकानुसार या तो कंपनी के कारबार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा

बोर्ड किन्हीं लाओं को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता

सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे।

(ii)

o II−@lus	५ ३(१)] भारत की राजपत्र : असाधारण	
	है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे	
1	बिना अग्रनीत कर सकेगा।	
83	(i) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, 0 हां 0 नहीं	
	तो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार	
	हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार जो उन अंशों (शेयरों) लेखे	
1	जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त	
	और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और	
	दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी अंशों (शेयरों) में से	
<u> </u>	किसी अंश (शेयरों) लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो	
	और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अनुसार घोषित किए जा	
	सकेंगे और दिए जा सकेंगे।	
	(ii) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले	
	अग्रिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है	
	या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमों के	
	प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह अंश (शेयरों) लेखे में	
į	समादत्त कर दी गई है।	•
	(iii) सभी लाभांश उन रकमो के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे	
	और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश	
 	दिया जाता है, प्रभाग या प्रभाग के दौरान अंश (शेयरों) लेखे में	
	समादत्त की है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है।	
	किन्तु यदि कोई अंश (शेयरों) उन निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित	
	है कि वह ऐसे दर्जे का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाआंश का	
	हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) के संबंध में	i
	आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
84	बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाभांश में से वे सभी धनराशियां, 0 हां 0 नहीं	
	यदि कोई हो, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कंपनी के	
	अंशों (शेयरों) के संबंध में आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
85	(i) अंशों (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाआंश ब्याज या 0 हां 0 नहीं	
	अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम	
	सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को	Ì
	और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में	
	निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे	ļ
	गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा।	
	(ii) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह	ľ
	127	

और इस अधिनियम दवारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के

बीच नकद या वस्त् रूप में, विभाजित कर सकेगा;

पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, समापक पूर्वोक्त रूप से विभाजित किए जाने के लिए पूर्वोक्त संपत्ति का ऐसा मूल्य कर नियत कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गों के सदस्यों में कैसे किया जाएगा:

समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को अभिदायियों के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है,

111 91-9	2(1)1	। या राज्यम् : असावारण	
ļ <sub>.</sub>	न्यासियों में निहित कर सके	गा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर	
3 -	सकेगा कि कोई भी सदस्य	ं ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य	
	प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी	दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए	
	विवश न किया जाएगा।		
	1	<b>भतिप्</b> र्ति	
91	कंपनी का प्रत्येक अधिकारी कि	सी कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा	0 हां 0 नहीं
	करने में उसके द्वारा उपगत	किसी दायित्व के विरूद्ध कंपनी की	
	आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की उ	नाएगी जो चाहे सिविल या आपराधिक	
	स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उ	सके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें	
	वह दोषम्कत किया गया है य	। जिस पर न्यायालय या अधिकरण	
	द्वारा उसे अन्तोष अन्दत्त कि	या गया है।	
		के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा	
		। से कम ऐसे साक्षी की उपस्थिति में	
	अपना पता, वर्णन और व्यवसा	य यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षरों	
		उसी प्रकार अपना पता, वर्णन और	
		और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर	
	प्ररूप में होंगे।		
	विवरण और उपजीविका, यदि व	कोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में	
	हस्ताक्षर होंगे:-		
		साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)	
	ক্ত্ৰ কা বৰ্ণিক	मेरे समक्ष हस्तावारित हम्ताक्षर	
	म.घ का तमिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्तीक्षर	
	इ.च् का विशिक्त	मेरे समक्ष हरूताक्षरित हस्ताक्षर	
	छ,ज वस् विणिकं	मेरे समझ हस्त्प्रसारित	
		हस्ताक्षर	
	झ,म का वणिक	मेरे समक्ष हम्साकारित हस्साबार	
	হ,ত কা ধৰ্টিক	मेरे समक इस्ताकारित	
		हस्ताक्षर	
	इ.ट का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताकारित	
	उ	गर समझ हस्ताकारत हस्ताकर	

#### सारणी छ

## प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी है, के संगम-अनुच्छेद

- जितने सदस्यों सहित रिजस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सौ होनी,
   जब कभी निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रिजस्ट्रीकृत कर लेगा।
- कंपती अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी च के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के अ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।

अनुच्छेद सं.	विवरण	साग् होना हां/नहीं
	निवर्चन	
1.	(1) इन विनियमों में,- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत हैं; (ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है। (2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट है, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।	0 हां 0 नहीं
	अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार	
1	अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान मृत्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें,	0 हां 0 नहीं

ाग ∏⊸खण्ड ∶	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा	
1	निपटान कर सकेंगे।	
2	(i) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के र्जिस्टर के रूप में	0 हां 0 नहीं
	प्रविष्ट है, ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात्	
	आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के	
	रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या	
	इतनी अन्य कालावधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित	
	की जाए-	
	(ग) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी अंशों (शेयरों)	
}	के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा	
	(ध) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से	
	अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर	
	प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा।	
	(ii) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मुद्रा लगी होगी और उसमे वे अंश	
	(शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समादत्त रकम भी	
	निर्दिष्ट होगी।	
	(iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या	
	किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए	
	कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी	
<b>\</b>	एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों	
	को पर्याप्त परिदान होगा।	·
3	(i) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित	0 हां 0 नहीं
	हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के	
	पृष्ठाकन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को	
	उसक प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर	
	उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि	
	कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के	
	समाधानप्रद रूप में उसका सब्त दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति	
	के निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक	ļ
	नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक	
	प्रमाणपत्र, हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी	-
	किया जाएगा।	;
	(ii) अनुच्छेद (2) आर अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक	
	परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों को लागू होंगे।	was with

[4	विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह	0 हां 0 नहीं
Î	मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए	
1	हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत	
·	धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के	
	लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर),	
	साम्याजात, समाश्रित, भावी या भागिक हित से, न उस अंश (शेयर)	
. ]	के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी	į
<b>.</b>	अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की	
	बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने	
	को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से	
1	विवश होगी।	
5	(i) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन	0 हां 0 नहीं
	शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में	
	हैं परंतु यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई	
	कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तदीन बनाए गए	
	नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है।	
	(ii) कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के	
	अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक	
	नहीं होगी।	
	(iii) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त	:
	अंशो (शेयरों) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत	-
	दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।	
6	(i) यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले	0 हां 0 नहीं
	अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न	
	अधिकारों में तिब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के	
·	निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है। धारा 48 के उपबंधों के	:
	अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो	·
	या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के	
	धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के	
	धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से	
	किया जा सकेगा।	
	(ii) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे	
	हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो	
	जन्यु रस जायपराण क ।लए गणपूर्त (कारम) कम स कम उन दा	

	व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेंयरों) के	
	कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।	
7	अधिमानी या अन्य अधिकारों सहित निर्गमित किसी वर्ग वाले अंशों 0 हां 0	नहीं
	(शेयरों) के धारकों को प्रदत्त् अधिकारों की बाबत तब के सिवाय, जब	•
	कि उस वर्ग वाले अशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों द्वारा	
	अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यह न समझा जाएगा कि	
	उनमें फेरफार ऐसे अतिरिक्त अंशों (शेयरों) के सृजन या निर्गमन से	
	हो गया है जो तुलनात्मक दृष्टि से उनसे एक समान दर्जे के हैं।	
8	धारा 55 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वैसे ही अधिमानी अंश 0 हां 0	नहीं
	(शेयर), साधारण संकल्प द्वारा मंजूरी दी जाने पर इन निबंधनों पर	
	निर्गमित किए जा सकेंगे कि वे ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति के,	
	जैसी कंपनी अंशों (शेयरों) के निर्गमित किए जाने के पूर्व विशेष	
	संकल्प द्वारा अवधारित करे, मोचनीय हैं।	
	धारणाधिकार	<del></del>
9	(i) कंपनी का प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार, अर्थात्:-	
	(ग) हर अंश (शेयर) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है]	
	उस अंश (शेयर) लेखे आहूत या नियत समय पर देय सब धनराशियों	
	के लिए होगा (भले ही वे तत्क्षण देय हों या न हों); तथा	
	(घ) किसी एक व्यक्ति के नाम में रिजिस्ट्रीकृत बने हुए सभी अंशों	
	(शेयरों) पर (जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है।, उन सभी	
	धनराशियों के लिए होगा जो उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा	
	तत्क्षण कंपनी को देय है:	
	परंतु निदेशक बोर्ड, किसी भी समय, किसी अंश (शेयर) की बाबत यह	
	घोषणा कर सकेगा कि उसे इस खंड के उपबंधों से पूर्णतः या भागतः	
	छूट प्राप्त है।	
	(ii) अंश (शेयर) पर कंपनी के धारणाधिकार का विस्तार यदि कोई	
	हों, उस अंश (शेयर) लेख देय सभी लाभांशों का होगा।	
10	कंपनी ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार 0 हां 0 व	नहा
	है, ऐसी रीति से बेच सकेगी जैसा बोर्ड ठीक समझता है:	
	परंतु कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा-	
	(ग) जब तक कि कोई राशि, जिसकी बाबत धारणाधिकार	
	विद्यमान है, तत्क्षण देय न हो; अथवा	
	(घ) जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है,	

··	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(§
	कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है,	
Ì	चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के	
	तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के	
	कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह	
	दिन का अवसान न हो गया हो।	
11	(i) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को	
	प्राधिकृत कर सकेगा।	
	(ii) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरॉ) के धारक	
	के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।	
	(;;;) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखे कि	
	क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेयरों)	
	पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा	
	जो विक्रय कार्यवाहियाँ में हुई हैं।	
12	(i) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए जाएंगे और उनका	0 हां 0 नहीं
	उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है,	
	उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो तत्क्षण देय है।	
	(ii) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो	
	तत्क्षण देय नहीं है, ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन	
	अंशों (शेयरों) पर विक्रय के पूर्व विद्यमान के, उस व्यक्ति को दे दी	
	जाएगी जो विक्रय की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है।	
	अंशों (शेयरों) नेखे आहवान	
13	(i) बोर्ड, ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आह्वान, जो चाहे अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों के अमिहित मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर) उनके अंशों	
	(शेयरों) के आबंदन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं की	
•	गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगाः	
	परंतु कोई भी आह्वान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से	
	अधिक नहीं होगा या ने अंतिम पूर्ववर्ती आह्वान के चुकाने के लिए	
į	नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी।	
	(ii) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए	
	जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह	
	दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे	
	विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा।	
	(iii) कोई आहवान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहत या मुल्तवी किया	

	जा सकेगा।	
14	आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया	0 हां 0 नहीं
	जब से आह्वान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित	
	किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह	]
	किस्तों में चुकाया जाए।	
15	अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस लेखे सभी आहवानों को चुकाने के	0 हां 0 नहीं
	लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।	
16	(i) यदि अंश (शेयर) लेखे आहूत नियत राशि उसे चुकाने के लिए	0 हां0 नहीं
	नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह	
	व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, सके चुकाने के लिए नियत	
	दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस	
	प्रतिशत की दर से या ऐसी नीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड	
	अवधारित करे, ब्याज देगा।	
	(ii) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने	
	का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे।	
17	(i) अंश (शेयर) के निर्गमन के निर्बंधनों के अनुसार जो कोई	0 हां 0 नहीं
	राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के	
	रूप में आबंटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी	
	बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह	
	उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसकों ऐसी	
	राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आहवान	•
	है। (3) मेची मध्ये के जनकाम कार्र की क्या में क्या किरियामें के के	
	(ii) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे	
	सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी	
	किसी आहवान के आधार पर देय हो गी है जो सम्यक् रूप से किया	
	गया और अधिसूचित किया गया था।	
8	बोर्ड-	0 हां 0 नहीं
	(क) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी	<b>V</b> = - <b>V</b> =
	धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) लेखे अनाह्त और असमादत्त धनराशि	
	है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि चुका	
	देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से प्राप्त	
	कर सकेगा,	

और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।  (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।  20 बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा  (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय 0 हां 0 नहीं कर सकेगा जबकि-  (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;  (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिन्हीं वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दिशित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा  (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।			
दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष से तब के सिवाय जबिक कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यया निर्दिस्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड और उस सदस्य के जो वह राशि अधिम रूप से दे रहा है, बीच करार पाई जाए।    अंशों (शेयरों) का अंतरण   (i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।   (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।   वोई, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,   (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा   (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,   रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।   वोई, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि-   (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;   (ख) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;   (ख) अंतरण लिखत के साय उन अंशों (शेयरों) का, जिन्हीं वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपिक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा   (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।   धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरएणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय		(ख) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं	
तब के सिवाय जबिक कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यया निर्दिस्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड और उस सदस्य के जो वह राशि अधिम रूप से दे रहा है, बीच करार पाई जाए।    अंदों (शेयरों) का अंतरण   (i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की और से निष्पादित की जाएगी।   (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।   वोई, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, कि। ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा   (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,   रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।   वोई, किसी अंतरण विखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय   0 हा 0 नहीं कर सकेगा जबकि-   (क) अंतरण विखत को साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिन्ही वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अत्यक्त का वह संवंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अत्यक्त का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है, तथा   (ग) अंतरण विखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।   धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से   0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय		पर ब्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न	
निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड और उस सदस्य के जो वह राशि अधिम रूप से दे रहा है, बीच करार पाई जाए।  अंशों (शेयरों) का अंतरण  (i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की और से निष्पादित की जाएगी। (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।  20 बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय 0 हां 0 नहीं कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्रष्प में है; (ख) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्रष्प में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिन्हें वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतरक का वह अधिकार दिशत करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय		दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष से	
अंगर उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार पाई जाए।  अंगों (शेयरों) का अंतरण  (i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक अंगर अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।  (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।  20 बोई, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,- (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा  (ख) ऐसे किन्हीं अंशीं (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  वोई, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबिक-  (क) अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय पर नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;  (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिन्हों वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दिशत करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा  (ग) अंतरण लिखत कांशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से वह सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय		तब के सिवाय जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा	
पाई जाए।  अंशों (शेयरों) का अंतरण  (i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की और से निष्पादित की जाएगी। (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतिरती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।  20 बोई, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समदत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी ट्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोई, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतरक का वह अधिकार दिशित करने के लिए बोई अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना टेकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय		निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड	
(i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी। (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है। 20 बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,- (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी ट्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है, रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा। 21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरण कर का उसका है, तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है। 22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से ति हों 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय		और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार	
(i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक अंगे अंतरिती द्वारा या उन दोनों की और से निष्पादित की जाएगी। (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतिरिती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।  20 बीर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बीर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है, (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बीर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय	-	पाई जाए।	
और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी। (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।  20 बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,- (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी ट्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है, (ख) अंतरण लिखत धारा उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से वह समय दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय		अंशों (शेयरों) का अंतरण	
(ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रिजस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।  20 बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, किं। ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय 0 हां 0 नहीं कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं	19	(i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक	0 हां 0 नहीं
का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।  20 बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय 0 हां 0 नहीं कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिन्हें वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं		और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।	
नहीं कर दिया जाता वह उस अश (शेयर) का धारक बना रहता है।  20 बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,- (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी ट्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		(ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती	
20 बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,  (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा  (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बीर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि-  (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;  (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनेसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा  (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट	
(क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनेसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय		नहीं कर दिया जाता वह उस अश (शेयर) का धारक बना रहता है।	
नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बीर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय	20	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,-	0 हां 0 नहीं
नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबिक- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय		(क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर)	·
(ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,  रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबिक- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिन्हीं वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय	İ	नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक	
धारणाधिकार है,  रिजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय 0 हां 0 नहीं कर सकेगा जबिक- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रिजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		नहीं समझता, अथवा	
रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।  21 बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय 0 हां 0 नहीं कर सकेगा जबिक- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		(ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का	
वोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबिक- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		धारणाधिकार है,	
वोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबिक- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		,	·
कर सकेगा जबिक- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनेसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।	
(क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय	21	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय	0 हो 0 नहीं
नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है। 22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय	:	कर सकेगा जबकि-	
(ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		(क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए	
संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा  (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;	
वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है। 22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		(ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह	
करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं  कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का	
(ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।  22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं  कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण	
22 धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से 0 हां 0 नहीं कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		करने का उसका है; तथा	
कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय		(ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।	
	22	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से	0 हां 0 नहीं
पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या		कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय	
<u> </u>		पर और ऐसी कालावधियों के लिए जिलंबित किया जा सकेगा जैसे या	

	3(1/) મારા ભારાખત્ર : અસાચાર્ય	
].	जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेः	
÷	परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के	
į پ	लिए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैतालीस दिन से अधिक के	1
	लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।	
	अंशों (शेयरों का परेषण)	
23	(i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह	0 हां 0 नहीं
	सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि	
	वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके	
<u> </u>	नामनिर्देशितियों के निधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन	1
<u> </u> 	अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी	
	द्वारा मान्यता दी जाएगी।	1
	(ii) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा	1
<u> </u>	को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य क्यक्तियाँ के	
	साथ संयुक्त भारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।	
24	(i) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप	0 हां 0 नहीं
,	जो व्यक्ति किसी अंश (शेयर) हा हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के	<u> </u>
	पेश किए जाले पर, जो बोर्ड दवारा समय-समय पर उचित रूप से	Į
	अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात इसमें यथा उपबंधित के	
	अधीन रहते हुए, या ती-	
	(ग) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने	
	का, या	
	(घ) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या	
	दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा।	
	(ii) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण	
	करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार	
	होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या	
	दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।	
25	(i) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता	0 हां 0 नहीं
	है कि स्वय मुझे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया	
	जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित तिखित सूचना, जिसमें यह	į
	कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या	: :
	भेजेगा।	Ì
	(ii) यदि पूर्वॉक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का	
_	निर्वाधन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश	
		<del></del>

(शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा।

इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्वधन और उपबंध, जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर, जो पूर्वोक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यू न हुई हो या उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।

जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यू 0 हां 0 नहीं होने या दिवाला निकलने के करण हो जाता है वह उन्हीं लाभांशों और अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर लेः

'परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश (शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन कर तथा यदि उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अन्पालन नहीं कर दिया जाता।

### एक कंपनी की दशा में.-

- एकमात्र सदस्य की मृत्यू हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा;
- सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी घटना की सूचना दी जाएगी;
- ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य हकदार था या दायी था;

0 हां 0 नहीं

1942 GI/15

श्रीमृ	∥–खण्ड	3(i)

1	(iv) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व	
!	लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिति करेगा जो	J
1	सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।	
	अंशों (शेयरों) का समपहरण	
28	यदि कोई सदस्य, किसी आहवान या आहवान की किस्त उसके दिए	0 हां 0 नहीं
!	जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात्	
	बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आह्वान या किस्त का	
:	आग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने	1
! :	वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आहवान या उसका उतना	
;	भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर	
	प्रोद्भुत हो गया हो।	
29	पूर्वोक्त सूचना में	0 हां 0 नहीं
:	(क) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा	
	अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील	
:	की तारीख से चौदह दिन के अवमान से पहले का नहीं); तथा	
	(ख) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके	
	पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत	
	यह आह्वान किया गया था, समपहरणीय होंगे।	
30	यदि पूर्वोकत जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता	0 हां 0 नहीं
•	तो वह अंश (शयर), जिसकी गबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस	
;	प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्प्रश्चात् किसी श्री समय, किंतु सूचना	
	द्वारः अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपहत किया जा	
i	सकेगा।	
31	(i) कोई समपहत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति	0 हां 0 नहीं
1	सं जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा	
· ·	व्ययनित किया जा सकेगा।	
	(ii) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस	
	समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर	
<u> </u>	सकेगा।	
32.	(i) कोई व्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहृत कर लिए गए हैं,	0 हां 0 नहीं
	समपहत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु	
	समपहण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो समपहरण	
	के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेख तत्क्षण देय थीं, देने	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	PART I
	का दायित्व उस पर बना रहेगा।	
•	(ii) ऐसे व्यक्ति का दायित्व उस दशा में और तब खत्म हो जाएगा	
-	जिसमें कि और जब अंशों (शेयरों) लेखे सब धनराशियों का पूरा	
	भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा।	.:
33	(i) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, या सचिव है और कंपनी का अंश (शेयर) घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से समपहृत कर लिया गया	0 हां 0 नहीं
	है उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब व्यक्तियाँ	
	का प्रश्न है जो उस अंश (शेयर) का हकदार होने का दावा करते हैं,	
	निश्चायक साक्ष्य होगी।	
	(॥) कंपनी वह प्रतिकक्ष यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो अंश	
!	(शेयर) के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस	
	अंश (शेयर) का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे अंश (शेयर)	
	देशा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी।	
	(iii) अन्तरिती तदुपरि अंश (शेयर) धारक के रूप में किया जाएगा; और	
	(iv) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन,	:
	यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही अंश (शेयर)	
	के समपहरण, विक्रय या श्ययन संबंधी कार्यवाहियाँ में की हुई किसी	
•	अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ता	
34	है। समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं वे ऐसी किसी	Ori Ori
J <del>-1</del>	धनराशि के न दिए आने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के	0 61 0 4161
	•	
	आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के	
	रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानी वह	
	सम्यक् रूप से किए गए और अधिसूचित आहबान के आधार पर देख	
·	हो गई थी।	
. <u></u> .	पूंजी में परिवर्तन	
35.	कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली	0 हां 0 महीं
	इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर	
	साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट	

कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते 0 हां 0 नहीं

हो।

36

हुए-

(क) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में

समेकन और विभाजन कर सकेगी;

(ख) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शैयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शैयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;

- (ग) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;
- (घ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।
- 37 जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-
  - (क) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति से और केसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिसती-जुलती रीति से और इतने मिसते-जुलते विनियमों के अधीन जितना उन परिस्थितियों में सम्भव हो, अन्तरित कर सकेंगे;

परंतु बोर्ड स्टाक की न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर सकेगा किंतु ऐसे ही कि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित रकम से, जिससे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा;

- (ख) स्टाक के धारकों को लाभांशों के, कंपनी के अधिवेशनों में मत देने के और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त होंगे मानो वे उन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भूत हुआ है, किंतु (कंपनी के लाभांसों और लाभों में तथा परिसमापन पर उसकी आस्तियों में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या फायदा स्टाक की ऐसी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि वह रकम अंशों (शेयरों) में विद्यमान होती तो उसके कारण सा विशेषाधिकार या फायदा प्रदत्त नहीं हो सकता;
- (ग) कंपनी के ऐसे विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू होते है, स्टाक को लागू होंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और

(शेयरों) लेखे ज़ो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस अंशों (शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही

નાન 11 – ક્લો <sub>ા</sub>	१६ ३(१)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	किया जाएगा;	
1	(3) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प	
	को प्रभावी करेगा।	
40	(I) जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब	0 हां 0 नहीं
	बोर्ड-	
	(क) उन अविभाजित लाओं का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन	
	करेगा जिनके पूंजीकरण के लिए तद्वारा संकल्प किया गया है तथा	
	पूर्णतः समाप्त अंशॉ (शेयरों) के, यदि कोई हों, सब आबंटन और	
	निर्गमन करेगाः तथा	·
	(ख) उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें	
	साधारणतः करेगा।	
	(ii) बोर्ड को यह पूरी शक्ति प्राप्त होगी कि वह-	
	(ग) अंशों (शेयरों) के भागों में वितरणीय होने की दशा में के लिए	
	ऐसा उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा या नकदी में	
	संदाय द्वारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा	
	(घ) किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों	Í
	की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि	
	ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त अंशों (शेयरों) या	
	डिबेंचरों के हकदार हों वे उन अंशों (शेयरों) को यह दिखाया जाकर	
	कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है	
	वे 'अंश (शेयर) उनको आबंटित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा	
	भी अपेक्षित हो, उनके विद्यमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें या	
İ	रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभा को, जिनका	
	प्ंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके	
	कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं;	
	(iii) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और	
	ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा।	
	शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना	
41	इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा (	0 हां 0 नहीं
	68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम	ļ
	के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी	
	अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर	
	सकेगी।	

माग II- <b>खण्ड</b>	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण				
	सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संस्थित कर दिया जाता				
İ	है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि				
	कर दी जाती है:				
	(v) ऐसी कार्यवृत्ल पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्लाक्षरित और				
Ì	दिनांकित की जाएगी;				
ļ	(vi) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने				
ļ	की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।				
	अधिवेशम का स्थान				
49	(v) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के	0 हां 0 नहीं			
	लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें				
<b>\$</b> <b>;</b>	गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा				
<u> </u>	जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।				
ļ	(vi) किसी स्थगित अधिवेशन में उस कारबार से मिन्न, जो उस				
! !	अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार				
	नहीं किया जाएगा।				
	(vii) जबिक अधिवेशन तीस दिन तक के लिए या उनसे अधिक				
	दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की				
	स्चना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती				
)	है।				
İ	(viii) यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा				
	उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले				
ļ	संव्यवहार की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।				
	मतदान अधिकार				
50	किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं	0 हां 0 नहीं			
ļ	अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,-				
!	(ग) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो				
1	स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा				
	(घ) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो				
!	कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में				
	₹1				
51	कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में	0 हां 0 नहीं			
: 1	अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।				
52	(iii) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं	0 हां 0 नहीं			
:	या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मता का				

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY		[PART II—Buc 3
	अपवर्जन फरके, प्रतिगृहीत किया जाएगा।		
	(iv) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की		
	जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं।		
53	ऐसा कोई सदस्य जो विकृतियत्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी	0 हां 0	नहीं
	न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है,		•
	हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक		
	या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या		
	संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।		
54	ऐसे कारबार से मिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की	0 <b>हां</b> 0	नहीं
	गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।		
55	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधारण अधिवेशन में	0 <del>हां</del> 0	नहीं
	मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा अबकि कंपनी के अंशों		
	(शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देख सभी आह्वान या राशियां		
	उसने चुका दी हैं।		
56	(iii) किसी भतदाता की अहंता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया	0 <del>हां</del> 0	नहीं
	जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर		
	दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में		
	अननुज्ञात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए		
	अधिमान्य होगा।		
	(iv) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के		<u> </u>
	सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय		·
	अंतिम और निश्चायक होगा।		
<del></del>	परोक्षी		
57	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य	0 हां 0	नहीं
	प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या		
	उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह		
	अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति	-	
	जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है		
	अन्यून 48 घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के लिए		
	नियत समय से अन्यून 24 घण्टे पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय		
	में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में परोक्षी		
	लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।		
58	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105	0 हां 0	नहीं

	के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।	<u> </u>
59	जो मत परोक्षी लिखल के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस	.0 हां 0 नहीं
	बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला की तत्पूर्व	
	मृत्यु हो गई है या उन्मादी हो गया है या परोक्षी लिखत अथवा वह	
	अधिकार, जिसके अधीन परोक्षी लिखत निष्पादित की गई थी.	
	प्रतिसंहरण कर दिया गया है या वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत परोक्षी	
	दी गई है, अन्तरित कर दिए गए है:	
	परंतु जब कि वह ऐसी मृत्यु, उन्माद, प्रतिसंहरण या अन्तरण की	
	लिखित प्रजापना अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन जिसमें परोक्षी का	
	उपयोग किया जाना है, प्रारंभ होने से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय	
	में न मिली हो।	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	निवेशक बोर्ड	
60	निदेशकों की संख्या और पहले निदेशकों के नाम जापन पर हस्ताक्षर	0 हां 0 नहीं
	करने वालों या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए	
	जाएंगे।	
61	(iii) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप	0 हां 0 नहीं
	में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन	
	प्रोद्भ्त होता है।	
	(iv) इस अधिनियम के अनुसरण में उनको देय पारिश्रमिक के	
	अतिरिक्त निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य	
	व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने-	
	(ग) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या	
	कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में,	
	या	
	(घ) कंपनी के कारबार के संबंध में,	
	समुचित रूप से उपगत किए हैं।	0 - 0 - <del>0</del>
62	कंपनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने में उपगत	U हा U शहा
	सभी व्ययों का संदाय बोर्ड कर सकेगा।	<u> </u>
63		0 हां 0 नहीं
	प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड उन धाराओं (उस	
	धारा के उपबंधों के अध्यधीन) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे	
	विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे	
	रजिस्टर के रख जाने की बाबत ठीक समझे।	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(
64	सभी चैक, वधनबंध, ड्राफ्ट, हुण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य	0 हां 0 नहीं
' 	लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियाँ संबंधी सभी रसीदें,	
	यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवा तथा कोषपालाँ द्वारा	
	अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल	
	नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय	
	पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी	
	जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा	
	निष्पादित की जाएंगी।	
65	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस	0 हां 0 नहीं
	प्रयोजन से रखी गई पुस्तिका मैं अपने हस्ताक्षर करेगा।	
66	(iii) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति	0 हां 0 नहीं
	होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को	
	अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु निदेशकों और अपर	!
	निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोई के लिए	
	नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक नहीं।	
	हो।	
	(iv) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण	
	अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के	
	अधीन रहते हुए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के	
· 	रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा। बोर्ड की कार्यवाहियां	
67	(॥) निदेशक बोर्ड कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन कर	0 हा 0 नहा
	सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे	
•	विनियमित कर संकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।	
	(iv) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला	
	सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यपेक्षा पर बोर्ड का	
-	अधिवेशन बुलाएंगे।	<u> </u>
68		0 हो 0 नहीं
	सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्यच मता	
i	की बहुसंख्या के अनुसार होगा।	
	(IV) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि	
	कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।	
69	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है दे निदेशक,	0 हां 0 नहीं

भाग ॥—ग	ण्य 3(i)] पारत का राजपत्र : असाधारण
	जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी
1	संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति
	के कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो
	बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी
	कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत
	है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो
	कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर
	सकेंगे।
70	(iii) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर 0 हां 0 नहीं
	सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे
	पद धारण करना है।
1	(iv) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया जाता है या
	किसी अधिवेशन में सभापति इस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन
	करने के लिए नियल है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो
	जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का
	सभापति युन सकेंगे।
71	(iii) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोई अपनी 0 हां 0 नहीं
	शक्तियों में से फिसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे
İ	सदस्य या सदस्यों से. जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी
	समितियों को कर सकेगा।
	(iv) ऐसे बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों
	का प्रयोग करने में उभ विनियमों का अनुपासन करेगी जो उस पर
	बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो।
72	(iii) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर 0 हां 0 नहीं
	सकेगी।
	(iv) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि
	किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए
	नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो
١	उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन

का सभापति चुन सकेंगे। 73

(iv)

- समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और 0 हां 0 नहीं
- (iii) अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी।

  - समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित
- सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों

ग्ग []−ख्राण	ह 3(i)] भारत का राजधन : असाधारण	
	कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया	
r	जा सकेगा।	
78	अधिनियम या विनियमां का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य	0 हां 0 नहीं
	कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	
	अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा	
	करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे	
	व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक	
	अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप	
	में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।	
	मुद्रा	
79	(iii) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।	0 हां 0 नहीं
	(iv) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त	
	उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा	
	कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की	
	जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए	
	जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या	
	पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में	
	कंपनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।	
	नाभांश और आरक्षिति	
80	कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई	0 हां 0 नहीं
	लाभांश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा	
	की गई है।	
81	धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे	0 हां 0 नहीं
	अन्तरिम ताभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाओं के	
	आधार पर उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।	
82	(iii) बोर्ड, किसी लाआंश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के	0 हां 0 नहीं
	लाओं में से ऐसी राशि आरक्षिति या आरक्षितियों के तौर पर अलग	
	रख सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाओं का समुचित	
	रूप से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है	
	वैसे किसी प्रयोजन्न के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के	
	निपटने तथा लाआंशों का समतुलन आता है, उन राशियों पर	ļ
	उपयोजन बोर्ड के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए	
	जाने या लंबित रहने तक वे राशियां वैसी ही विवेकानुसार या तो	ļ

		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—Gas. S
		कंपनी के कारवार में लगाई आ सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित	1
1	<b>.</b> 	की जा सकेंगी जैसे बोई समय-समय पर ठीक समझे।	
		(iv) बोर्ड किन्हीं साओं को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता	
		है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे	:
		बिना अयनीत कर सकेगा।	
	83	(iv) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों,	0 हां 0 नहीं
		तो लाआंश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार	
		हैं, सब सामांश उन रकमों के अनुसार जो उम अंशों (शेयरों) लेखे	
		जिनकी बाबत सामांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त	
١		और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और	
		दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी अंशाँ (शेयराँ) में से	
		किसी अंश (शेयरॉ) लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो	
		और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अमुसार घोनित किए जा	į
		सकेंगे और दिए जा सकेंगे।	:
		(v) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले	:
		अधिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है	; :
		या समादत्त मानी आकर जमा कर ती गई है, इन विनियमों के	3
		प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह अंश (शेयरॉ) लेखे में	
İ		समादत्त कर दी गई है।	
		(vi) सभी लाभांश उन रकमों के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे	
		और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश	
		दिया जाता है, प्रभाग वा प्रभाग के दौरान अंश (शेयरॉ) लेखे में	i
		समादल्त की है या समादला मानी जाकर जमा कर ही गई है।	
	İ	किन्तु यदि कोई अंश (शेयरॉ) उस निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित	
		है कि वह ऐसे दर्ज का है कि विशिष्ट तारीख से वह लामांश का	
		हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) के संबंध में	
		आह्वान सेखे या अन्यथा तत्सण देव हैं।	A STATE OF THE STA
	84	बोर्ड किसी सदस्य को देव किसी लाभांश में से वे सभी धमराशियां,	0 हो 0 नहीं -
}	Ì	यदि कोई हो, काट लेगा जो फंपनी को इस सदस्य द्वारा कंपनी के	•
		अंशों (शेयरों) के संबंध में आहवान लेखे या अन्यथा तत्स्रण देय हैं।	
ľ	85	(iii) अंशों (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाआंश क्याज या	0 हां 0 नहीं
	ļ	अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम	
		सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को	
		और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में	
•	<del></del>		

	7.00	
!	जिर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे	
!	गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा।	
•	(iv) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह	
	उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता हैं, देय होगा।	
86	अंश (शेयर) के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे अंश	0 हां 0 नहीं
	(शेयर) की बाबत देय किन्हीं लाभांशीं, बोनसों या अन्य धन राशियों	}
i i	के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।	
87	ऐसे किसी लाआंश की, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, सूचना	0 हां 0 नहीं
!	अधिनियम में वर्णित रीांते से उन व्यक्तियों को भी भेज दी जाएगी	
	जो उसमें अंश (शेयर) पाने के हकदार है।	
88	किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कंपनी द्वारा देय न होगा।	0 हां 0 नहीं
- <del> </del>	लेखा	
89	(iii) बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेगा कि क्या और किस हद	0 हां 0 नहीं
	तक और किस-किस समय तथा स्थानों पर तथा किन शर्ती या	
	विनियमों के अधीन, कंपनी के लेखे और बहियां या उनमें से कोई भी	
	लेखा या वही सदस्यों के, जो निदेशक नहीं है, निरीक्षण के लिए खुली	
	रहेंगी।	
	(iv) ऐसे किसी सदस्य (निदेशक न होते हुए भी) को, कंपनी के	
	किसी लेखा या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई	
	अधिकार उस अधिकार के सिवाय न होगा जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त	
	है या बोर्ड द्वारा या कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्राधिकृत	
	किया गया है।	
	परिसमापन	
90	इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याय 20	0 हां 0 नहीं
	के उपबंधों के अधीन रहते हुएः	
	(iv) यदि कंपनी का परिसमापन किया जाए तो समापक कंपनी की	}
	पूरी अस्तियां या उनका कोई भाग, भले ही वे एक ही किस्म की	
	संपत्ति हो या नहीं, कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई मंजूरी से	
	और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के	
	बीच नकद या वस्तु रूप में, विभाजित कर सकेगा;	
	(v) पूर्वीक्त प्रयोजन के लिए, समापक पूर्वीक्त रूप से विभाजित	
	किए जाने के लिए पूर्वोक्त संपत्ति का ऐसा मूल्य कर नियत कर	
	सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा	
	विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गों के सदस्यों में कैसे	

किया जाएगा;

(vi) समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को अभिदायियों के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है, न्यासियों में निहित कर सकेगा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर सकेगा कि कोई भी सदस्य ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए विवश न किया जाएगा।

### शतिपूर्ति

91

कंपनी का प्रत्येक अधिकारी किसी कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा 0 हां 0 नहीं करने में उसके द्वारा उपगत किसी दायित्व के विरुद्ध कंपनी की आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की जाएगी जो चाहे सिविल या आपराधिक स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें वह दोषमुक्त किया गया है या जिस पर न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसे अनुतोष अनुदत्त किया गया है।

दिप्पणः अनुच्छेद संगम-ज्ञापन के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे जो कम से कम ऐसे साक्षी की उपस्थिति में अपना पता, वर्णन और व्यवसाय यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षरों को अनुप्रमाणित करेगा और उसी प्रकार अपना पता, वर्णन और व्यवसाय, यदि कोई हो जोड़ेगा और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर प्ररूप में होंगे।

विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में हस्ताक्षर होंगे:-

अभिन्नविर्ध के साम. पते. विकरण और उपजीविकाएं

सारी *(बान,* पुन, विवरण राषा अपूर्वाणिक के साथ)

मेरे समक्त हस्तामारित

हरूका

तारीख	 मास	**********	20.	

1942 GIM5-4

#### सारणी ज

# प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम- अनुच्छेद

### निर्वचन

लागू होना

हां/नहीं

- 1. (1) इन विनियमों में..
- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिग्रेत है;
- (ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।
- (2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में आए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपांतर में हैं!

#### भदस्य

- 2. (1) जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या साँ होगी, किंतु जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार से यह अपेक्षित हो, निदेशक बोडे समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा।
- 2. ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड सदस्यता में प्रविष्ट कर ले, कंपनी के सदस्य होंगे।

### साधारण अधिवेशन

- 3. वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न सभी साधारण अधिवेशन असामान्य साधारण अधिवेशन कहे जाएंगे।
- 4. (i) जब कभी बोर्ड ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।
- (ii) यदि किसी समय कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक भारत में नहीं हैं, जितनी गणमूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त है, तो कंपनी का कोई निदेशक या कोई दो सदस्य असामान्य साधारण अधिवेशन यथासंभव निकटतम उसी रीति से बुला सकेंगे जिससे ऐसा अधिवेशन बोई द्वारा बुलाया जा सकता है।

### साधारण अधिवेशनों में कार्यवाहियां

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

- 5. (i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया
  जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) उस समय पर उपस्थित नहीं है,
  जब अधिवेशन कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है।
- (ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में यथा उपबंधित होगी।
- 6. बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।
- 7. यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है या यदि अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं हो तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।
- 8. यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं है या यदि उस समय से पन्द्रह मिनट के अंदर जो अधिवेशन करने के लिए निय्त है, कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुनेंगे।

### अधिवेशन का स्थमन

- 9. (i) अध्यक्ष समय-समय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थान उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणमूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।
- (ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अ<mark>धिवेशन में</mark> बाकी रह गया था जिससे वह स्थगित हुआ था, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा।
- (iii) जबिक अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है।
- (iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले संव्यवहार की कोई सूचना भी देनी आवश्यक नहीं होगी।

मताधिकार

हां/नहीं

- 10. हर सदस्य का एक मत होगा।
- 11. यदि ऐसा कोई सदस्य, जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने, जिसे पागलपन विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में या मतांकन में अपनी समिति या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा तथा ऐसी कोई समिति या संरक्षक, मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।

हां/नहीं

- 12.कोई सदस्य किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वर्तमान में उसके द्वारा कंपनी को संदेय सभी राशियों का संदाय नहीं कर दिया गया हो।
- 13.(i) किसी मतदाता की अर्हता के बारे में कोई आक्षेप उस अधिवेशन में या स्थिगत अधिवेशन में, जिसमें वह मत जिस पर आक्षेप किया गया है, दिया गया या निविदत्त किया जाता है, के सिवाय नहीं किया जाएगा और ऐसा हर मत जिसका दिया जाना ऐसे अधिवेशन द्वारा अननुज्ञात नहीं किया गया है सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा।

हां/नहीं

- (ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।
- 14. जो मत परोक्षी- लिखत के निबंधनों के अनुसार दी गई है वह इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वे की मृत्यु हो गई है या पागल हो गया है या परोक्षी- लिखत या वह प्राधिकार, जिसके अधीन परोक्षी-लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहत कर दिया गया है या प्रंजियों का स्थानांतरण जिसके संबंध में परोक्षी दी गई है:

परंतु यह तब जब कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, प्रतिसंहरण या अंतरण की लिखित सूचना अधिवेशन के प्रारंभ होने या अधिवेशन के स्थगित होने, जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो।

हां/नहीं

- 15. कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार अधिवेशन में इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा, अपने मत का प्रयोग कर सकेगा तथा केवल एक मत देगा।
- 16. ऐसे कारबार से मिन्न कोई कारबार को जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान कराए जाने के लंबित रहने तक अग्रसर किया जा सकेगा।

हां/नहीं

हां/नहीं

#### निदेशक बोर्ड

17. निदेशकों की संख्या और पहली बार वाले निदेशकों के नाम जापन पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।

हां/नहीं

- 18. (i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि दिन प्रतिदिन प्रोद्ध्त होता है।
- (ii) अधिनियम के अनुसरण में उनको संदेय पारिश्रमिक के साथ-साथ निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने,-
  - (क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या
  - (ख) कंपनी के कारबार के संबंध में,

समुचित रूप से उपगत किए हैं।

### बोर्ड की कार्यवाहियां

- 19. (i) निदेशक बोर्ड कामकाज का संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को स्थगित या अन्यथा विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।
- (ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और निदेशक की अध्यपेक्षा पर प्रबंधक या सचिव बुलाएंगे।
- 20. (i) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा।
- (ii) मर्तों के बराबर होने की दशा में, बोर्ड के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- 21. वे निदेशक इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई रिक्ति है, जो बने रहते हुए कार्य कर सकेंगे, किंतु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए, अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति (कोरम) से कम हो जाती है तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है या बने रहे हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकेंगे किंतु अन्य प्रयोजन के लिए कार्य न कर सकेंगे।

हो/गर

RI/PH

**5**\$/**43**\$

- 22. (i) बोई अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है।
- (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष उस समय के पश्चात, जो अधिवेशन के लिए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निर्देशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष होने के लिए चुन सकेंगे।

23. (i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों द्वारा मिलकर बनी समितियों को जैसे या जैसों को बोर्ड ठीक समझता है, कर सकेगा।

- (ii) ऐसी बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हों।
- 24. i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेगी।
- (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन के किए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चुन सकेंगे।
- 25. i) समिति जैसा भी उचित समझे अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी।
- (ii) समिति के किसी अधिवेशन में उठने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।
- 26. वे सब कार्य जो बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वाक्त रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्देह था ऐसे विधिमान्य होंगे ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था।
- 27. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह लिखित संकल्प, जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदारे हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी

- 28. अधिनियम के उपबंधों के अध्यवीन-
- (i) बोर्ड द्वारा किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को ऐसी अवधि के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शतौं पर जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड के द्वारा ऐसे नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को किसी संकल्प द्वारा हटा सकेगा;
- (ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
- 29. अधिनियम का या इन विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है, उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या प्रति, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में या स्थान पर कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।

मुद्रा

- 30. (i) बोर्ड, मुद्रा की स्रक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।
- (ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड या इस आधार पर उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति के संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की यी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी, और वे दो निदेशक और सचिव या अन्य व्यक्ति, जैसा पूर्वोक्त है, उस हर लिखत पर जिस पर उनकी उपस्थिति में कपनी की मुद्रा ऐसे लगाई गई है, हस्ताक्षर करेंगे।

टिप्पणः अनुच्छेदों पर संगम-ज्ञापन के प्रत्येक अभिदायी के हस्ताक्षर होंगे, जिनका अपना पता, विवरण, उपजीविका,यदि कोई है, कम से कम एक साक्षी के समक्ष, जो हस्ताक्षर तथा उसी रूप में दिए गए पते, विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, का सत्यापन करेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में दिया जाएगाः

**िकारियों के आस. पते. विवरण और उपजीविकार : स्वारी आस. पता. विवरण** 

Sisteral Property of the Control of

أسندناه

भाग [[-खण्ड 3(i)]	मारत का राजपुत्र : असाधारण	105
कं.ख का विक	और समक्ष हस्ताविरत-	
	pressure.	
ग,घ का विक	भी समके हस्तकारित	
	Trans.	
5,14	मेरे सम्बद्धा इन्स्तावरिक	
	<b>Extraga</b>	
थ.स का विक	मेर समक इस्तकारित	
	इस्ता <del>वा</del> र	
इर.म वस श्रीकार	मेरे समझ इस्सामानित	
	इस्सामध्य	
ट.ठ , स्त विके	मेरे सम्बद्ध इस्तामारित	
	इन्सर्थार	
इ.ह वर विका	मेरे समाग इस्तामारित	
	जडरगंबर <sup>द</sup>	

तारीख ...... मास ...... 20 .....

## सारणी ज

# अपरिसीमित कंपमी के संगम-अनुच्छेद

अनुच्छेद	বর্তান	सागू होना
संख्या		हां/नहीं
1	ऐसे सदस्यों की संख्यां, जिनके साथ कंपनी रजिस्ट्रीकृत किए जाने का प्रस्ताव	हां/नहीं
{	करती है, सौ है किंतु निदेशक बोर्ड समय-समय पर, जब कभी कंपनी या कंपनी	
	के कारबार में उसकी अपेक्षा की जाती है, सदस्यों की वृद्धि रजिस्टर कर सकेंगे।	į
	कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद अनुसूची 1 में सारणी ज के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू	। हा/ग्रहा
2	होंगे।	

सारणी च- अंशाँ (शेयराँ) द्वारा परिसीमित कंपनी का संगम अनुच्छेद				
अनुच्छेद	विवरण	सागू होना		
सं.		हां/नहीं		
	भिवर्चन			
1.	(1) इन विनियमाँ में,-	0 हां 0 नहीं		
	(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;			
	(ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।			
	(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और			
	पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट है, वे ही अर्थ होंगे जो			
	अधिनियम में या उस तारीख़ को, जब ये विनियम कंपनी पर	:		
	आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।			
	अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार	-		
II	अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी	0 हां 0 नहीं		
1	की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो			
	उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में			
	और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान			
	मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें,			
	निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा			
	निपटान कर सकेंगे।			
2	(iv) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के रूप में	0 हां 0 नहीं		
	प्रविष्ट है, जापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात्			
	आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के			
	रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या			
	इतनी अन्य कालावधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित			
	की जाए-			
	(ङ) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी अंशॉ (शेयरॉ)			
	के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा			
	(च) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर			
	प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा।			
	(v) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर भुद्रा लगी होगी और उसमे वे अंश			
	(शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समादत्त रकम भी			
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	L		

ाग ∐⊸खा	ण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
	निर्दिष्ट होगी।
1	(vi) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या
	किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए
	कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी
	एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों
	को पर्याप्त परिदान होगा।
3	(iii) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित 0 हां 0 नहीं
	हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के
	पृष्ठाकंन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को
	उसके प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर
	उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि
	कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के
	समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति के
	निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया
	प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र,
	हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी किया जाएगा।
	(iv) अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक
	परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबॅचरों को लागू होंगे।
4	विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह 0 हां 0 नहीं
	मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए
	हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत
	धारक के आर्त्यान्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के
	लिए विक्रश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर),
	साम्याजात, समात्रित, भावी या भागिक हित से, न उस अंश (शेयर)
	के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी
	अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की
	बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने
	को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से
	विवश होगी।
5	(iv) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन 0 हां 0 नहीं
=	शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में
	हैं परंत् यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई
	कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तदीन बनाए गए
	नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है।

	THE GAZETTE OF INDIA. EXTRAORDINARY	[FAX: II—sax-s
	(v) 'कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के	
i.	अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक	
	नहीं होगी।	
	(vi) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त	
	अंशो (शेयरों) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत	
	दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।	
6	(iii) यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले	0 हां 0 नहीं
	अशॉ (शेयरॉ) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न	
	अधिकारों में (तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के	
	निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित हैं। धारा 48 के उपबंधों के	
	अधीन रहते हुए तथा अले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो	
ŀ	या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के	
	धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयरॉ) के	
	धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से	
	किया जा सकेगा।	
	(iv) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे	
	हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लाग् होंगे	
	किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कौरम) कम से कम उन दो	
	व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शैयरों) के	
	कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।	
7	अधिमानी या अन्य अधिकारों सहित निर्गमित किसी वर्ग वाले अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों) के धारकों को प्रदत्त् अधिकारों की बाबत तब के सिवाय, जब	
	कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों द्वारा	
	अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यह न समझा जाएगा कि	
	उनमें फेरफार ऐसे अतिरिक्त अंशों (शेयरों) के सृजन या निर्गमन से	•
	हो गया है जो तुलनात्मक दृष्टि से उनसे एक समान दर्ज के हैं।	
8	धारा 55 के उपबंधों के अधीन रहते हुए देसे ही अधिमानी अंश	0 हां 0 नहीं
	(शेयर), साधारण संकल्प द्वारा मंजूरी दी जाने पर इन निबंधनाँ पर	- 4 14.
	निर्गमित किए जा सकेंगे कि वे ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति के,	
	जैसी कंपनी अंशों (शेयरों) के निर्गमित किए जाने के पूर्व विशेष	
	संकल्प द्वारा अवधारित करे, मोचनीय हैं।	
-	धारणायिकार	*
9	(iii) कंपनी का प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार :-	
	<ul><li>(ङ) हर अंश (शेयर) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है]</li></ul>	

	200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
1	उस अंश (शेयर) लेखे आहूत या नियत समय पर देय सब धनराशियाँ	
1	के लिए होगा (अले ही वे तत्क्षण देय हाँ या न हाँ); तथा	
]	(च) किसी एक व्यक्ति के नाम में रिजस्ट्रीकृत बने हुए सभी अंशों	
	(शेयरॉ) पर (जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है), उन सभी	
	धनराशियों के लिए होगा जो उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा	
	तत्काण कंपनी को देय हैं:	
	परंतु निदेशक बोर्ड, किसी भी समय, किसी अंश (शेयर) की बाबत यह	
	घोषणा कर सकेगा कि उसे इस खंड के उपबंधों से पूर्णतः या भागतः	
]	छूट प्राप्त है।	
]	(iv) अंश (शेयर) पर कंपनी के धारणाधिकार का विस्तार यदि कोई	
	हो, उस अंश (शेयर) लेख देय सभी लाभांशों का होगा।	
10	कंपनी ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार	0 हां 0 नहीं
	है, ऐसी रीति से बेच सकेगी जैसा बोर्ड ठीक समझता है:	
ļ	परंतु कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा-	
	(ङ) जब तक कि कोई राशि, जिसकी <b>बा</b> बत धारणाधिकार	
i	विद्यमान है, तत्क्षण देय म हो; अथवा	
(	(च) जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है,	
	कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है,	
	चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के	
	तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के	
	कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह	ļ
	दिन का अवसान न हो गया हो।	
11	(iv) ऐसे किसी विक्रय को प्रश्नादी करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को	
	प्राधिकृत कर सकेगा।	
!	(v) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरों) के धारक	
	के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।	
	(vi) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखे कि	
	क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेसरों)	
	पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा	
	जो विक्रय कार्यवाहियों में हुई हैं।	
12	(iii) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए जाएंगे और उनका	0 हां 0 नहीं
	उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है,	
	उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो तत्क्षण देय है।	1

	(iv) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो	
)	तत्क्षण देय नहीं है, ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन	·
	अंशों (शेयरों) पर विक्रय के पूर्व विद्यमान के, उस व्यक्ति को दे दी	
	जाएगी जो विक्रय की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है।	
	अंशों (शेयरों) लेखे आह्वान	
13	(iv) बोर्ड, ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आह्वान, जो चाहे अंशों	0 हां 0 नहीं
:	(शेयरों के अभिहित मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर) उनके अंशों	
	(शेयरों) के आबंटन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं की	
	गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगः	
	परंतु कोई भी आहवान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से	
	अधिक नहीं होगा या न अंतिम पूर्ववर्ती आह्वान के चुकाने के लिए	
	नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी।	
	(v) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए	
	जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह	
	दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे	
	विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा।	
ļ	(vi) कोई आह्वान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहत या मुल्तवी किया	
	जा सकेगा।	
Į		
14	आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया	0 हां 0 नहीं
ĺ	जब से आह्वान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित	
	किया गया था तथा उसकी काबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह	
	किस्तों में च्काया जाए।	
15	अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस लेखें सभी आहवानों को चुकाने के	0 हां 0 नहीं
	लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।	
16	(iii) यदि अंश (शेयर) लेखे आहृत नियंत राशि उसे चुकाने के लिए	0 हां 0 नहीं
``	नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह	
	व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, सके चुकाने के लिए नियत	
	दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस	
	प्रतिशत की दर से या ऐसी नीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड	·
	अवधारित करे, ब्याज देगा।	
	(iv) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने	·
	का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे।	,
17	(iii) अंश (शेयर) के निर्गमन के निबंधनों के अनुसार जो कोई	0 हां 0 नहीं
L		:

ग ∐∼खण्ड	s 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	<u>.</u>
	राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के	
<u> </u>	रूप में आबंदन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी	• ]
	बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह	• ]
	उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसकों ऐसी	
	राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आहवान	
•	है।	
	(iv) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे	
	सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में	
	या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी	
	किसी आहवान के आधार पर देय हो गी है जो सम्यक् रूप से किया	
	गया और अधिस्चित किया गया था।	
18	बोर्ड-	0 हां 0 नहीं
	(ग) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी	
	धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) लेखे अनाहृत और असमादत्त	
	धनराशि है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि	
	चुका देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से	
	प्राप्त कर सकेगा, तथा	
	(घ) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं	İ
	पर ब्याज (उस दशा के सिवाव, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न	
	दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष	
	से तब के सिवायं जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा	ļ
	निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड	
	और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार	
	पाई जाए।	
	अंशों (शेयरों) का अंतरण	
19	(iii) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक	0 हां 0 नहीं
	और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।	
	(iv) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती	
	का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट	
	नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।	
20	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,-	0 हां 0 नहीं
	(ग) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर)	
	नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक	
	नहीं समझता है, अथवा	

4	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II
[ ]	(घ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,	
	रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।	
21	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि-	0 हां 0 नहीं
	(घ) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;	
	(ङ) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिमसे वह	
	संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अलंरक का	
	वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण	
	करने का उसका है; तथा (च) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।	
22	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से	0 हां 0 नहीं
	कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय	
	पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या	
	जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेः	
	परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के	·
1	लिए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिन से अधिक के	į
	लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।	
	अंशी (शेयरी का परेचण)	
23	(iii) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह	0 हां 0 नहीं
	सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि	
	वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके	į
	नामनिर्देशितियों के विधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन	
	अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी दवारा मान्यता दी आएगी।	
	(iv) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा	
	को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियाँ के	
	साथ संयुक्त धारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।	
24	(iii) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप	0 हां 0 महीं
	ओ व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के	,
	पेश किए जाने पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उचित रूप से	
}	अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात् इसमें यथा उपबंधित के	

1/4 II - <b>G</b> 104	५ ३(१) भारत का राजपत्र : असाधारण	
	अधीन रहते हुए, या तो-	
1	(इ) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने	
	का, या	
	(च) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या	
	दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा।	
	(iv) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण	
	करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार	
	होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या	
	दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।	
25	(iv) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता 0 हां 0 नहीं	
	है कि स्वंय मुझे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया	
	जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह	
	कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या	
	भेजेगा।	
	(v) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का	
	निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश	
	(शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा।	
 	(vi) इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध,	
	जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के	
	अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर,	
	जो पूर्वीक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यु न हुई हो या	
	उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य	
	द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।	
26	जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यु 0 हां 0 नहीं	
	होने या दिवाला निकलने के करण हो जाता है वह उन्हीं लाभाशों और	
	अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता	
	जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने	
	के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में	
	रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि	
	कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के	
	कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर लेः	
	परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे	
	किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश	
	(शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करें तथा यदि	
	(१७३५) नव असारस नरका का स्वानासा दका वर्ष कार्याचवा कर संवर्ध वास	_]

1	D.	\RT	TT		Q.	-	4
		WI.	11	_	3		м

ļ	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC
1	उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो	
1	तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या	
	अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर	-  -
	सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया	
	जाता।	
27	एक कंपनी की दशा में,-	0 हां 0 नहीं
	(v) एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा	
	नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा	
	जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा;	į
	(vi) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के	
	लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी	
	घटना की सूचना दी जाएगी;	
•	(vii) ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और	
	दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य	
	हकदार था या दायी था;	
	(viii) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व	
	लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिति करेगा जो	
	सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।	
	अंशों (शेयरों) का समपहरण	
28	यदि कोई सदस्य, किसी आहवान या आहवान की किस्त उसके दिए	0 हां 0 नहीं
	जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात्	
	बोई, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आह्वान या किस्त का	
	भाग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने	
	वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आह्वान या उसका उतना	
	भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर	
	प्रोद्भृत हो गया हो।	
29	पूर्वोक्त सूचना में-	0 हां 0 नहीं
	(ग) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा	
	अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील	
	की तारीख से चौदह दिन से पहले का नहीं); तथा	
	(घ) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके	
;	पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत	
i 	यह आह्वान किया गया था, समपहरणीय होंगे।	
L	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ाग ॥—खण्ड ३	(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	<u>1</u>
30	यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता	0 हां 0 नहीं
ę Į	तो वह अंश (शयर), जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस	
	प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना	
i i	द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपहत किया जा	
	सकेगा।	
31	(iii) कोई समपहत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति	0 हां 0 नहीं
 	से जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा	
	व्ययनित किया जा सकेगा।	
1	(iv) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस	
į	समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर	
	सकेगा।	) 
32.	(i) कोई व्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहृत कर लिए गए हैं,	0 हां 0 नहीं
! !	समपहत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु	
3	समपहण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो समपहरण	:
;	के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेख तत्क्षण देय थीं, देने	
	का दायित्व उस पर बना रहेगा।	
!	(ii) ऐसे व्यक्ति का दायी उस दशा में और तब समाप्त हो जाएगा	
:	जिसमें कि और जब अंशों (शेयरों) लेखे सब धनराशियों का पूरा	į
	भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा।	
33	(v) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता	0 हां 0 नहीं
	कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, या सचिव है और कंपनी का अंश (शेयर)	
:	घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से समपहत कर लिया गया	
	है उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब व्यक्तियों	
i :	का प्रश्न है जो उस अंश (शेयर) का हकदार होने का दावा करते है,	
	निश्चायक साक्ष्य होगी।	
	(vi) कंपनी वह प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो अंश	ì
:	(शेयर) के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस	
	अंश (शेयर) का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे अंश (शेयर)	
	बेचा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी।	
	(vii) अन्तरिती तदुपरि अंश (शेयर) धारक के रूप में किया जाएगा;	
	और	1
ı	(viii) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन,	
:	यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही अंश (शेयर)	
	के समपहरण, विक्रय या व्ययन संबंधी कार्यवाहियों में की हुई किसी	

हैं।  34 समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं, वे ऐसी किसी पनराशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के अधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मून्य लेखे चाहे प्रीमियम के रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप में किए गए और अधिमूचित आहवान के आधार पर देय हो गई थी।  पूंजी में परिवर्तन  35. कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयर) में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर राधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हों।  36. कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जे अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में संगोकन और विभाजन कर सकेगी;  (व) अपने सभी या उनमें से किल्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) में संगोकन और विभाजन कर सकेगी;  (उ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उम में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (उ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उम में किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से वन्म है, उपदिभाजित कर सकेगी;  (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने कि लिए करार ही हुआ है, रद कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (ा) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी आग को वैसी ही रीति में और वैसे ही विनयमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) सहार उद्धत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलती-जुलती विलयमों के अधीन जित्यमों के अधीन नियतों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन मिलती-जुलती विलयमों के अधीन मिलती-जुलती विलयमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन मिलती-जुलती विलयमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमों के अधीन जित्यमें के अधीन जित्यमें के अधीन जित्यमों कि सार सित्य सित्यमें के अधीन जित्यमों	) 	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PAKI II
अभ समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं, वे ऐसी किसी पन्ताशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्ममन के निबन्धनों के अधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मून्य लेखे चाहे प्रीमियम के रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप में किए गए और अधिमूचित आहवान के आधार पर देय हो गई थी।  पृजी में परिवर्तन  35. कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पृंजी में समय-समय पर राधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्देष्ट हों।  कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए (अ) अपनी पूरी अंश (शेयर) पृंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में सामेदन अपने संपरिवर्तित कर सकेगी;  (व) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मून्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (उ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी;  (ज) ऐसे किन्हों अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो तिए गए हैं और न जिनके तिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रह कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (भा स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति में और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनते वह स्टाक उद्धूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-		अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ता	
प्रजाशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य तेखे चाहे प्रीमियम के रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप में किए गए और अधिस्चित आहवान के आधार पर देय हो गई थी।  पूंजी में परिवर्तन  35. कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर रागधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।  36. कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए हो।  37. (ड) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समयत्वत्त अंशों (शेयरों) के रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समयत्वत्त अंशों (शेयरों) में उस रुक्त के समयत्वत्त अंशों (शेयरों) में उस रुक्त के पूर्णतः समयत्वत्त अंशों (शेयरों) में उस रुक्त को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (अ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी का उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (अ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (ग) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति थे और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	i	है।	
अधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य तेखे चाहे प्रीमियम के रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप में किए गए और अधिस्चित आहवान के आधार पर देय हो गई थी।  पूंजी में परिवर्तन  35. कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।  36. कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए (३) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी आग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (व) अपने सभी या उनमें से किल्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) में समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (उ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी के उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (अ) ऐसे किल्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और ल जिलके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (ग) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी आग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	34	समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं, वे ऐसी किसी	0 हां 0 <b>नहीं</b>
हण में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप में किए गए और अधिस्चित आहवान के आधार पर देय हो गई थी।  पूंजी में परिवर्तन  पूंजी में परिवर्तन  प्रेंची स्वार्ति की जाने वाली शतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हों।  कपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए (३) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यामान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में सम्मेकन और विभाजन कर सकेगी;  (व) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी; (अ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को जा प्रज्ञ में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से वन्म है, उपविभाजित कर सकेगी;  (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो तिए गए हैं और न जिनके तिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रह कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (ग) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्भृत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	ļ 1	धनशिश के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के	
सम्यक् रूप में किए गए और अधिसूचित आहवान के आधार पर देय हो गई थी।  पूंजी में परिवर्तन  कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी रिकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी रिकम वाले अंशों (शेयर) पूंजी में समय-समय पर राण्धारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।  कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए.  (अ) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (व) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (अ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी;  (अ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रह कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (श) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रिति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्धत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-		आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के	
पूंजी में परिवर्तन  पंजी में परिवर्तन  कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर राग्धारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।  कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए.  (अ) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विदयमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में सम्मेकन और विभाजन कर सकेगी;  (व) अपने सभी या उनमें से किल्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (अ) अपने सब विदयमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (अ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद कर सकेगी।  लहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (१) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रिति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्धत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-		रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह	]
पूंजी में परिवर्तन  35. कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली उतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर शाधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हों।  36 कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए.  (3) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (3) अपने सभी या उनमें से किल्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) में संपरिवर्तित कर सकेगी;  (3) अपने सभी या उनमें से किल्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी;  (3) अपने सभी या उनमें से किल्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी;  (3) अपने सब विव्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी का उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी;  (अ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (त) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-		सम्यक् रूप में किए गए और अधिसूचित आह्वान के आधार पर देय	
35. कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हों।  36 कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए.  (3) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (3) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी;  (3) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी;  (3) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (3) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और निजनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (अ) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रिति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	1	हो गई थी।	
इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर रागधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।  कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए.  (क) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में सगेकन और विभाजन कर सकेगी;  (व) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (उ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी;  (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रह कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (१) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति भे और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	)	पूंजी में परिवर्तन	
साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।  कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए  (ड) अपनी प्री अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (ग) अपने सभी या उनमें से किल्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (अ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (अ) ऐसे किल्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिलके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  उहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (प) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	35.	कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली	0 हां 0 नहीं
साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।  कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए  (ड) अपनी प्री अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (ग) अपने सभी या उनमें से किल्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (अ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (अ) ऐसे किल्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिलके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  उहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (प) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-		इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर	
कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए.  (ड) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विदयमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (व) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (उ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  उहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (१) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-			
हुए.  (ङ) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (च) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (ॐ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (ॐ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्तित द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (भ) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रिति भे और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्भृत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-			
हुए.  (ङ) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (च) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (ॐ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (ॐ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्तित द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (भ) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रिति भे और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्भृत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	25	कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते	0 हां <b>0 नहीं</b>
(ङ) अपनी प्री अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी; (त) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी; (७) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी; (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारिख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी। जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (भ) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति भे और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-			
विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (व) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (७) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी;  (अ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (१) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भृत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	1		
समेकन और विभाजन कर सकेगी;  (त) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;  (छ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;  (अ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (प) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-			
में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी; (७) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी; (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी। जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (प) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति में और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भृत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	!		
अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी; (७) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी; (अ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख़ के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (६) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्भत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-		(व) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक	
(७) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम से वन्म है, उपविभाजित कर सकेंगी; (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख़ के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (ध) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति ये और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	:	में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त	
को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी; (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख़ के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी। जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (प) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति में और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भृत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	!	अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;	
से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी; (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख़ के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी। जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (ध) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति भे और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भृत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	•	(७) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी	
(ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख़ के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (ध) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति में और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	: :	को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम	
की तारीख़ के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (ध) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति अं और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-		से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;	
जिनके तिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।  जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (ध) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति  भे और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश  (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	:	(अ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने	
ाहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-  (ध) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति  अ और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश  (शेयर) जिनरों वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व  अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-			
(ध) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति भे और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11 Marie 14 Avenue 17 Avenue 17 Avenue 17 Avenue 17 Avenue 17 Avenue 17 Avenue 17 Avenue 17 Avenue 17 Avenue 1
भे और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	07	लहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-	0 हां 0 <b>नहीं</b>
(शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	1		
अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	5 1		
जुलता सात स आर इतने मिलत-जुलते विनियमा के अधीन जितना	1	<b>i</b>	
	Í.,	जुलता शांत स आर इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना	

१८० वर्षेक्षा कर्ण के एक्सव हो, अन्तरित कर सर्केगे;

अस्त होड रदाक की **न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर** सकल फिल् रेव ही कि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित

ाम ६. जिन्हो स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा;

(8) - १८७६ के पहला को लाभांशों के कंपनी के अधिवेशनों में मत कर्न के अंद अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार

क्रीत फायदे अपने दवारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त होंने भानों वे अन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भृत

्राप है, किन् (कंपनी के लाभांशों और लाभों में तथा परिसमापन पर उसकी अस्थितवाँ है आग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या

कायदा स्टाया की वेकी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि 🤧 २७५५ 🚟 (शेरारों) में विदयमान होती तो उसके कारण सा

ावेशकाधिकार का पायदा प्रदत्त**ा नहीं हो सकता;** 🕫 - ७ 🖶 के वेरी विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू

्रेंट 🖟 २०२० 🖄 लागु होंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और अध (अन्तरः धन्दलः अद्भर्तं के अन्तर्गत क्रमशः "स्टाक" और "स्टाक

录入66年 第1991 ार्ज कराने, १०७१५ संकरण द्वारा, किसी भी प्रकार से और विधि 0 हां 0 नहीं

 $\gamma \delta + \chi(t)$ एक अल्लाहर अ

📉 🗺 अवस्था आरक्षित निधि कम कर सकेगी; अथवा

ें कर्म अरु (डेप्प्) प्रीमियम खाते में कमी कर सकेगी।

लाओं का पूंजीकरण

कर्मा क्राप्तिसम् अधिवेशन में यह सकल्प बोर्ड की संकल्प पर 0 हां 0 नहीं 30 建氯的铝

👚 🔯 ५८%नेश्य है कि कपनी के आरक्षित खातों में से किसी में क लालनानि जाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए

उधतका उन्हें के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा

ोटी गार्थ तटन्सार खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से उन अवस्था के किया जो नसके **उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह** -अर्क हाक्कर 🕾 🙉 में **वितरित की जाती है और उसी अन्पात में** खतांदर की कही के लिए **मुक्त कर दी जाती है.** 

📆 📉 अपरेक्ट एडि उकद नहीं दी जाएगी किंत् उसका उपयोजन

ावर वर्षाच्याच्या किलो प्रमासि **के और अपेक्षित सम्मति के अधीन** 

खंड (iii) में अन्तविष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए-

- उन अंशों (शेयरों) लेखे जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत है **(**35) तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकमें देने में या देने के निमित्त किया जाएगा:
- (羽) कंपनी के अनिर्गमित अंशों (शेयरों) लेखे पूर्णतः समादत्त करने में किया जाएगा जिनकी बाबत यह मानकर कि वे पूर्णतः समादत्त हैं उनकी रकम पूर्णतः जमा दिखा दी जाकर जिनका आबंटन या वितरण ऐसे सदस्यों की और उनके बीच में पूर्वोक्त अनुपात में किया जाता है; या
- भागतः उपखंड (अ) में विनिर्दिष्ट रूप में और भागतः उपखंड (आ) में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा;
- प्रतिभृति प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षिति खाते का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजन अनिर्गमित ऐसे अंशों (शेयरों) लेखे जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस अंशों (शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही किया जाएगा:
- बोर्ड, इस विनियम के अन्सरण में कंपनी द्वारा पारित (₹) संकल्प को प्रभावी करेगा।
- जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब 0 हां 0 नहीं 40 (II) बोई-
  - उन अविभाजित लाभों का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन करेगा जिनके पुंजीकरण के लिए तद्दवारा संकल्प किया गया है तथा पूर्णतः समाप्त अंशों (शेयरों) के, यदि कोई हों, सब आबंटन और निर्गमन करेगा: तथा
  - उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें साधारणतः करेगा।
  - (ii) बोर्ड को यह पूरी शक्ति प्राप्त होगी कि वह-
  - अंशों (शेयरों) के भागों में वितरणीय होने की दशा में के लिए ऐसा उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा या नकदी में संदाय द्वारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा
  - किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त अंशों (शेयरीं) या डिबेंचरों के हकदार हों वे उन अंशों (शेयरों) को यह दिखाया जाकर

(1)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है	
वे अंश (शेयर) उनको आबंटित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा	
भी अपेक्षित हो, उनके विद्यमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें या	
रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभों को, जिनका	
पूंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके	
कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए आएं;	
(vi) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और	
ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा।	
शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना	
इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा	0 हां 0 नहीं
68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम	
के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी	
अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर	
सकेगी।	
साधारण अधिवेशन	
वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को	0 हां 0 नहीं
। असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा।	
(v) जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण	0 हां 0 नहीं
अधिवेशन बुला सकेगा।	
(vi) यदि कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक	
किसी समय भारत में नहीं है जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त	
संख्या हो तो कंपनी का कोई निदेशक या कंपनी के कोई दो सदस्य	
यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोर्ड द्वारा ऐसा	
अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुला	
सकेंगे।	
साधारण अधिवेशन में कार्यवाहियां	
(v) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं	0 हां 0 नहीं
किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर	
उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कामकाज करने के लिए	
अग्रसर होता है।	
(vi) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय सामान्य अधिवेशन के	
लिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में किए गए उपबंध के अनुसार	
होगी।	
बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में	0 हां 0 नहीं
	कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है वे अंश (शेयर) उनको आबंदित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा भी अपेक्षित हो, उनके विद्यमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें या रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाओं को, जिनका पूंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं; (vi) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा।  शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा 68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के लागू किसी अन्य उपबंधों या तिधि के अधीन रहते हुए कंपनी अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभृतियों का क्रय कर सकेगी।  साधारण अधिवेशन वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा। (v) जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा। (vi) यदि कार्य करने के लिए समई इतनी संख्या में निदेशक किसी समय भारत में नहीं है जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त संख्या हो तो कंपनी का कोई निदेशक या कंपनी के कोई दो सदस्य यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोर्ड द्वारा ऐसा अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुला साधारण अधिवेशन में कार्यविहियां (v) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है। (vi) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय सामान्य अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में किए गए उपबंध के अनुसार होगी।

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC
अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा।	
यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या यदि वह अधिवेशन करने के लिए	0 हां 0 नहीं
नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं होता	
है या यदि वह अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए	
रजामन्द नहीं है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य	
को अधिवेशन का अध्यक्ष चयन करेंगे।	
यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य	0 हां 0 नहीं
करने के लिए रजामन्द नहीं है या उस समय के पश्चात, जो	
अधिवेशन करने के लिए नियत हैं, पन्द्रह मिनट के अन्दर कोई	
निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी	
एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति होने के लिए चयन करेंगे।	
एक व्यक्ति की दशा में-	0 हां 0 नहीं
(vii) कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने वाला	
संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एक मात्र	
सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता	

है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि

अधिवेशन का स्थगन

लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा

अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार

दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती

किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस

जबिक अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक

यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा

जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।

ऐसी कार्यवृत्त प्स्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और

संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने

अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के 0 हां 0 नहीं

कर दी जाती है:

(ix)

दिनांकित की जाएगी;

नहीं किया जाएगा।

(xi)

है।

(xii)

की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

ग II—खण्ड 3	(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले	
1	कामकाज की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।	
	मतदान अधिकार	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
50	किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं	0 हां 0 नहीं
	अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,-	
	(ङ) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो	
	स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा	
	(च) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो	
	कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में	
1	हैं।	<u> </u>
51	कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में	0 हां 0 नहीं
	अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।	
52	(v) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं	0 हां 0 नहीं
	या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का	
	अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा।	
	(vi) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की	
	जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं।	
53	ऐसा कोई सदस्य जो विकृत्चित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी	0 हां 0 नहीं
	न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है,	
	हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक	:
	या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या	
	संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।	
54	ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की	0 हां 0 नहीं
	गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।	
55	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधारण अधिवेशन में	0 हां 0 नहीं
	मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा अबिक कंपनी के अंशों	
	(शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आह्वान या राशियां	
	उसने चुका दी हैं।	ļ
56	(v) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया (	0 हां 0 नहीं
	जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर	ļ
	दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में	
	अननुजात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए वैध	1
	होगा।	

	THE GAZETTE OF INDIA; EXTRAORDINARY	[PARI II—SEC. 3
	(vi) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के	
l	सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय	]
<u> </u>	अंतिम और निश्चायक होगा।	
	परोक्षी	
57	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य	0 हां 0 नहीं
	प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या	
	उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह	
	अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति	
	जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है	
	अन्यून अइतालीस घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के	
	लिए नियत समय से अन्यून चौबीस घण्टे पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रीकृत	
	कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में	
	परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।	
58	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105	0 हां 0 नहीं
	के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।	
59	जों मत परोक्षी लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस	0 हां 0 नहीं
	बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला की तत्पूर्व	
	मृत्यु हो गई है या उन्मादी हो गया है या परोक्षी लिखत अथवा वह	
	अधिकार, जिसके अधीन परोक्षी लिखत निष्पादित की गई थी,	
	प्रतिसंहरण कर दिया गया है या वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत परोक्षी	
	दी गई है, अन्तरित कर दिए गए है:	_
	परंतु वह तब जब कि वह ऐसी मृत्यु, उन्माद, प्रतिसंहरण या अन्तरण	
	की लिखित प्रजापना अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन जिसमें परोक्षी	
	का प्रयोग किया जीना है, प्रारंभ होने से पूर्व कंपनी को अपने	
	कार्यालय में न मिली हो।	
	निदेशक बोर्ड	<del>-</del>
60	निदेशकों की संख्या और पहले निदेशकों के नाम जापन पर हस्ताक्षर	0 हां 0 नहीं
	करने वालों या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए	
	जाएंगे।	
61	(v) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप	0 हां 0 नहीं
	में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन	
	प्रोद्भूत होता है।	Ţ
	(vi) इस अधिनियम के अनुसरण में उनको देय पारिश्रमिक के	

ग ∏—खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	<u> </u>
!	अतिरिक्त निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य	
ĺ	व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने-	
	(ड) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या	
	कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में,	
	या	
	(च) कंपनी के कारबार के संबंध में,	
	समुचित रूप से उपगत किए हैं।	
62	कंपनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने में उपगत	0 हां 0 नहीं
	सभी व्ययों का संदाय बोर्ड कर सकेगा।	
63	कंपनी विदेशी रजिस्टर रखने की बाबत धारा 88 द्वारा अपने को	0 हां 0 नहीं
	प्रदल्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड उन धाराओं के	{
	उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे	
	फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे रजिस्टर के रख जाने की बाबत	Ī.
j	ीक समझे।	
64	सभी चैक, वचनपत्र, ड्राफ्ट, ह्ण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य	0 हां 0 नहीं
	लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें,	·
	यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवों तथा कोषपालों द्वारा	
	अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल	
	नहीं है, ऐसे ट्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय	
	पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी	
	जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा	
	निष्पादित की जाएंगी।	
65	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस	0 हां 0 नहीं
	प्रयोजन से रखी गई किताब में अपने हस्ताक्षर करेगा।	
66	(v) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति	 0 हां 0 नहीं
	होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को	
	अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु निदेशकों और अपर	
	निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के लिए	
	नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक नहीं	
	हो।	
	(vi) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण	
	अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के	
	अधीन रहते हए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के	
	<u> </u>	

	THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINART	(FAR) it DEC. D
	रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।	
	बोर्ड की कार्यवाहियां	
67	(v) निदेशक बोर्ड कारबार के संचालन के लिए अधिवेशन कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे	
	विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।	
	(vi) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला	
	सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यपेक्षा पर बोर्ड का	
	अधिवेशन बुलाएंगे।	
68	(v) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के	0 हां 0 नहीं
	सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्यच मतों	
	की बहुसंख्या के अनुसार होगा।	
	(vi) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि	
	कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।	
69	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है वे निदेशक,	0 हां 0 नहीं
	जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी	
	संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति	
	के कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो	
	बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी	
	कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत	
	है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो	
	कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर	:
	सकेंगे।	
70	(v) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर	0 si 0 ਜਨੀ
	सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे	
	पद धारण करना है।	
	(vi) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया जाता है या	
	किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन	
	करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो	
	जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का	
	सभापति चून सकेंगे।	
71	(v) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी	0 हां 0 नहीं
÷ .•	शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे	V = .V.
	सदस्य या सदस्यों से, जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी	
	समितियों को कर सकेगा।	

@a <b>g</b> [	भारत का राजपत्र : असाधारण	
	(vi) ऐसे बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों	
	का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर	
	बोई द्वारा अधिरोपित किए गए हो।	
	(v) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगी।	
	(vi) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि	
	िक्सी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए	
	नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो	
	उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन	
	का सभापति चुन सकेंगे।	
+*************************************	(v) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और	0 हां 0 नहीं
	ं अपना अधिवेशन <b>स्थगित कर सकेगी।</b>	
	(vi) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित	
	सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों	
	के बरावर होने की दशा में सभापति की द्वितीय या निर्णायक मत	
	प्राप्त होगा।	
74	वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या	0 हां 0 नहीं
	जिदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है	
	हत्पश्यात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से	
	किसी एक या अधिक की या पूर्वीक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी	
	न्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्ह	
	था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति	ļ
	सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए	
	अर्हित था।	
Ž,	अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह	0 हां 0 नहीं
	िलिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी	
	सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना	
	पाप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और	
	पशावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के	
	या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।	
S. C.	एक व्यक्ति कंपनी की दशा में-	0 हां 0 नहीं
	(vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन	
	में किए जाने वाले सभी कारबारों की प्रविष्टि धारा 118 के अधीन	
	, ·	l l

<b>Z</b> 6	<u> </u>	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(
		रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में की जाएंगी;	
i	` 	(viii) ऐसा कार्यवृत्त पुस्तिका निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और	
		दिनांकित की जाएंगी;	
		(ix) ऐसी संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त के हस्ताक्षर किए	
1	!	जाने की तारीख से प्रभावी होगा।	
i		मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	
		अधिकारी	
	77	अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए-	0 हां 0 नहीं
		(v) बोर्ड द्वारा किसी प्रबंधक या सचिव को ऐसी अविध के लिए	
		ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकेगा	
		जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे और बोर्ड ऐसे नियुक्त किसी मुख्य	
l		कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	
		अधिकारी को हटा सकेगा।	
i		(vi) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक,	
		कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया	
	<u></u> .	जा सकेगा।	<u> </u>
	78	अधिनियम या विनियमों को जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य	0 हां 0 नहीं
		कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	
		अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा	
		करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे	
.		व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक	
		अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप	
ĺ	•	में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।	
	- "-	मुद्रा	
	79	(v) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।	0 हां 0 नहीं
-		(vi) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त	
-		उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा	
	l	कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की	
	-	जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए	
		जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या	j
		पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में	
		कंपनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।	

गग ।।−खण	<u>ड 3(1)]</u> भारत का राजपत्र : असाधारण	
Ī	लाभाश और आरक्षिति	
80	कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई	0 हां 0 नहीं
1	लाआंश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा	:
ļ	की गई है।	
81	धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे	0 हां 0 नहीं
	अन्तरिम लाभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाओं के	
	आधार पर उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।	
82	(v) बोर्ड किसी लाभांश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के लाभों	0 हां 0 नहीं
	में से ऐसी राशि आरक्षिति या आरक्षितियों के तौर पर अलग रख	
-	सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाओं का समुचित रूप	
	से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे	
	किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के निपटने	
	तथा लाभांशों का समतुलन आता है, उन राशियों पर उपयोजन बोर्ड	
	के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए जाने या	
	लंबित रहने तक वे राशियां वैसी ही विवेकानुसार या तो कंपनी के	
į	कारबार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा	
 	सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे।	
	(vi) बोर्ड किन्हीं लाओं को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता	
<u> </u>	है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे	
	बिना अग्रनीत कर सकेगा।	
83	(vii) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों,	0 हां 0 नहीं
<b>!</b>	तो लाभाश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार	
	हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार जो उन अंशों (शेयरी) लेखे	
	जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त	
	और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और	
	दिए जाएगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी अशों (शेयरों) में से	
	किसी अंश (शेयरों) लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो	
	और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अनुसार घोषित किए जा	
	सकेंगे और दिए जा सकेंगे।	
	(viii) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले	
	अग्रिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है	
	या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमों के	
	प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह अंश (शेयरों) लेखे में	
	समादत्त कर दी गई है।	
	(ix) सभी लाभांश उन रकमों के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—300;
1	और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश	
j	दिया जाता है, प्रभाग या प्रभाग के दौरान अंश (शेयरों) लेखे में	]
	समादत्त की है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है।	
	किन्तु यदि कोई अंश (शेयरों) उन निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित	
	है कि वह ऐसे दर्जे का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाभांश का	
	हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) के संबंध में	
	आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
84	बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाआंश में से वे सभी धनराशियां,	0 हां 0 नहीं
	यदि कोई हो, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कंपनी के	<b>!</b>
	अंशों (शेयरों) के संबंध में आहवान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
85	(v) अंशों (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाभांश ब्याज या	0 हां 0 नहीं
	अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम	
	सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को	
	और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक तिखित रूप में	
	निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे	
	गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा।	
	(vi) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह	•
	उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता हैं, देय होगा।	
86	अंश (शेयर) के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे अंश	0 हां 0 नहीं
	(शेयर) की बाबत देय किन्हीं लाभांशों, बोनसों या अन्य धन राशियों	
	के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।	
87	ऐसे किसी लाभांश की, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, सूचना	0 हां 0 नहीं
	अधिनियम में वर्णित रीति से उन व्यक्तियों को भी भेज दी जाएगी	:
	जो उसमें अंश (शेयर) पाने के हकदार है।	
88	किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कंपनी द्वारा देय न होगा।	0 हां 0 नहीं
	लेखा	
89	(v) बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेगा कि क्या और किस हद	0 हां 0 नहीं
	तक और किस-किस समय तथा स्थानों पर तथा किन शर्तों या	
	विनियमों के अधीन, कंपनी के लेखे और बहिया या उनमें से कोई भी	
	लेखा या बही सदस्यों के, जो निदेशक नहीं है, निरीक्षण के लिए खुली	
	रहेंगी।	:
	(vi) ऐसे किसी सदस्य (निदेशक न हो) को, कंपनी के किसी लेखा	
	या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार उस	:
	अधिकार के सिवाय न होगा जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त है या बोर्ड	

11-600	3(1)] भारत का राजपत्र : असाधारण	<u> </u>
!	द्वारा या कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्राधिकृत किया गया	
	है।	
<del></del>	परिसमापन	
90	इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याय 20	0 हां 0 नहीं
	के उपबंधों के अधीन रहते हुएः	
	(vii) यदि कंपनी का परिसमापन किया जाए तो समापक कंपनी की	ļ
	पूरी आस्तियां या उनका कोई भाग, भले ही वे एक ही किस्म की	
	संपत्ति हो या नहीं, कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई मंजूरी से	
	और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के	
	बीच नकद या वस्तु रूप में, विभाजित कर सकेगा;	
	·	
	(viii) पूर्वीक्त प्रयोजन के लिए, समापक पूर्वीक्त रूप से विभाजित	
	किए जाने के लिए पूर्वोक्त संपत्ति का ऐसा मूल्य कर नियत कर	
	सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा	
	विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गों के सदस्यों में कैसे	
	किया जाएगा;	
	(ix) समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को अभिदायियों	
	के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है,	
	न्यासियों में निहित कर सकेगा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर	
	सकेगा कि कोई भी सदस्य ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य	
	प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए विवश न किया जाएगा।	
·		
	क्षतिपूर्ति	<u> </u>
91	कंपनी का प्रत्येक अधिकारी किसी कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा	U हा U नहा
	करने में उसके द्वारा उपगत किसी दायित्व के विरूद्ध कंपनी की	
	आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की जाएगी जो चाहे सिविल या आपराधिक	
	स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें	:
	वह दोषमुक्त किया गया है या जिस पर न्यायालय या अधिकरण	
	द्वारा उसे अनुतोष अनुदत्त किया गया है।	
	<b>टिप्पणः</b> अनुच्छेद संगम-जापन के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा	ļ
	हस्ताक्षरित किए जाएंगे जो कम से कम ऐसे साक्षी की उपस्थिति में	

को अनुप्रमाणित करेगा और उसी प्रकार अपना पता, वर्णन और ट्यवसाय, यदि कोई हो जोड़ेगा और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर प्ररूप में होंगे! विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में हस्ताक्षर होंगे:-  अधिवर्षिण के नाम पर्वे विवरण और उपजीविकार मार्की व्यान, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ) क.ज स्व वर्णिक में समक्ष हस्ताकरित हस्ताकर  ग.प का वर्णिक में समक्ष हस्ताकरित हस्ताकर  5.3 का वर्णिक में समक्ष हस्ताकरित हस्ताकर  9.5 का वर्णिक में समक्ष हस्ताकरित हस्ताकर  2.3 का वर्णिक में समक्ष हस्ताकरित हस्ताकर  2.4 का वर्णिक में समक्ष हस्ताकरित हस्ताकर  के वर्णिक में समक्ष हस्ताकरित हस्ताकर  2.5 का वर्णिक में समक्ष हस्ताकरित हस्ताकर	अपना पता, वर्णन और व्यवसार	र यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षरों	
प्ररूप में होंगे।  विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में हस्ताक्षर होंगे:-  अभिद्राधिण के ताम पते विवरण और उपजीविकार नाक्षी लाम पता विवरण तथा उपजीविका के साथ कर विषक में समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  म.प का विषक में समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.च का विषक में समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  ध.म का विषक में समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.च का विषक में समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.च का विषक में समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	को अनुप्रमाणित करेगा और :	उसी प्रकार अपना पता, वर्णन और	
विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में हस्ताक्षर होंगे:-  श्रीमदाविगं के नाम पते विद्याण और उपजीविकार वाजी जाम पता विवरण तथा उपजीविका के साथ के विणक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  ग्रंथ का विणक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.य का विणक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.य का विणक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.उ का विणक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.उ का विणक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	व्यवसाय, यदि कोई हो जोड़ेगा	और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर	•
हस्ताक्षर होंगे:-  अप्रिदायिगं के ताम. पते. विवरण और उपजीविकारं ताबी (जाम. पता. विवरण तथा उपजीविका के साथ)  क.ज सेर समक्ष हस्ताक्षर  ग.प का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  ७.३ का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	प्ररूप में होंगे।	·	
अमिद्रंतियों के ताम. पते. विवरण और उपजीविकाएं ताकी (ताम. पता. विवरण तथा उपजीविका के साथ)  क. ज वणिक मेरे समक्ष हस्ताकार  मेथे का वणिक मेरे समक्ष हस्ताकारित हस्ताकार  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताकारित हस्ताकार  ध.म का वणिक मेरे समक्ष हस्ताकारित हस्ताकार  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताकारित हस्ताकार  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताकारित हस्ताकार  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताकारित हस्ताकार  इ.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताकारित हस्ताकार	विवरण और उपजीविका, यदि व	nोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में	
<ul> <li>क.ख</li> <li>का वणिक</li> <li>मेरी समक्ष हस्ताक्षारित हस्ताक्षार</li> <li>इ.च</li> <li>का वणिक</li> <li>मेरी समक्ष हस्ताक्षारित हस्ताक्षार</li> <li>छ.अ</li> <li>का वणिक</li> <li>मेरी समक्ष हस्ताक्षारित हस्ताक्षार</li> <li>इ.८</li> <li>का वणिक</li> <li>मेरी समक्ष हस्ताक्षारित हस्ताक्षार</li> <li>इ.८</li> <li>का वणिक</li> <li>मेरी समक्ष हस्ताक्षारित हस्ताक्षार</li> <li>इ.८</li> <li>का वणिक</li> <li>मेरी समक्ष हस्ताक्षारित हस्ताक्षार</li> <li>इ.८</li> <li>का वणिक</li> <li>मेरी समक्ष हस्ताक्षारित</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li> <li>इ.न्ताक्षार</li></ul>	हस्ताक्षर होंगे:-		
हस्ताक्षर  #. च वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  \$.च का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  #. का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  \$.5 का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  \$.5 का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  \$.5 का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  #. समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  #. समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	अमिदायियों के लाम. पतो. विवरण और उपजीविकाएं	साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साध)	
मंदे समक्ष हस्ताक्षारत         इ.च       का विणिक       मेरे समक्ष हस्ताक्षारित         इ.च       का विणिक       मेरे समक्ष हस्ताक्षारित         इ.च       का विणिक       मेरे समक्ष हस्ताक्षारित         इ.च       का विणिक       मेरे समक्ष हस्ताक्षारित         इ.ट       का विणिक       मेरे समक्ष हस्ताक्षार         इ.ट       का विणिक       मेरे समक्ष हस्ताक्षार         इ.ट       का विणिक       मेरे समक्ष हस्ताक्षार	क.ख का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
हस्ताक्षर  इ.च		हस्साक्षर	
इ.य	भ <u>ा</u> ध , का विणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
हस्ताक्षर		हस्साक्षर	
हस्ताक्षर	: इ.स.च. का विभिक्त	मेरे ममक्ष इस्लाक्षरित	
हस्ताक्षर  इ.८ का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  र.८ का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  हस्ताक्षर  हस्ताक्षर  हस्ताक्षर	•	·	
हस्ताक्षर  इ.८ का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  रे.ठ का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर  हस्ताक्षर  हस्ताक्षर  हस्ताक्षर	_		
\$.\$ का विणिक सेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर टे.ठं का विणिक सेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर इ.द का विणिक सेरे समक्ष हस्ताक्षरित	क्या विणिकः 	• • • • • •	
हस्ताक्षर  १.४ का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित  हस्ताक्षर  इ.८ का वणिक मेरे समक्ष हस्साक्षर		ec.	
रे.डं का वणिक मेरे समक्ष हरूनाक्षरित हस्ताक्षर इ.ट का वणिक मेरे समक्ष हस्साक्षरित	इ. <del>५ का विणिक</del>	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
हस्ताक्षर इ.८ का विशेक सेरे समक्ष हस्ताक्षांरत		इस्लाक्षर	
इ.८ का वणिक सेरे समक्ष हस्ताक्षारित	े. टे.ठं का वणिक	मेरे समक्ष हरूगक्षरित	
इ.८ का वणिक सेरे समक्ष हस्त्यक्षारित			
		हस्ताक्षर	
	इ.ट का विशिक	मेरे समक्ष हस्तार्थारत	
		·	

तारीख ...... 20 .....

### सारणी ञ

## प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम-अनुच्छेद

1. ऐसे सदस्यों की संख्या, जिनके साथ कंपनी रजिस्ट्रीकृत किए जाने का प्रस्ताव	हां/नहीं
करती है. सौ है किंतु निदेशक बोर्ड समय-समय पर, जब कभी कंपनी या कंपनी के	
कारबार में उसकी अपेक्षा की जाती है, सदस्यों की वृद्धि रजिस्टर कर संकेंगे।	
2. जापन अभिदाता और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें बोर्ड सदस्यता के लिए स्वीकार	
करें, कंपनी के सदस्य होंगे।	हां/नहीं
3. कंपनी आधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी झ के सभी	
अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।	हां/ <b>नहीं</b>

INAN CHAE NO

#### सारणी ज

## प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम- अनुच्छेद

### निर्वचन

	तागू होना
(1) इन विनियमों में	हां/नहीं
क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;	
्ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।	
2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उन शब्दों और पदों के, जो	
🧺 विनियमों में आए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को,	
अह ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी	
उपातर में हैं।	
सदस्य	हां/नहीं
ं (1) जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृतं किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना	. Susibi
🤻 उनकी संख्या सौ होगी, किंतु जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार से यह	 
अपेक्षित हो, निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत	
करा सकेगा।	
(2) जापन पर हस्ताक्षर करने वाले तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड सदस्यता	हां/नहीं
🕏 प्रविष्ट कर ले, कंपनी के सदस्य हॉंगे।	
साधारण अधिवेशन	
वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न सभी साधारण अधिवेशन असामान्य	हां/नहीं
साधारण अधिवेशन कहे जाएंगे।	
ं (i) जब कभी बोर्ड ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला	-
सकेगा।	
ाते यदि किसी समय कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक भारत	
म नहीं हैं, जितनी गणमूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त है, तो कंपनी का कोई	
लेदेशक या कोई दो सदस्य असामान्य साधारण अधिवेशन यथासंभव निकटतम	
ंभी रीति से बुला सकेंगे जिससे ऐसा अधिवेशन बोर्ड द्वारा बुलाया जा सकता है।	
साधारण अधिवेशनों में कार्यवाहियां	_: <u></u> *

हां/नहीं

- 5. (i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) उस समय पर उपस्थित नहीं है, जब अधिवेशन कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है।
- (ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में यथा उपबंधित होगी।
- 6. बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।
- 7. यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है या यदि अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं हो तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।
- 8. यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं है या यदि उस समय से पन्द्रह मिनट के अंदर जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुनेंगे।

#### अधिवेशन का स्थगन

- 9. (i) अध्यक्ष समय-समय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणमूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा मे करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।
- (ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया था जिससे वह स्थगित हुआ था, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा।
- (iii) जबिक अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थिगित किया जाता है तब स्थिगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है।
- (iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले संव्यवहार की कोई सूचना भी देनी आवश्यक नहीं होगी।

हां/सही

हा/मही

हां/नही

मताधिकार

10 ्हर सदस्य का एक मत होगा।

यदि ऐसा कोई सदस्य, जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने, जिसे पागलपन विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, अथ अठाकर दिए जाने वाले मतदान में या मतांकन में अपनी समिति या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा तथा ऐसी कोई समिति या संरक्षक, मतांकन अं परोक्षी दवारा मत दे सकेगा।

- कोई सदस्य किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के लिए तब तक ्कदार नहीं होगा जब तक कि वर्तमान में उसके दवारा कंपनी को संदेय सभी ाशियों का संदाय नहीं कर दिया गया हो।
- (i) किसी मतदाता की अर्हता के बारे में कोई आक्षेप उस अधिवेशन में या ्यमित अधिवेशन में, जिसमें वह मत जिस पर आक्षेप किया गया है, दिया गया ा निविदत्त किया जाता है, के सिवाय नहीं किया जाएगा और ऐसा हर **मत** ीं अका दिया जाना ऐसे अधिवेशन द्वारा अनन्जात नहीं किया गया है सभी व्याजनों के लिए विधिमान्य होगा।
- सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के अध्यक्ष को <sup>चिदिष्ट</sup> किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।
- जो मत परोक्षी- लिखत के निबंधनों के अनुसार दी गई है वह इस बात के ेते हुए भी विधिमाल्य होगा कि परोक्षी देने वे की मृत्यु हो गई है या पागल हो ाथा है या परोक्षी लिखत या वह प्रा<mark>धिकार, जिसके अधीन परोक्षी-लिखत</mark> निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहत कर दिया गया है या पुंजियों का स्थानांतरण ें। सके संबंध में परोक्षी दी गई है:

्र<sup>वे</sup>त् यह तब जब कि ऐसी मृत्यू, पागलपन, प्रतिसंहरण या अंतरण की लिखित ्रेयना अधिवेशन के प्रारंभ होने या अधिवेशन के स्थगित होने, जिसमें परोक्षी का ्योग किया जाना है, से पूर्व कंपनी को अ**पने कार्यालय में न मिली हो।** 

- कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार अधिवेशन में इलेक्ट्रानिक साधनों ्वास, अपने मत का प्रयोग कर सकेगा तथा केवल एक मत देगा।
- ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार को जिस पर मतदान की मांग की गई 🖰 मतदान कराए जाने के लंबित रहने तक अग्रसर किया जा सकेगा।

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

#### निदेशक बोर्ड

- 17. निदेशकों की संख्या और पहली बार वाले निदेशकों के नाम जापन पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।
- 18. (i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि दिन प्रतिदिन प्रोद्धत होता है।
- (ii) अधिनियम के अनुसरण में उनको संदेय पारिश्रमिक के साथ-साथ निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने,-
  - (क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या
  - (ख) कंपनी के कारबार के संबंध में,

समुचित रूप से उपगत किए हैं।

#### बोर्ड की कार्यवाहियां

- 19. (i) निदेशक बोर्ड कामकाज का संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को स्थगित या अन्यथा विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।
- (ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और निदेशक की अध्यपेक्षा पर प्रबंधक या सचिव बुलाएंगे।
- 20. (i) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा।
- (ii) मतों के बराबर होने की दशा में, बोर्ड के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- 21. वे निदेशक इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई रिक्ति है, जो बने रहते हुए कार्य कर सकेंगे, किंतु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए, अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति (कोरम) से कम हो जाती है तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है या बने रहे हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकेंगे किंतु अन्य प्रयोजन के लिए कार्य न कर सकेंगे।

- 22. (i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है।
  (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष उस समय के पश्चात, जो अधिवेशन के लिए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष होने के लिए चून सकेंगे।
- 23. (i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों द्वारा मिलकर बनी समितियों को जैसे या जैसों को बोर्ड ठीक समझता है, कर सकेगा।
  (ii) ऐसी बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हों।
  - (24. i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेगी।
- (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन के किए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चुन सकेंगे।
- i) समिति जैसा भी उचित समझे अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी।
- (ii) समिति के किसी अधिवेशन में उठने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को दिवतीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।
- 26. वे सब कार्य जो बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वाक्त रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्रह था ऐसे विधिमान्य होंगे ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था।
- 27. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह लिखित संकल्प, जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए

हालहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी

- 28. अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन-
- (i) बोर्ड द्वारा किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को ऐसी अवधि के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड के द्वारा ऐसे नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को किसी संकल्प द्वारा हटा सकेगा;
- (ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
- 29. अधिनियम का या इन विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है, उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या प्रति, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक , कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में या स्थान पर कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।

#### मुद्रा

- 30. (i) बोर्ड, मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।
- (ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड या इस आधार पर उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति के संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की यी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी, और वे दो निदेशक और सचिव या अन्य व्यक्ति, जैसा पूर्वोक्त है, उस हर लिखत पर जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुद्रा ऐसे लगाई गई है, हस्ताक्षर करेंगे।

टिप्पणः अनुच्छेदों पर संगम-ज्ञापन के प्रत्येक अभिदायी के हस्ताक्षर होंगे, जिनका अपना पता, विवरण, उपजीविका,यदि कोई है, कम से कम एक साक्षी के समक्ष, जो हस्ताक्षर तथा उसी रूप में दिए गए पते, विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, का सत्यापन करेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में दिया जाएगाः

हां/स

**61/48** 

ःभिद्रायियों के नाम, पते. विवरण और उपजीविकाएं साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)	
1	
क,ख का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
हस्ताक्षर	
ग,घ का वणिक मेरे सम्बंह हस्ताक्षरित	
हस्ताक्षर	
इ,च का विणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
हस्ताक्षर	
छ,ज का विणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
। 	
झ,त्र का वणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
! हस्ताक्षर	
ट.ठ का विणिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
हस्ताक्षर	1
इंढ का वर्णिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
हस्सा <del>र्थ</del> र	

तारीख	 मास	 20	
±9π∓			

[फा. सं. 1/13/2013/सीएल-V(पार्ट-I)] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम सा.का.नि. 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2015

- G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, section 4, sub-sections (5) and (6) of section 5, section 6, sub-section (1) and (2) of section 7, sub-sections (1) and (2) of section 8, clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section11, sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 12, sub-sections (3), (4) and the proviso to sub-section (5) of section 13, sub-section (2) of section 14, sub-section (1) of section 17, sub-sections (1) and (2) of section 20 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -
  - (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Amendment. Rules, 2015.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014,-
    - (a) rule 5 shall be omitted;
    - (b) in rule 6, in sub-rule (1), for the words "exceeds fifty lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period", the words "exceeds fifty lakh rupees and its average annual turnover during the relevant period" shall the substituted;
    - (c) in rule 7, in sub-rule (1), for the words "having paid up share capital of fifty lakhs rupees or less or average annual turnover, during the relevant period", the words "having paid up share capital of fifty lakhs rupees or less and average annual turnover during the relevant period" shall be substituted;
    - (d) after rule 7, the following rules shall be inserted; namely:-

- "7A. **Penalty.-** If a One Person Company or any officer of such company contravenes any of the provisions of these rules, the One Person Company or any officer of the such Company shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first offence during which such contravention continues":
- (e) in rule 8, in sub-rule (2), in clause (b), in súb-clause (xi), in the proviso, after the words and figures "under section 248 of the Act", the words, figures and brackets "or under section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be inserted;
- (f) in rule 16, in sub-rule (1), for clause (q), the following shall be substituted, namely:-
- "(q) the promoter or first director shall self attest his signature and latest photograph in Form No.INC.10".
- (g) after rule 35, the following rule shall be inserted, namely: -
- "36. Integrated Process for Incorporation.-(1) For the purpose of simplifying the filing of forms for incorporation of a company, the integrated process shall apply with effect from 01/05/2015.
- (2) For the purposes of sub-rule (1), the application for allotment of Director Identification Number upto three Directors, reservation of a name, incorporation of company and appointment of Directors of the proposed company shall be filed in Integrated Form No. INC-29, for One Person Company, private company, public company and Producer Company, with the Registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated, along with the fee of rupees two thousand in addition to the registration fee as specified in Companies (Registration of Offices and Fees) Rules, 2014.
- (3) For the purposes of filing Integrated Incorporation form, the particulars of maximum of three directors shall be allowed to be filled in INC-29 and allotment of Director Identification Number of maximum of three proposed directors shall be permitted in Form INC-29 in case of proposed directors not having approved Director Identification Number.
- (4)The promoter or applicant of the proposed company shall propose only one name in e-form No. INC-29.

(5) The promoter or applicant of the proposed company may prepare Memorandum of Association as per templates in Form INC-30 and may opt for templates of Articles of Association in Form INC-31 in accordance with the provisions of rule 13 for preparation of Memorandum of Association and Article of Association.

- (6) The promoter or the applicant shall sign and witness, the Memorandum of Association and Articles of Association in the forms downloaded from the portal of the Ministry of Corporate Affairs and scanned legibly and attach to e-form INC-29 in accordance with the provisions of rule 13 for preparation of Memorandum of Association and Articles of Association.
- (7) The facility to file Integrated application for incorporation in Form INC-29 is available as an option to the process for separate applications for allotment of Director Identification Number, reservation of name and Incorporation of a company as provided in these rules.
- (8) For an application filed using the Integrated process of incorporation as provided in this rule, the provisions of sub-clause (i) of sub-section (5) of section 4 of the Act and rule 9 of these rules shall not apply.
- (9) A company using the provisions of this rule may furnish verification of its registered office under sub-section (2) of section 12 of the Act by filing e-Form INC-29 in which case the company shall attach along with such e-Form INC-29, any of the documents referred to in sub-rule (2) of rule 25.
- (10) The requirement of filing e-form INC-22 may be dispensed with if, the proposed company maintains its registered office at the given correspondence address.
- (11) The Registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated shall process INC-29 including application for allotment c' Director Identification Number.

(12) (a) Where the Registrar, on examining e-form INC-29, finds that it is necessary to call for further information or finds such application or document to be defective or incomplete in any respect, he shall give intimation to the applicant to remove the defects and re-submit the e-form within fifteen days from the date of such intimation given by the Registrar.

- (b) After the resubmission of the document, if the registrar still finds that the document is defective or incomplete in any respect, he shall give one more opportunity of fifteen days to remove such defects or deficiencies.
- (c) In case, the Registrar is of the opinion that the document is defective or incomplete in any respect after giving such two opportunities, the e-form INC-29 of the proposed company shall be rejected.
- (13) The Certificate of Incorporation shall be issued by the Registrar in Form No. INC-11".
- (h) in Annexure, in Form No. INC-11, for the words, figures and brackets "and rule 8 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014", the words, figures and brackets "and rule 18 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014", shall be substituted.
- (i) in Annexure,-
- (a) for Form No. INC-7, INC-10, INC-11 and INC-22, the following form shall, respectively be substituted, namely:-

## FORM NO. INC-7

Fursuant to Section 7(1) of the Companies fit, 2013 and pursuant to Rule 10, 12, 14, and 15 of the Companies (Incorporation)



# Application for Incorporation of Company (Other than OPC)

Form language o English o Hindi

Refer the	instruction kit for filing	the form.			
ı. *Servi	ce Request Number (SRN)	of Form INC-1			Pre-Fill
2. (a) Na	me of the company				<del></del>
	• <u>L</u>				
(b) Type	e of Company is		(c) Class of Compa	iny	
(d) Cate	gory	(e) Sub	category		
	ion 8 license number				
	pany is O Having share ca				
. <u>(a)</u> Na	me of the state/Union terri	tory in which the	company is to be r	egistered	
L			·		
(b) Nam	e of the office of the Regis	trar of Companies	in which the comp	any is to be reg	jistered.
L			<del></del>	<u> </u>	
(c) *WI	hether the address for com-	espondence will be	the address of Re	gistered office of	of the Company
o Ye	-				
	ress for correspondence till	the registered off	ice of the company	is established	
*Line I					
Line II					·
*City					
*State/	Union Territory				
*Distric			*Pin code		
	untry code	<u> </u>			
Country					
1 '	(With STD code) 91 -	<u> </u>	<del></del>		
Fax	(			· · · · · ·	
	ID of the company				
		······································			
. <u>I. *Са</u> р	oital structure of the compa	ny			
1 ' '	thorized capital of the com	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	No. of classes of equity sha		number of equity s	hares	
l _	Total amount of equity shar	<u></u>			
	fumber of equity shares	Nominal amount (	per equity share	Total amount of	equity shares
-		<u> </u>			
1 1	_	I .		1	i 1

		भारत का राजपत्र : असाधारण	
(i) <b>!</b>	No. of classes of equity s	shares Total number of prefe	erence shares
Ŧ	otal amount of preference	ce shares (in Rs.)	
Nı	umber of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
ļ		<u> </u>	<u> </u>
	scribed capital of the co	· · · <u> </u>	
	o. of classes of equity st		y shares
,	otal amount of equity sh		
Nu	imber of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
	·,	<u> </u>	<u> </u>
			<del></del>
			·
!			
(i) N	lo, of classes of equity sl	hares Total number of prefe	rence shares
To	ital amount of preference	e snares un Rs. i	L L
<b>-</b>	stal amount of preference		Total amount of equity shares
	niber of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
<b>-</b>			Total amount of equity shares
<b>-</b>			Total amount of equity shares
<b>-</b>			Total amount of equity shares
<b>-</b>			Total amount of equity shares
			Total amount of equity shares
Nu			Total amount of equity shares
Nui	niber of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
Number of Number	of number of members	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
Details ) Enter ) Maxic	of number of members	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
Details ) Enter ) Maxim ) Numb	of number of members the maximum number mem number of member per of members	of members  rs excluding proposed employees	Total amount of equity shares
Details ) Enter ) Maxim ) Numb	of number of members the maximum number mem number of member per of members	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
Details ) Enter ) Maxic ) Numb ) Numb	of number of members the maximum number mem number of member per of members	of members  rs excluding proposed employees  g proposed employee(s)	Total amount of equity shares
Details ) Enter ) Maxic ) Numb ) Numb	of number of members the maximum number mum number of member per of members per of members excluding	of members  rs excluding proposed employees  g proposed employee(s)	Total amount of equity shares
Details ) Enter ) Maxic ) Numb ) Numb	of number of members the maximum number mem number of member per of members per of members excluding	of members  rs excluding proposed employees  g proposed employee(s)	Total amount of equity shares
Details ) Enter ) Maxic ) Numb ) Numb	of number of members the maximum number mem number of member per of members per of members excluding	of members  rs excluding proposed employees  g proposed employee(s)	Total amount of equity shares
Details ) Enter ) Maxis ) Numt ) Numt	of number of members the maximum number mem number of member per of members per of members excluding vision of industrial activity	of members  rs excluding proposed employees  g proposed employee(s)	
Details ) Enter ) Maxin ) Numb ) Numb tain div	of number of members the maximum number mem number of member per of members per of members excluding vision of industrial activity of the main division	of members  rs excluding.proposed employees  g proposed employee(s)	s which require approval from any s
Details ) Enter ) Maxim ) Numb ) Numb tain distribution	of number of members the maximum number of member per of members per of members excluding vision of industrial activity in of the main division of the main division of the real division of the RBI in case of NBI	of members  rs excluding proposed employees  rg proposed employee(s)  ty of the company	s which require approval from any s
Details ) Enter ) Maxic ) Numb ) Numb tain diveription a) Whe	of number of members the maximum number mum number of member per of members excludin vision of industrial activit n of the main division of the main division (Like RBI in case of NBI	of members  rs excluding proposed employees  rg proposed employee(s)  ty of the company	s which require approval from any since such activities
Details ) Enter ) Maxic ) Numb ) Numb tain diveription a) Whee	of number of members the maximum number mum number of member per of members excludin vision of industrial activit n of the main division of the main division (Like RBI in case of NBI	of members  or excluding.proposed employees  or excluding.proposed employees  or proposed employee(s)  or of the company  any shall be conducting any activities  FI and Banking activities) to commen	s which require approval from any since such activities

\*Line I Line II \*City \*Pin code \*State/Union Territory \*ISO Country code Country [

Years

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

\*Phone(With STD/ISD code).

\*Duration of stay at present address

Mobile Fax

npanies, attach sepe Director Pr Che company Director Pro Chector Pro Chector Pro	ter of a company(s), specificate sheet as an optional comoter	cin Cin	case director of promoter in more than
npanies, attach sepe Director Pr the company Director Pro the company Director Pro	omoter	cin Cin	case director of promoter in more than
Che company Che company Che company Chielotor	omoter	CIN	
the company  Director Pro  the company  Director Pro			
Director Pro			
the company Pro			
the company Prector Pro			
	moler		
f 79		CIN	
			Pre-fill all
the company			
me of the author	rised person 🔀		
ather's Name	o Mother's Name o	Spouse's name	
nder o Male o f	female o Transgender		
tionality		f) Date of Birth	
one (With STD/I	SD code)	•	
iail ID	<del></del>		<del></del>
			<del> </del>
c a miner	of shares subscri ars of authorised ame of the author father's Name ender o Male o F ationality one (With STD/II) and ID	of shares subscribed ars of authorised person ame of the authorised person Father's Name o Mother's Name o ender o Male o Female o Transgender ationality one (With STD/ISD code)	of shares subscribed * Total amount of shares sars of authorised person Ime of the authorised person Father's Name O Mother's Name O Spouse's name Inder o Male o Female o Transgender Intionality f) Date of Birth Imail ID Indeed the Articles are entrenched or not o Yes o No

(i) Details of stamp  Type of docum		Form Ific-7	Nemorandum of	Articles of association
Particular			association	
Amount of stamp duty t	o be paid (in Rs.)			
(ii) Provide detalls o	f stamp duty already paid			
Type of documenti Particulars	Form IMC-7	Memorandum of association	Articles of association	Others
ictal amount of starrp' duty paid (in Rs.)				
dode of payment of stamp outy				
Name of veridor or Treasury or Authority orany other comperent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers onto arriboss the documents or to dispense stamp youchers on behalf of the Government				
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury challen number				
Registration number of vendor				
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp outy (DDIMMYYYY)				
Place of purchase of stamps or stamp paper of payment of stamp duty	·	,		·
). Additional Inform Imber (TAN)** Information speci	·	Permanent Accous	nt Number (PAN) e	nd Tax Deduction Access
Area code	AO type	Range	code AC	No.
				1 1

1942 GI/15+4

	असावारण	_==
Area code AO type Rang	e code AO No.	-
Alea code Ao type Rang	e code AO No.	
iource of Income income from Business/profession a Capital Gaines a income from other source a No Income siness/Profession code	Income from house property	
. Additional Information for Employer registration un	ler Employee State Insurance Corpo	ration (
pe of Unit e Factory e Establishmen	t	
act nature of Work/ Business carried on	Work Sub category	
Pin Pon	Drop Down	
Drop Down	Orap Cown	
achments		
*Memorandum of association	Attach	
*Articles of association *Declaration in Form No. INC-8	Attach .	
*Affidavit from each of the subscriber to the memorandum	Attach	
in Form No. INC-9	Attach	
*Proof of residential address	Attach	
Specimen Signature in Form INC-10	Security Control of the Control of t	
Proof of identity  Entrenched Arcicles of association	Attach	
Copy of In-principle approval granted by sectoral	Attach	
regulator if already taken	Attach	
NOC in case there is change in the promoters (first		
subscribers to Hemorandum of Association)	Attach	
Proof of nationality (in case the subscriber is a foreign	Attach	
national) PAN card (in case of Indian national)	Attach	
Copy of certificate of incorporation of the foreign body		
corporate and registered office address	Attach	
	Attach	
Copy of resolution/consent by all the partners or board		
resolution authorizing to subscribe to MOA	Attach	
Copy of resolution/consent by all the partners or board resolution authorizing to subscribe to MOA Optional attachment, if any	Attach	
resolution authorizing to subscribe to MOA	: J	·
resolution authorizing to subscribe to MOA Optional attachment, if any  Declaratio	: J	<b>-</b> 2013

information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as par the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible:    a/an	whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;    a/an	orm. It is further declared a Whatever is stated in the		rectors to give this declaration and	to sion and submit this
Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;    a/an	Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and leatible:    Alan	. Whatever is stated in th	and verified that:		
information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;    a/an	Information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible:    a/an		1. 6		
original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible:    a/an	original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible:  a/an				
Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible:    a/an	Association.  I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible:    a/an				
I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible:    a/an	I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;  a/an		ned by the promoters sate.	scribing to the Pierrorandam or re	SOCIOLAN GIRD A CLIES G
Ayan	a/an		achments to this Form and	I have verified these to be as per re	squirements, complete and
a/an	having Membership number   and/or certificate of practice number   has been engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached   , the applicant, in the capacity of do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.    To be digitally signed by   DSC BOX	•			
practice number has been engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached.  I	practice number has been engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached.  I				<del></del>
Is attached I do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.  To be digitally signed by DSC BOX  esignation  IN of the director; or DIN or Income tax PAN of the manager or Membership number of the company secretary  ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(5) which, Inter-alls, provides that furnishing if any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shift ttract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.  Check Form Prescrutiny Submit  For office use only:  allowing setula  eForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered Digital signature of the authorising officer  Doubter submission	I do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.  To be digitally signed by DSC BOX  esignation  IN of the director; or DIN or Income tax PAN of the manager or Membership number of the company secretary  ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alls, provides that furnishing if any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information and tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.  Check Form Prescrutiny Submit  For office use only:  #### Check Form Prescrutiny Submit  ###################################				
To be digitally signed by DSC BOX esignation  IN of the director; or DIN or Income tax PAN of the manager or Membership number of the company secretary  Total Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-sile, provides that furnishing from false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information state tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldence aspectively.    Check Form   Prescrutiny   Submit	To be digitally signed by DSC BOX esignation  IN of the director; or DIN or Income tax PAN of the manager or Membership number of the company secretary  ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alls, provides that furnishing it any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information attract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.  Check Form Prescrutiny Submit  For office use only:  allow fining date (DD/MM/YYYY)  This e-Form is hereby registered Digital signature of the authorising officer  Content submission.		has been engaged to	give declaration under section 7(	<ol> <li>(b) and such declaration</li> </ol>
ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, Inter-alls, provides that furnishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information statement provides for punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.    V.S.   Check Form   Prescrutiny   Submit	ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alla, provides that furrishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 447. Attention is also drawn to provisions of section 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.    V.	is affected		the configuration the same	albe of
esignation  IN of the director; or DIN or Income tax PAN of the manager or Membership number of the company secretary  Note: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, Inter-alia, provides that furnishing famy false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information state tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldence aspectively.    Note: Attention is also drawn to provide of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldence aspectively.    Note: Attention is drawn to provides that furnishing a false f	esignation  IN of the director; or DIN or Income tax PAN of se manager or Membership number of the exampany secretary  ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, Inter-alla, provides that furnishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information attract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.	do hereby declare that y	what is stated above is tru		
IN of the director; or DIN or Income tax PAN of le manager or Membership number of the company secretary  lote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, Inter-alls, provides that furnishing if any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information state tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence report Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered Digital signature of the authorising officer  Dendres submassion	in of the director; or DIN or Income tax PAN of the manager or Membership number of the company secretary  ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alla, provides that furnishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information statement for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldenous espectively.  One of the syldenous or the syldenous of the authorising officer  Digital signature of the authorising officer  Doubter summission  Doubter summission				
esignation  IN of the director; or DIN or Income tax PAN of le manager or Membership number of the company secretary  lote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, Inter-alla, provides that furnishing fany false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information and tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence espectively.    Vos	in of the director; or DIN or Income tax PAN of the manager or Membership number of the company secretary  ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alla, provides that furnishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information statement for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldenous espectively.  One of the syldenous or the syldenous of the authorising officer  Digital signature of the authorising officer  Doubter summission  Doubter summission	re he distrative tened by			
IN of the director; or DIN or Income tax PAN of le manager or Membership number of the company secretary  lote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that furnishing flany false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information state tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.    Void	IN of the director; or DIN or Income tax PAN of le manager or Membership number of the exampany secretary  ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that furnishing I any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information ship thract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.  One of the use only:  One of the section of the suppression of the authorising officer  Doubles suppression.	to be didically sidiled by	DSC BOX		
IN of the director; or DIN or Income tax PAN of ne manager or Membership number of the company secretary  lote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that furnishing flany false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information state tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.    V. d	IN of the director; or DIN or Income tax PAN of le manager or Membership number of the exampany secretary  ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that furnishing I any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information ship thract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.  One of the use only:  One of the section of the suppression of the authorising officer  Doubles suppression.	esignation	11111 - MARIE - 111111 - 111111 - 111111 - 111111	¬	
lote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(5) which, inter-alls, provides that furnishing f any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information states that punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.    Vist	ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, <i>inter-alla</i> , provides that furnishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shattract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldenous espectively.	Eargi lacion			
lote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(5) which, inter-alls, provides that furnishing from false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence aspectively.    Vist	ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, <i>inter-alla</i> , provides that furnishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shattract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldenous espectively.	The of the directors of OTM c	e Tonnena tau DAU of		· ·
lote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alls, provides that furnishing from false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall stract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldence espectively.    Vol.   Check Form   Prescrutiny   Submit	ote: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, inter-alls, provides that furnishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall tract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldences aspectively.    Vist   Check Form   Prescrutiny   Submit				
If any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shift etract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldends espectively.    Vote   Check Form   Prescrutiny   Submit	I any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shifteract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence espectively.    Value   Check Form	ne manager or membership	number or the company s	secretary	<del></del>
f any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information subtract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence espectively.    Value   Check Form   Prescrutiny   Gubmit	I any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shifteract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence espectively.    Value   Check Form				
If any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information subtract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence espectively.    Valor   Check Form   Prescrutiny   Gubmit	I any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shifteract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence espectively.    Value   Check Form				
If any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shifteract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false syldends espectively.    Value	I any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shifteract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 44 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence espectively.    Value   Check Form				
etract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 449 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence espectively.    Value   Check Form   Prescrutiny   Submit	Etract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence espectively.    Value   Check Form				
espectively.  Check Form Prescrutiny Submit  For office use only:  eForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Digital signature of the authorising officer	This e-Form is hereby registered Digital signature of the authorising officer  To false statement and punishment for false evidence statement and punishment for false evidence statement and punishment for false evidence statement and punishment for false evidence evidence appearance and punishment for false evidence and punishment for false evi				
For office use only:  eForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Check Form  Prescrutiny  Allow frong certains  Submit  Allow frong certains  Form filling date  [DD/MM/YYYY)  Check Form  Digital signature of the authorising officer  Countries submission	For office use only:  eForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Check Form   Prescrutiny   Submit    All of long default  Form filing date   (DD/MM/YYYY)  Control submitsion				
For office use only:  Eform Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Prescrutiny  Allow frieng periods  (DD/MM/YYYY)  Check Form  Prescrutiny  Allow frieng periods  (DD/MM/YYYY)  Check Form  Allow frieng periods  (DD/MM/YYYY)  Check Form  Digital signature of the authorising officer  Check Form  Digital signature of the authorising officer	For office use only:  For office use only:		for punishment for f	folge statement and numbers	and the false subdemon
For office use only:  EForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Digital signature of the authorising officer	For office use only:  EForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Digital signature of the authorising officer			inise schteineit eite baissiur	tally lot tarks attached
For office use only:  EForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Digital signature of the authorising officer	For office use only:  EForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Digital signature of the authorising officer		•	inise scatement and bussin	rest for tarbe distributed
For office use only:  EForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Digital signature of the authorising officer	For office use only:  ### Alive fring defluid  ### (DD/MM/YYYY)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  #### Desired submission				reality for fault divinional
eForm Service request number (SRN)  PForm filing date  (DD/MM/YYYY)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Doubles submission	eForm Service request number (SRN)  This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Oentrop submission	espectively.			
This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Doublet submission	This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Dentity submission	espectively.			
This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Doublet submission	This e-Form is hereby registered  Digital signature of the authorising officer  Dentity submission	espectively.		Prescrutiny	
Digital signature of the authorising officer Contrat submassion	Digital signature of the authorising officer Control submission	espectively.		Prescrutiny  Above frong certurity	- Submit
Digital signature of the authorising officer Doubleh submission	Digital signature of the authorising officer Control suprovsion	For office use only:	Check Form	Prescrutiny  Above frong certurity	- Submit
Digital algebraic of the authorizing circus	Digital signals of the additionally divided	For office use only:	Check Form	Prescrutiny  Above frong certurity	- Submit
Date of signing (DD/MM/YYYY)	Date of signing (DD/MM/YYYY)	For office use only:  eForm Service request num This e-Form is hereby regist	Check Form	Prescrutiny  Allow frong periods  eForm filling date	- Submit
(DDIMINE (111)	(DD/M/V/TTT)	For office use only:  eForm Service request num This e-Form is hereby regist	Check Form	Prescrutiny  Allow frong periods  eForm filling date	- Submit
		For office use only:  eForm Service request num This e-Form is hereby regis Digital signature of the au	Check Form	Prescrutiny  All of frong defaults  eForm filling date  Continue summession.	- Submit
		For office use only:  eForm Service request num This e-Form is hereby regis Digital signature of the au	Check Form	Prescrutiny  All of frong defaults  eForm filling date  Continue summession.	- Submit
		For office use only:  eForm Service request num This e-Form is hereby regis Digital signature of the au	Check Form	Prescrutiny  All of frong defaults  eForm filling date  Continue summession.	- Submit

ார். அராடி கொட்ட அடிக்கு இருந்தி சி. அண்ணுக்கும் ச

### Form No. INC - 10

## Form for verification of signature of subscribers [Pursuant to rule 16 (1) (q) of Companies (Incorporation) Rules,2014]

Size 4'\*4' (passport size)

- 1. Names, Father's name and address of subscribers/first directors:
- 2. Two Specimen signatures:

,,, <u>,</u>	
(ii)	

# Attestation (To be self-attested with address)

#### Note:

- 1. In point no. 1 above, strike off whichever is not applicable.
- 2. Person who is attesting should indicate his/her name, address and ID number,

### Form No. INC-11

### Certificate of Incorporation

[Pursuant to sub- section (2) of section7 of the Companies Act, 2013 and rule 18	and
sub-rule (13) of rule 36 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)	

I hereby certify that	(nan	ne of the company) is incorporated	Of
this day of	two thousand	under the Companies Act, 20	)13
and that the company is lin	nited by shares / limit	ed by guarantee/ unlimited compa	ny.
The CIN of the company is	<b></b>	<del>.</del>	
Given under my hand at thousand	•	day of two	
SEAL:	*********		
		Registrar of Companies	

(State)

### **FORM NO. INC-22**

[Pursuant to section 12(2) & (4) of The Companies Act, 2013 and Rule 25 and 27 of The Companies (Incorporation) Rules



Notice of situation or change of situation of registered office

014]	सत्यमेव अपते
	language ó English o Hindi the instruction kit for filing the form.
1.	*This Form is for o New company o Existing company
2.	*(a) Corporate identity number (CIN) of company or SRN of Form No. INC-1 (b) Global location number (GLN) of company
3.	(a) Name of the company
	(b) Address of the registered office of the company
	(c) Name of the office of existing Registrar of Companies (RoC)
1	c) Name of the office of existing Registrar of Companies (Roc)
	<ul> <li>(d) *Purpose of the form</li> <li>Change within local limits of city, town or village</li> <li>Change outside local limits of city, town or village, within the same RoC and state</li> <li>Change in RoC within the same state</li> <li>Change in state within the jurisdiction of same RoC</li> <li>Change in state outside the jurisdiction of existing RoC</li> </ul>
4.	Notice is hereby given that  *(a) The address of the registered office of the company with effect from  o (DD/MM/YYYY) is  o The date of incorporation of company is  *Address Line I
	Line II
	* City  * District
	* State/Union Territory
	*Pin code
	*Phone (with STD Code) 91 -
	*email ID
/ 1	A * Decistered - Aftica in

(b) \*Registered office is o Owned by company

o Owned by director (Not taken on lease by company)

o Taken on lease by company o Owned by a	iny other entity/Person(Not taken on lease by company)
(c) *Name of office of proposed RoC or new Ro	C
	······································
(d) Full address of the police station under who	as in the distinct of the second office is districted.
	se Invigatoriou que registeren ouvos is signaten
*Name	
*Address Line I	
Address Line II	
*City	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>
State/Union Territory	
*Pin code	7
L	
(e) *Particulars, of the Utility Services Bill_depi	cting the address of the registered office
(not older than two months)	
<u> </u>	<del></del>
5. (a) *SRN of Form MGT-14	
(b) *SRN of Form No. INC-28	
(c) *Date of order of the Central Government	(DD/MM/YY)
(c) bate of order of the control covering	(50)(11)
****** · ·	11-6 -8 666
Attachments	List of Attachments
(1) *Proof of Registered Office address	Market Co. 100 - 1
(Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement	Attach
along with the rent receipts) etc.;	
(2) *Coples of the utility bills as mentioned	Attach
above (not older than two months);	<del></del>
(3) *A proof that the Company is permitted	Attach
to use the address as the registered	
office of the Company if the same is owned	
by any other entity/ Person (not taken on	
lease by company);	Attach
(4) *Copy of order of competent authority;	
(5) List of all the companies (specifying their CIN)	Attach
having the same registered office address, if any;	A
(6) Optional attachment, if any.	Attach
	Remove attackers in
Decia	aration
I *	
A person named in the articles as a (Drop down: di	rector / manager / Company Secretary) of the company
<ul> <li>have been authorized by the Board of Directors of t</li> </ul>	he company vide resolution numberdeted
to sign this form and declare that	1
n *all the requirements of The Companies Act, 2013	and the rules made thereunder in respect of the subject
matter of this form and matters incidental thereto h	have been complied with.
*I also declare that all the information given he	rein above is true, correct and complete including the
attachments to this form and nothing material has	been suppressed.
<ul> <li>It is hereby further certified that (Small description</li> </ul>	n box), a (Drop down) (Values: Chartered Accountant/
Company Secretary/ Cost Accountant) having Mem	bership number and certificate of practice
number certifying this form ha	s been duly engaged for this purpose.
	· · · · ·
promise and a second a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a	
*To be digitally signed by DSC BOX	
<u> </u>	
*Designation	
*Director identification number of the director; or	
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or	
Membership number of the Company secretary	J
- · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

- 1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the company and maintained as per the relevant provisions of The Companies Act, 2013 and were found to be in order;
- 2. I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;
- I further declare that I have personally visited the registered office given in the form at the address mentioned
  herein above and verified that the said registered office of the company is functioning for the business
  purposes of the company.

Chartered accountant (in whole	-lime practice) or	C: Cost accountant (in w	hole-time practice) or
Company secretary (in whole-ti		Carried and an annual farms	note-wite precedes, or
Company dealers for more-a	inc practice,		
Whether associate or fellow	🗇 Associate 🕠	Fellow	
Membership number		<u> </u>	<del></del>
Certificate of practice number		11. 1. 1. F	
		<u> </u>	<u></u>
Attention is drawn to provisio		•	le for punishment for false
Attention is drawn to provisionent / certificate and punishm		•	le for punishment for false
•	ent for false evi	•	le for punishment for false
Check F	ent for false evi	dence respectively.	
nent / certificate and punishm	ent for false evi	Prescrutiny	
Check F	orm	Prescrutiny  Afternous Beauty	Tolera .
Check F  office use only:  orm Service request number (SRN)	orm	Prescrutiny  Afternous Beauty	Tolera .
Check F  Office use only:  orm Service request number (SRN)  Ital signature of the authorising off	orm	Prescrutiny  Afternous details  eForm filing date	Tolera .

(Purs	M NO. IN	C-29		Integrated I	ncorporatio	n Form
<b>~</b>	nant to secti	ons 4,7,12, 152 and		_	_	
153 o	f the Compa	nies Act, 2013 read				
	ules made ti					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		iglish o Hindi kit for filing the form	-			
		_ 	a.			
1.		type of company		<u>-</u>	}	
	(b) *State the	class of company o	Public o P	rivate o One Perso	n Company	
	(c) *State the	category of company				$\supset$
	(d) *State the	sub-category of comp	any			
	(e) *Compan	y is 🛘 Having share c	apital 🗆	Not having share ca	pital	
2.	(a) *Main div	ision of industrial activ	vity of the co	mpany	]	
	Description o	f the main division				
	L					
	/L\ #31/6 - 4		\		r- 43	
		ies Act, 2013 is opted f			IOA) as prescrit	ed under schedule I to the
		•	•		A) as prescribe	d under schedule 1 to the
		nnies Act, 2013 is opter			, (	<b>2                           </b>
	, ,	er Articles of Associati				
		er of Articles to which of such articles	provisions o	f entrenchment shall	be applicable	
				·· <del>·</del> ········		
	Sr. No.	Article Number	Short des	cription on entrend	hment of the cl	AUSO
			i			
			<u> </u>			
_				<del></del>		
3.	• •	ructure of the company				
3.	Total authoria	zed share capital (in Ru		- Banity	Preference	Unidentified
3.	Total authoria	zed share capital (in Ru share capital		Equity	Preference	Unidentified
3.	Authorized Number of s	zed share capital (in Ru share capital shares	ipees)	Equity	Preference	Unidentified
3.	Authorized Number of s Nominal am	zed share capital (in Ru share capital	ipees)	Equity	Preference	Unidentified
3.	Total authorized  Number of s  Nominal am  Total amour	zed share capital (in Rushare capital) share capital shares sount per share (in Rupe at (in Rupees)	ces)	Equity	Preference	Unidentified
3.	Total authorized Number of s Nominal am Total amour	zed share capital (in Rushare capital) share capital shares sount per share (in Rupont (in Rupees) sed share capital (in Ru	ces)		Preference	
3.	Total authorized Number of s Nominal am Total amour	share capital (in Rushare capital) shares sount per share (in Rupont (in Rupees) sed share capital (in Rushare capital)	ces)	Equity  Equity	Preference	Unidentified Preference
3.	Total authorized Number of s Nominal am Total amour  Total subscribed Number of s	share capital (in Rushare capital) shares sount per share (in Rupont (in Rupees) sed share capital (in Rushare capital)	ces)		Preference	
3.	Total authorized Number of s Nominal am Total amour  Total subscrited Number of s Nominal am	share capital (in Rushare capital) shares count per share (in Ruphat (in Rupees) cod share capital (in Rushare capital)	ces)		Preference	
3.	Total authorized Number of s Nominal am Total amour  Total subscribed Number of s Nominal am Total amour	share capital (in Rushare capital) share capital shares sount per share (in Rupont (in Rupees) sed share capital (in Rushare capital) shares sount per share (in Rupont (in Rupees)	ces)		Preference	
3.	Total authorized Number of s Nominal am Total amour Total subscribed Number of s Nominal am Total amour	zed share capital (in Rushare capital) share share (in Rupont (in Rupes) bed share capital (in Rushare capital) shares sount per share (in Rupont (in Rupes)	ces)		Preference	
3.	Total authorized Number of s Nominal am Total amour  Total subscribed Number of s Nominal am Total amour  (ii) *Details of (a) Enter th	share capital (in Rushare capital) share share capital shares sount per share (in Ruphat (in Rupees) sed share capital (in Rushare capital) shares sount per share (in Ruphat (in Rupees) of number of members	ces)  pees)  ces)	Equity	Preference	
3.	Total authorized Number of s Nominal am Total amour  Total subscribed Number of s Nominal am Total amour  (ii) *Details of (a) Enter th (b) Maximu	share capital (in Rushare capital) share capital shares sount per share (in Ruphat (in Rupees) sed share capital (in Rushare capital) shares sount per share (in Rupeat (in Rupees) of number of members e maximum number of	ces)  pees)  ces)	Equity	Preference	

4. (a) *Correspondence address	
*Line I	
Line II	
*City	
*State/Union Territory * Pin code	<del></del>
*District	
*Phone (with STD code)	
Fax	<u> </u>
*email ID of the company	
(b) *Whether the address for correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered office of the correspondence is the address of registered of the correspondence is the address of registered of the correspondence is the address of registered of the correspondence is the address of registered of the registered of t	-
*Particulars of the proposed name	
(a) Proposed name	
Significance of abbreviated or coined word in the proposed name	
State the name of the vernacular	
language(s) if used in the proposed	
name and meaning thereof	
(i) *Whether the promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary	or o Yes o No
unregistered entity in the name as applied for	. Van a Ma
If yes, whether the business of such entity shall be acquired	o Yes o No
<ul><li>(ii) *Whether the proposed name contains name of any person other than the promoter or their close blood relative(s)</li></ul>	
(iii) *Whether the proposed name includes the name of relative(s)	o Yes o No
(iv) *Whether approval from any sectoral regulator is required	o Yes o No
(v) Whether the name is similar to a Existing Indian Company of Foreign body of [Attach the copy of No Objection Certificate by way of Board resolution (duly of that company)]	-
Provide CIN Pre-fill	
Name of the Company	
(i) *Whether the proposed name is based on a registered trademark or is subject n	natter of an applicatio
(i) *Whether the proposed name is based on a registered trademark or is subject no pending for registration under the Trade Marks Act o Yes o No	natter of an applicatio
	natter of an applicatio

名言思想 不及職所就行為所以管理論軍者 衛星工作

*Father's surname			
*Gender	*Date of B	sirth	*Nationality
'Place of Birth			
Whether citizen of In-	dia o Yes o No	*Whether resident in Indi	ia o Yes o No
Occupation type o Se	elf Employed o Professi	ional to Homemaker o Stud	dent o Servicer
*Area of Occupation			
If 'Others' selected, ple	ease specify		
*Educational Qualifica			
* DPAN DPassport	number		rife Details
*Designation		*Category	
		Non-executive director	
'Name of the company	y or institution whose no	minee the appointee is	
<u> </u>	·		
*email ID			
Permanent Address			•
*Line I			
Line II			
*City			
* State/ Union Territor	<u> </u>	*Pin coo	de
*ISO Country code	Country		
*Phone (with STD/ISD	) code)	]	
Whether present resid	lential address same as p	ermanent residential addre	ss o Yes o No
Present address			
Line I			
Line II			
Line II	,	*Pin cod	e
Line II		*Pin cod	e
Line II *City *State/ Union Territory	Country	*Pin cod	le
Line II  *City  *State/ Union Territory *ISO Country code	Country Code)	*Pin cod	Months
Line II  *City  *State/ Union Territory  *ISO Country code  *Phone (with STD/ISD  *Duration of stay at pro	Country Code) Cresent address	] -	Months
Line II  *City  *State/ Union Territory  *ISO Country code  *Phone (with STD/ISD  *Duration of stay at pro	Country Code) Cresent address	- Years	Months
Line II  *City  *State/ Union Territory  *ISO Country code  *Phone (with STD/ISD  *Duration of stay at profit of the profit of t	Country Code) Cresent address	Years Pan one year then address	Months of previous re
Line II  City  State/ Union Territory  ISO Country code  Phone (with STD/ISD  Duration of stay at press  Duration of stay at press  Proof of identity	Country Code) Cresent address is less the	- Years	Months of previous re
Line II  *City  *State/ Union Territory  *ISO Country code  *Phone (with STD/ISD  *Duration of stay at profit of the profit of t	Country Cocde) Cocde) Cocde) Cocde) Cocde) Cocde	Years Pan one year then address	Months of previous re

\*Address

Nature of \*Designation interest (specify)

\*Chers (specify)

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*\*Remail ID

\*First Name

Not a section of PT and a section of the section of

Middle Name	en en en en en en en en en en en en en e	. <u></u> : <u></u>	<u> </u>
*Surname			
*Father's first name	[		
Father's middle name		The state of the s	· <del>- ·</del> . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*Father's surname	<u> </u>		
*Gender	*Date of Birth	<del></del>	*Nationality
*Place of Birth			
*Whether citizen of Indi	a oYesoNo "Wh	ether resident in India	o Yes o No
*Occupation type o Seli	f Employed o Professional	o Homemaker o Stud	lent o Serviceman
*Area of Occupation	-	<u> </u>	
If 'Others' selected, plea	ase specify		
*Educational Qualificati	<u> </u>	<del></del>	
* o PAN o Passport n			
*Designation	<u> </u>	*Category	
	☐ Executive director ☐ Non		<del></del>
	or institution whose nomine		-
<u> </u>			
*email ID			
Permanent Address			
*Line I		· .	
Line II		<del></del>	- · - <u> </u>
*City		<u></u>	
* State/ Union Territory		*Pin cod	ie l
*ISO Country code	Country		
*Phone (with STD/ISD (		<u> </u>	
-	ntial address same as perman	ent residential addres	s o Yes o No
Present address	•		
*Line I			
Line II	<del></del>	<del></del>	
*City	<del></del>		
*State/ Union Territory		*Pin code	
*IŜO Country code	Country	<del></del>	
*Phone (with STD/ISD o	ode		
*Duration of stay at pres	ent address	Years	Months
If Duration of stay at pre	sent address is less than on	e year then address o	of previous residence
<u> </u>	<u></u>		
Proof of identity		*Residential Proof	

A STATE OF THE STATE OF	s subscribed	Nu	nber of sub	scribed :	shares	An	ount of si	is res sub	
Equity share				·	7				
Preference s								· ···· — ·	
Number of en	tities in which	directo	r have intere	est					
*Registration	n number								
*Name									
*Address					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		<del></del>	·····					<del></del>	
Nature of	*Designation	on [	<del>"</del>		· · · · · · · · · · · · · · · · ·				
interest	Percentage	of Share	holding [		Amou	nt 🗆			
	Others (spe	ci6a T		<del></del>	<u> </u>			بالبارية	
	lividual first su	bscribe	<u> </u>	han subs	criber cun	direc	tor) Pre-Fill		
	ividual first su	bscribe	<u> </u>	han subs	criber cun	direc			
Director Ide	ividual first su	ubscribe nber (IDI	(א			][	Pre-Fi#		ligi sa din
Director Ide	lividual first suntification num	ubscribe nber (IDI	<u> </u>			][	Pre-Fi#		region of
Director Idea Name	lividual first su mtification num es subscribed s	ubscribe nber (IDI	(א			][	Pre-Fi#		Han St. TA
Director Idea Name [ Kind of share Equity share Preference s	lividual first su mtification num es subscribed s	ubscribe nber (IDI	(א			][	Pre-Fi#		Programme Communication Commun
Director Idea Name  Kind of share Equity share Preference s	ividual first su mtification num es subscribed s hares	ubscribe nber (IDI	(א			][	Pre-Fi#		'rai 'i ''
Name [ Kind of share Equity share Preference s First Name	ividual first su mtification num es subscribed s hares	ubscribe nber (IDI	(א			][	Pre-Fi#		Tal 12 W
Director Idea Name [ Kind of share Equity share Preference s First Name Aiddle Name Surname	ividual first su mtification num es subsequent s hares	ubscribe nber (IDI	(א			][	Pre-Fi#		Top 1: 7
Name Kind of sham Equity share Preference s First Name Aiddle Name Surname Father's first	ividual first suntification number subscribed	ubscribe nber (IDI	(א			][	Pre-Fi#		10 - 7
Director Idea Name [ Kind of share Equity share Preference s First Name Aiddle Name Surname	ividual first suntification number subscribed	ubscribe nber (IDI	(א			][	Pre-Fi#		70 · 70 · 70 · 70 · 70 · 70 · 70 · 70 ·
Name Kind of sham Equity share Preference s First Name Aiddle Name Surname Father's first	ividual first suntification number subsection nu	ubscribe nber (IDI	(א			][	Pre-Fi#		1 X M
Name [ Kind of shane Equity share Preference s First Name Aiddle Name Surname Father's midd	ividual first suntification number subsection nu	abscribe nber (IDI	(א	scribed		][	Pre-Fill	onality [	70 2 70 2
Name  Kind of sham  Equity share Preference s  First Name Aiddle Name Surname  Father's first ather's midd	ividual first suntification number subscribed.  s subscribed. s hares	abscribe nber (IDI	N)	scribed		][	Pre-Fill		

	* □ PAN □ Passport number
	*email ID
	Permanent Address
	*Line I
	Line II
	*City
	* State/ Union Territory *Pin code
	*ISO Country code Country
	*Phone (with STD/ISD code) -
	*Whether present residential address same as permanent residential address o Yes o No
	Present address
	*Line I
	Line []
	*City
	*State/ Union Territory *Pin code *Pin code
	*ISO Country code Country
	*Phone (with STD/ISD code
	*Duration of stay at present address Years Months
	If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence
	*Proof of identity *Residential Proof
	Submit the proof of identity and proof of address under attachments.
	Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Amount of shares subscribed
	Equity shares
	Preference shares
(e) *Pa	articulars of non-individual first subscriber(s)
·Categ	
- Corpo	rate identity number(CIN) or foreign company
	ation number (FCRN) or any other registration number
•Name	of the body corporate
Registe	ered office address or Principal place of business in India or Principal place of business outside India
*Line I	
Line I	
*City	(Hoin Torriton)
1	/Union Territory *Pin code *Pin code
150 0	

*Phone (With STD/ISD code)  Fax  *email id  Particulars of the authorised person  *First Name  Middle Name  *Surname  *Father's First Name  Father's Surname  *Gender  *Juncome tax PAN  *Place of Birth (District & State)  *Occupation type  *Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  *State /Union Territory  *Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Number of subscribed shares  Number of subscribed shares  Preference shares	Country		
*email id   Particulars of the authorised person  *First Name   Middle Name   *Surname   *Father's First Name   Father's Middle Name   *Father's Surname   *Gender   *Date of Birth   *Nationality   *Income tax PAN   *Place of Birth (District & State)   *Occupation type   *Area of Occupation   *Educational qualification   Present Address  *Line I   Line I   Line I   Line I   State /Union Territory   *Pin code   ISO Country   *Phone (With STD/ISD code)   -   Mobile   Fax   *email id   Kind of shares subscribed   Number of subscribed shares   Amount of shares subscribe   Equity shares	*Phone (With STD/ISD code)		
Particulars of the authorised person  *First Name Middle Name  *Surname  *Father's First Name  Father's Surname  *Gender  *Income tax PAN  *Place of Birth (District & State)  *Occupation type  *Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  *State /Union Territory  ISO Country code  Country  *Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Number of subscribed shares  Amount of shares subscribe  Equity shares	Fax		
*First Name Middle Name  *Surname  *Father's First Name Father's Surname  *Father's Surname  *Gender  *Date of Birth  *Income tax PAN  *Place of Birth (District & State)  *Occupation type  *Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  *State /Union Territory  ISO Country code  Country  *Phone (With STD/ISD code)  *Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Number of subscribed shares  Amount of shares subscribe  Equity shares	*email id		
Middle Name  *Surname  *Father's First Name  Father's Middle Name  *Father's Surname  * Gender  *Date of Birth  *Nationality  *Income tax PAN  *Place of Birth (District & State)  *Occupation type  *Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  State /Union Territory  Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Number of subscribed shares  Amount of shares subscribed  Equity shares	Particulars of the authorised	person	
*Father's First Name Father's Middle Name  *Father's Surname  *Gender	*First Name		
*Father's First Name Father's Middle Name  *Father's Surname  *Gender	Middle Name		
Father's Middle Name  *Father's Surname  * Gender	*Surname		
*Father's Surname  * Gender	*Father's First Name		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*Gender *Date of Birth *Nationality  *Income tax PAN  *Place of Birth (District & State)  *Occupation type  *Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  *State /Union Territory *Pin code  Country Code  Country  *Phone (With STD/ISD code) - Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Amount of shares subscribe  Equity shares	Father's Middle Name		
*Gender *Date of Birth *Nationality  *Income tax PAN  *Place of Birth (District & State)  *Occupation type  *Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  *State /Union Territory *Pin code  Country Code  Country  *Phone (With STD/ISD code) - Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Amount of shares subscribe  Equity shares	*Father's Surname		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*Income tax PAN  *Place of Birth (District & State)  *Occupation type  *Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  *State /Union Territory  ISO Country code  Country  *Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Fquity shares  Amount of shares subscribed  Fquity shares		*Date of Birth	*Nationality
*Place of Birth (District & State)  *Occupation type  *Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  *State /Union Territory  ISO Country code  Country  *Phone (With STD/ISD code)  *Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Fquity shares  *Mount of shares subscribed  Fquity shares	*Income tay PAN	E 1870 E 1880	
*Occupation type  *Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I			K
*Area of Occupation  *Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  *State /Union Territory  *Pin code  Country  Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Figulty shares  Number of subscribed shares  Amount of shares subscribe	·		
*Educational qualification  Present Address  *Line I  Line II  *City  *State /Union Territory  ISO Country code  Country  *Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Equity shares  Number of subscribed shares  Amount of shares subscribe			
Present Address  *Line I Line II  *City  *State /Union Territory  *Pin code  Country code  Country  *Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Number of subscribed shares  Amount of shares subscribe			
*Line II  *City  *State /Union Territory  *Pin code  ISO Country code  Country  *Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Number of subscribed shares  Amount of shares subscribe	· L		<del></del>
*City  *State /Union Territory  *State /Union Territory  *Pin code  ISO Country code  Country  *Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Number of subscribed shares  Amount of shares subscribe  Equity shares		·····	
*City  *State /Union Territory  ISO Country code  Country  *Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Number of subscribed shares  Amount of shares subscribe  Equity shares			
*State / Union Territory			
Country  *Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax  *email id  Kind of shares subscribed  Rumber of subscribed shares  Amount of shares subscribe  Equity shares	·	*1	in code
*Phone (With STD/ISD code)  Mobile  Fax *email id  Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Amount of shares subscribe  Equity shares	ISO Country code		
Mobile Fax *email id  Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Amount of shares subscribe Equity shares	Country		
*email id  Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Amount of shares subscribe  Equity shares	*Phone (With STD/ISD code)		
*email id  Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Amount of shares subscribe  Equity shares	Mobile		
Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Amount of shares subscribe Equity shares	Fax		
Equity shares	*email id		
Equity shares	Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscrib
Preference shares	Equity shares		
		<del>-  </del> -	<del></del>
(a) *Nomination	·	n of association of	<u> </u>
*	the subscriber to the memorandur	ii or association or	
	do hereby nominate *		
the subscriber to the memorandum of association of			
*			
the subscriber to the memorandum of association of  do hereby nominate *  who shall become the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declar	manaiman in alimitate Community of	n within the meaning of Rule 3 of th	e Companies (Incorporation) Rule
the subscriber to the memorandum of association of do hereby nominate *	nonnee is engible for nomination	J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
the subscriber to the memorandum of association of  do hereby nominate *  who shall become the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declar		_	•

'First Name	
Middle Name	
Surname	
`Father's First Name	
Father's Middle Name	
· Father's Surname	
Gender *Date of Birth Nationality	
·Income- tax PAN Verify Details	
Place of Birth (District & State)	
Occupation type	
'Area of Occupation	<del></del> -
Educational qualification	
Permanent Address	
'Line I	
Line II	
*City	
*State /Union Territory *Pin code	
*ISO Country code	
Country	
Phone (With STD/ISD code)	
Mobile	
Fax	<u> </u>
email id	
*Whether present address is same as the permanent address a Yes o No	
Present Address Line I	<del></del>
Line II	
City	
*State/Union Territory *Pin code *Pin code	
1SO Country code	
Country	
Phone (With STD/ISD code)	
Mobile	
Fax	
*Duration of stay at present address Years Months	
If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence	
Proof of identity *Residential Proof	

Type of docume	rly to be paid	Form	****	orandum of	Articles (	al association
Particulars			26s	sociation .		
Amount of stamp duty to I	be baid (in ser.)				<u> </u>	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ii) Provide details of	stamp outy alread	<u> </u>				
Type of documenti Particulars	Form	Memorano Resocia		Articles of association		Others
otal amount of stamp (						
lode of payment of				<del></del>	<u>  </u>	
amp duty						
lame of vendor or reasury or Authority rany other competent gency authorised to ollect stamp duty or to ell stamp papers or to mbose the documents or o disperse stamp ouchers, on behalf of the lovernment						
erial number of mbossing or stamps or tamp paper or treasury hallan number				<del></del>	•	<del></del>
legistration number of endor		•		<u> </u>		<del></del>
ate of purchase of					_	<del></del>
tamps or stamp salper or ayment of stamp outy DDMMYYYYY)						
lace of purchase of lamps or stamp paper r payment of stamp duty						

প্রেট	ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाध		
	Area code AO type Range co	ode AO No.	
Info	prmation specific to TAN		
	Area code AO type Range c	ode AO No.	
Inco	orce of Income ome from Business/profession   Capital Gains   Inco ome from other source   No Income ess/Profession code	ome from house property	··· <u>·</u> ···
	dditional Information for Employer registration under	Implayee State Incumace Corneratio	<i>(</i>
	dditional Information for Employer registration under l of Unit <u> </u>	emproyee state insurance Corporation	/II (
	t nature of Work/ Business carried on	Work Sub category	
		·	
d/ (	s information is mandatorily required to be filled in correction of a company. This parate procedure prescribed by e-Biz portal.	***	_
d/ d r se tac	or TAN at the time of incorporation of a company. This parate procedure prescribed by e-Biz portal.  chments  *Memorandum of association;	***	_
d/ « r se tac	or TAN at the time of incorporation of a company. This parate procedure prescribed by e-Biz portal.  chments  *Memorandum of association;  *Articles of Association;	s facility is available at the e-Biz por	_
d/ « r se tac	or TAN at the time of incorporation of a company. This parate procedure prescribed by e-Biz portal.  chments  *Memorandum of association;	s facility is available at the e-Biz por	_
d/ c r se tac	or TAN at the time of incorporation of a company. The parate procedure prescribed by e-Biz portal.  chrments  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent	Attach	_
d/ crse	or TAN at the time of incorporation of a company. The parate procedure prescribed by e-Biz portal.  chments  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);	Attach Attach	_
d/ d r se tac	or TAN at the time of incorporation of a company. This parate procedure prescribed by e-Biz portal.  chments  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant	Attach Attach Attach Attach	_
d/ c	or TAN at the time of incorporation of a company. This parate procedure prescribed by e-Biz portal.  chments  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach	_
d/ (	or TAN at the time of incorporation of a company. The parate procedure prescribed by e-Biz portal.  thments  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach	_
d/ ( r se ttac 	or TAN at the time of incorporation of a company. The parate procedure prescribed by e-Biz portal.  chments  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;  NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach	_
d/ (d/ constant)	er TAN at the time of incorporation of a company. The eparate procedure prescribed by e-Biz portal.  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;  NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;  NOC from any other person;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach	_
d/ (d/ constant)	er TAN at the time of incorporation of a company. This eparate procedure prescribed by e-Biz portal.  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent recelpts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;  NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;  NOC from any other person;  Copy of certificate of incorporation of the foreign body	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach	_
d/ (r se ttac	er TAN at the time of incorporation of a company. The eparate procedure prescribed by e-Biz portal.  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;  NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;  NOC from any other person;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach	_
d/ ( r se ttac	er TAN at the time of incorporation of a company. The eparate procedure prescribed by e-Biz portal.  **The example of the prescribed by e-Biz portal.  **Memorandum of association;  **Articles of Association;  **Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent recelpts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;  NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;  NOC from any other person;  Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and resolution passed;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach	_
d/ ( r se tac	crack the time of incorporation of a company. The parate procedure prescribed by e-Biz portal.  chments  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent recelpts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;  NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;  NOC from any other person;  Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and resolution passed;  Resolution passed by promoter company;	Attach Attach	_
d/ ( r se tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac	crack the time of incorporation of a company. The parate procedure prescribed by e-Biz portal.  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;  NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;  NOC from any other person;  Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and resolution passed;  Resolution passed by promoter company;  NOC from existing Indian company;	Attach Attach	_
d/ ( r se ttac l. 2. 3. 3. 6. 9. 9. 9. 9. 4.	er TAN at the time of incorporation of a company. The eparate procedure prescribed by e-Biz portal.  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent recelpts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;  NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;  NOC from any other person;  Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and resolution passed;  Resolution passed by promoter company;  NOC from existing Indian company;  Interest of first director(s) in other entitles;	Attach Attach	_
d/ d r se	or TAN at the time of incorporation of a company. The parate procedure prescribed by e-Biz portal.  *Memorandum of association;  *Articles of Association;  *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);  Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent recelpts);  Copy of the utility bills (not older than two months);  Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;  Proof of relation;  NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;  NOC from any other person;  Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and resolution passed;  Resolution passed by promoter company;  NOC from existing Indian company;  Interest of first director(s) in other entitles;  Consent of Nominee;	Attach Attach	_

	19.	Proof of identity and address of Applicant III;	Attach			
	20.	Optional attachment(s), (if any)	Attach			
			·	J	Remove attachment	Γ
						1 7 3
ļ		Declaration				
	*I ha	ave gone through the provisions of the Companies Act, 2013,	the rules th	nereu	nder and prescribed zuidelic	
		ned thereunder in respect of reservation of name, understood				11 7 12 13
		onformity thereof.		•	, ,	
		eve used the search facilities available on the portal of the Min	istry of Corp	orat	e Affairs (MCA) for checking t	the l
		mblance of the proposed name with the companies and Li				
		ady registered or the names already approved. I have also used			·	7777
1		e proposed name with registered trademarks and trade mark				
		1999 and other relevant search for checking the resemblance			• •	
_		pliance of the provisions of the Act for resemblance of name a				
ū		e proposed name is not in violation of the provisions of Embler	ns and Nam	es (P	revention of improper Use). A	
_		as amended from time to time.				والمستواء
0		e proposed name is not offensive to any section of people, e. ds or phrases that are generally considered a siur against an et				
0		e proposed name is not such that its use by the company will o		_	<del>-</del>	ر در معطو
٦		g in force.	JUIISTITUTE DI		ince cities any law lot the H	1
0		ndertake to be fully responsible for the consequences in c	ase the nai	me is	subsequently found to be	
		ravention of the provisions of section 4(2) and section 4(4) of			• •	
	have	also gone through and understood the provisions of section	4(5) (ii) (a)	and	(b) of the Companies Act, 20	
	and o	rules thereunder and fully declare myself responsible for the c	onsequence	s the	ereof.	
	*1					]
	-	rson named in the articles as a director of the company has	_		• •	1.3.77.24
		pany to sign this form and declare that all the requirements of				11.2
		eunder in respect of Director Identification Number (DIN), regi cidental thereto have been complied with.	istration of	rus C	ompany and matters precede	-
		authorized by the promoter subscribing to the Memorandur	n of Accoris	tion	and Articles of Association a	والمناس
		irst director(s) to give this declaration and to sign and submit		iuoii	8110 VI (1010) O1 V3300180011 &	
D		authorised by each subscriber to declare that company shall		ence i	its business, unless each	·
		criber has paid the value of the shares agreed to be taken by h				
	of As	sociation;			_	
0		her declare that, company shall not commence its business, u	nless all the	regu	ired approval from the secto	
	•	lators such as RBI, SEBI etc. have been obtained;				
		behalf of the promoters and the first directors, hereby declare		-		
		acknowledging all communications and notices addressed to the	he proposed	l con	pany on incorporation , shall	
_		stained at the given address at item no. 4 of this form;				
ū		n behalf of all the first director(s) named in the Articles of A are, that the declaration given herein as stated above are tru				
		mation given in this integrated application form for incorpor			· •	17.7%
		plete, and nothing relevant to this form has been suppres				1,5,3,5
		pletely, correctly and legibly attached to this form and are		•		1.1 4.45
		noters subscribing to the Memorandum of Association and Art	-	_	•	17 ()
0		behalf of the proposed Directors whose particulars for allotr				
		declare that they are not restrained, disqualified, removed for l				274.44
		provisions of the Companies Act, 2013 including sections 1				
		aimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Ma				
	and r	not been already allotted a Director Identification Number (DIN	) under sect	ion 1	54 of the Companies Act, 201	
			-			

	I further declare that I have read and understood the provisions of Sections 154, 155, 447 and 448 read with
Section	ons 449, 450 and 451 of the Companies Act, 2013.
	Membership number and/or certificate of practice number
in the	ટલ engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached.
HW/ fall	Attention is drawn to the provisions of sections 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that a saishing of ise or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract ment for fraud under section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide aishment for false statement and punishment for false evidence respectively.
170 bs	digitally signed by director DSC BOX
1,57 6.1	Committee of the Commit
/ulling of	Declaration and Certification by Professional  of [  ffice at *
i in sifu Pressa i Candini i i turm	ngaged in the formation of the company declare that I have been duly engaged for the purpose of certification or a. It is hereby also certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules let for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars attachment(s)) from the original/certified records maintained by the applicant which is subject matter of a and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been ed. I further certify that;
.3	the draft memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of sections 4 and 5 and rules made thereunder; and
3.4	all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 7 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
-135	shave opened all the attachments to this form and have verified these to be as per requirements, complete and legible:
avy	I further deciare that I have personally visited the proposed registered office given in the form at the address mentioned herein above and verified that the said proposed registered office of the company is functioning for the business purposes of the company (wherever applicable in respect of the proposed registered office has been given).
**;	It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

	hole-time practice) (	🔵 Advocate 🔭	<del></del>
*Whether associate or fellow * Membership number		○ Fellow	
Certificate of practice number	•		
*income-tax PAN			
Modf,	Check Form	Prescrutiny	Submit
For office use only:	· = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Affix fling details	
eForm Service request number	(SRN)	eForm filing date	(DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered	d		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Digital signature of the author	rising officer	Denfor submission	
Date of signing	Γ		
ections 4 and 5) to the Co			
ections 4 and 5) to the Co ict, 2013] m language O English O Hi er the instruction kit for fi	indi	<u> </u>	
Pursuant to Schedule I (seections 4 and 5) to the Color, 2013]  m language O English O Hiller the instruction kit for filesect the appropriate table apanies Act, 2013	indi	company as notified und	ler schedule I of the
ections 4 and 5) to the Coct, 2013]  m language O English O Hier the instruction kit for fillect the appropriate table panies Act, 2013	indi ling the form.	CIATION OF A COMP	
ections 4 and 5) to the Coct, 2013]  m language O English O Hier the instruction kit for file lect the appropriate table apanies Act, 2013  ble A- MEMORANDU	indi ling the form.  e applicable to o	CIATION OF A COMP ARES Limited / Private Li	'ANY LIMITED mited''.
ections 4 and 5) to the Conct, 2013]  m language O English O Hiller the instruction kit for file elect the appropriate table appropriate table appropriate Act, 2013  The name of the company is The registered office of the	indi ling the form.  e applicable to o  JM OF ASSOC  BY SHA	CIATION OF A COMP ARES Limited / Private Linstuated in the State of	ANY LIMITED
m language O English O His registered office of the Company is The registered office of the (a) The objects to be pursue	indi ling the form.  e applicable to o  BY SH.  company will be d by the company	CIATION OF A COMP ARES Limited / Private Linsituated in the State of	ANY LIMITED mited".
ections 4 and 5) to the Conct, 2013]  In language O English O Hister the instruction kit for fits elect the appropriate table inpanies Act, 2013  The name of the company is The registered office of the (a) The objects to be pursue (b) Matters which are necess The liability of the member	indi ling the form.  e applicable to order  BY SHA company will be do by the company sary for furtheranges is limited and	CIATION OF A COMP ARESLimited / Private Linsituated in the State of / on its incorporation are:— ce of the objects specified	'ANY LIMITED mited''.  in clause 3(a) are
m language O English O His let the instruction kit for file lect the appropriate table appropriate table appropriate Act, 2013  The name of the company is The registered office of the (a) The objects to be pursue (b) Matters which are necessary, on the shares held by them	indi ling the form.  e applicable to o  BY SH.  company will be d by the company sary for furtheranger(s) is limited and in.	CIATION OF A COMP ARESLimited / Private Linsituated in the State of on its incorporation are:— ce of the objects specified I this liability is limited to	ANY LIMITED mited".  in clause 3(a) are the amount unpaid, if
m language O English O Hier the instruction kit for file lect the appropriate table appanies Act, 2013  The name of the company is The registered office of the (a) The objects to be pursue (b) Matters which are necess The liability of the member 4, on the shares held by them 5	indi ling the form.  e applicable to  BY SH.  company will be d by the company sary for furtheran r(s) is limited and n.  of the comp	CIATION OF A COMPARESLimited / Private Linsituated in the State of on its incorporation are:—ce of the objects specified I this liability is limited to pany is	ANY LIMITED  mited".  in clause 3(a) are the amount unpaid, if rupees, divided
m language O English O His let the instruction kit for file let the instruction kit for file let the appropriate table had been a	indi ling the form.  e applicable to a  BY SH.  company will be d by the company sary for furtherangers is limited and and and and and and and and and an	CIATION OF A COMPARESLimited / Private Linsituated in the State of on its incorporation are:—ce of the objects specified I this liability is limited to pany is	ANY LIMITED  mited".  in clause 3(a) are the amount unpaid, if rupees, divided  are desirous of being

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	No. of shares taken by each subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
A.B. ofMerchant	*****		Signed before me: Signature
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Total shares taken			

7<sup>th</sup> I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	, -	nam and	es, addres occupations	,

8th Shri/Smt	., son/daughter of	, resident of	aged ye	ars
	the event of death of the se			
one person company)				
Dated the day of	f			

## Table B - MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL

1st The name of the company is "	Limited/Private Limited*.
2nd The registered office of the company	will be situated in the State of
3rd (a) The objects to be pursued by the c	ompany on its incorporation are:—
(b) Matters which are necessary for for	ortherance of the objects specified in clause 3(a) are:-

- (b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:—4th The liability of the member(s) is limited.
- 5th Every member of the company undertakes to contribute:
- (i) to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member, or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member; and
- (ii) to the costs, charges and expenses of winding up (and for the adjustment of the rights of the contributories among themselves), such amount as may be required, not exceeding.....rupees.

6th We, the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association.

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, description witnesses.	names, and occu	address pations	- '
ABC ofmerchant		Signed before Signature			

th I, whose name and add			
of this memorandum of as			
Names, addresses, descri			
and occupations of subsc	riber	1 -	and occupations of
		witnesses.	
ABC ofmerchant		Signed before	■ ·
		Signature	<u> </u>
0.1.01.110			
			aged years shall be
the nominee in the event	of death of the sole me	mber (Applicable in c	ase of one person
company)			
Datedt	he day of		
Table C- MEMOR	ANDUM OF ASSC	CIATION OF A C	OMPANY LIMITED
BY GU.	ARANTEE AND H	AVING A SHARE	CAPITAL
1st The name of the com	pany is "	Limited/Privat	e Limited''.
2nd The registered office			
3rd (a) The objects to be			
			cified in clause 3(a) are:—
4th The liability of the m	•	nee or the objects spec	
5th Every member of the	` ,	o contribute:	•
			p while he is a member, o
			debts and liabilities of the
	as and nabilities as in	ly have been contract	ed before he ceases to be
member; and	sa and arraness of win.	ling up (and for the od	instruent of the rights of the
			justment of the rights of the
contributories among	, -	i amount as m	ay be required, no
exceeding		•	. و د دو
	pital of the con		rupees, div <b>ide</b>
into		-	
			re desirous of being former
			ve respectively agree to take
the number of shares in t	he capital of the compa	ny set against our resp	pective names:—
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Names, addresses,	No. of shares taken by	1 -	of Signature, names,
descriptions and	each subscriber	subscriber	addresses, description
occupations of			and occupations of
subscriber			witnesses.
A.B. ofMerchant	••••	<del> </del>	Signed before me:
			Signature
		1	

The name of the common is 66

8th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, description witnesses.	names, and occ	address upations	
ABC ofmerchant		Signed before	re me		
		Signature	•		

9th Shri/Smt,	son/daughter of	, resident of	aged	years shall be
the nominee in the eve	ent of death of the sole mer	nber (Applicable i	in case of one	person
company)				
Dated	the day of	••••		

## Table D- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND NOT HAVING SHARE CAPITAL

ist the name of the company is	
2nd The registered office of the company will be situated in the State of	
3rd (a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:—	
(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a)	are:-
4th The liability of the member(s) is unlimited.	

5th We, the several persons, whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association.

Names, addresses, descriptions	Signature of subscriber		name	-,	
and occupations of subscriber		description	and o	occupations	of
		witnesses.			ŀ
ABC ofmerchant		Signed before	re me	•••	]
		Signature			

6th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, description witnesses.	names, and occi	address upations	ses, of
ABC ofmerchant		Signed before Signature		- <del>-</del> · -	

7th Shri/Smt, son/daughter of			ıll be
the nominee in the event of death of the sole n	nember (Applicable is	n case of one person	
company)			
Dated the day of			

## Table E- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND HAVING SHARE CAPITAL

Ist The name of the comp and The registered office Ind (a) The objects to be p (b) Matters which are th The liability of the me	of the cor oursued by necessary	mpany will be s y the company y for furtheranc	ituated in on its inco	the State of	<del></del>
5th The share cainto	shares o sons, who n pursuar	fose names, and nee of this mem	rup addresses orandum o	ees each. are subscribe fassociation a	ed, are desirous of being and we respectively agre
Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber		hares taken by bscriber	Signature subscribe		Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses,
A.B. ofMerchant	******	•			Signed before me: Signature
7th I, whose name and a this memorandum of as (Applicable in case of or	sociation	and agree to t			
Names, addresses, descand occupations of sub	•	Signature of s	ubscriber		names, addresses, and occupations of
ABC ofmerchant				Signed before Signature	•
8th Shri/Smt, son the nominee in the event					

Dated..... the day of.....

## FORM NO. INC-31

### **Articles of Association**

[Pursuant to Schedule I (see Sections 4 and 5) to the Companies Act, 2013)]

Form language O English O Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1.	*Select the appropriate tabl	e applicable to comp	any as notified	under schedule I o
	the companies Act, 2013			

Articl e No.	Description	Applicable Y/N
	Interpretation	
1	(a) "the Act" means the Companies Act, 2013, (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
		İ
	Share capital and variation of rights	

2	(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,— (a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first. (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon. (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders	o Yes o No
3	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate.  (ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall mutatis mutandis apply to debentures of the company.	a Yes a No
4	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.	o Yes o No
5	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder. (ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40. (iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.	o Yes o No

6	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class.  (ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.	o Yes o No
7	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.	o Yes o No
8	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.	o Yes o No
	Lien	
9	(i) The company shall have a first and paramount lien— (a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and (b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company: Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause. (ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.	o Yes o No
10	The company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien: Provided that no sale shall be made—  (a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or (b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.	o Yes o No

11	(i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof (ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer.  (iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.	o Yes o No
12	(i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable.  (ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.  Calls on shares	o Yes o No
13	(i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times: Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call.  (ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares.  (iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.	o Yes o No
14	A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by instalments.	o Yes o No
15	The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof:	o Yes o No
16	(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine.  (ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.	o Yes o No

	(1)	1
1 <b>37</b> -	(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable.  (ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall, apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made	o Yes o No
	and notified.	L
	The Board—  (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and  (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.  Transfer of shares	o Yes o No
<u>6.59</u>	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee.  (ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.	o Yes o No
20	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register—  (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or  (b) any transfer of shares on which the company has a lien.	o Yes o No
23	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless— (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56; (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.	o Yes o No
22	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time  Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.	o Yes o No
	Transmission of shares	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

23	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares (ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.	
24	(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either—  (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made.  (ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.	o Yes o No
25	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects.  (ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share.  (iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.	o Yes o No
26	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company: Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.	o Yes o No

27	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member; (ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable; (iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.	o Yes o No
·	Forfeiture of shares	<u> </u>
28	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.	o Yes o No
29	The notice aforesaid shall—  (a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and (b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.	o Yes o No
30	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.	o Yes o No
31	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit. (ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.	o Yes o No
32	(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares.  (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.	o Yes o No
33	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and	o Yes o No

	(iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.	
34	The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
	Alteration of capital	
35	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.	o Yes o No
36	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,—  (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;  (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination;  (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum;  (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.	o Yes o No
37	Where shares are converted into stock,—  (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.  (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.  (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.	o Yes o No
38	The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law,—  (a) its share capital;  (b) any capital redemption reserve account; or (c) any share premium account.	o Yes o No

on such members.

## Capitalisation of profits (ii) The company in general meeting may, upon the recommendation of the o Yes o No · Briand resolve — (a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the profit and loss account, or otherwise available for distribution; and (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled prhereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions. (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to provision contained in clause (iii), either in or towards-(A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively; (8) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid; (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in Sub-clause (B); (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of . Onestied shares to be issued to members of the company as fully paid bonus 54ai 651 (a) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in productive of this regulation. (i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board o Yes o No 5850 E - 1 (c) make all app. corriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if arry. generally do all acts and things required to give effect thereto. shall (11) Coard have power-(a) to make such a rovisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming alsonbutable in fractions: (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares; (iii) Any agreement made ender such authority shall be effective and binding

_	Buy-back of shares	
41	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.	o Yes o No
	General meetings	
42	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
43	<ul> <li>(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting.</li> <li>(ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.</li> </ul>	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	
44	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.  (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
45	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
46	if there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
<b>4</b> 7	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
48	in case of a One Person Company— (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.	o Yes o No

u	Adjournment of meeting	
49	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place.  (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.  (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.  (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	o Yes o No
	Voting rights	
50	Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,—  (a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and  (b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.	o Yes o No
51	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
52	(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.  (ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.	o Yes o No
53	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
54	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
55	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid	
56	<ul> <li>(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.</li> <li>(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.</li> </ul>	o Yes o No

	Proxy	
57	The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.	o Yes o No
58	An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105	o Yes o No
59	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
· ·· ·	Board of Directors	
60	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
61	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day.  (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them—  (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company.	o Yes o No
62	The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.	o Yes o No
53	The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may thinks fit respecting the keeping of any such register.	o Yes o No
54	All cheques, promissory notes, drafts, hundis, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine	o Yes o No
55	Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.	o Yes o No

13-610	५ ३(१)] नारा पा राज्य : असावारण	
66	<ul> <li>(i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles.</li> <li>(ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act.</li> </ul>	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
67	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
68	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
69	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
70	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
71	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit.  (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
72	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
73	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.	o Yes o No
	<u> </u>	

s o No
o No
o No
o No
o No
o No
o No

82	profits of the company.  (i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for	
	meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider	
83	necessary not to divide, without setting them aside as a reserve  (i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares.  (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share.  (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.	o Yes o No
84	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.	o Yes o No
	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct.  (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.	o Yes o No
86	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.	o Yes o No
	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.	o Yes o No
88	No dividend shall bear interest against the company.	o Yes o No

89	(i) The Board shall from time to time deter and at what times and places and under waccounts and books of the company, or a inspection of members (ii) No member (not being a director) shall account or book or document of the companauthorised by the Board or by the compan	what conditions or regulations, the any of them, shall be open to the not being directors. Il have any right of inspecting any pany except as conferred by law or	o Yes o No
<u> </u>	Winding u	IP .	
90	Subject to the provisions of Chapter thereunder—  (i) If the company shall be wound up, the li a special resolution of the company and a Act, divide amongst the members, in speci the assets of the company, whether they skind or  (ii) For the purpose aforesaid, the liquidate fair upon any property to be divided as a such division shall be carried out as betwee of  (iii) The liquidator may, with the like sanct such assets in trustees upon such trusts for if he considers necessary, but so that no meany shares or other securities whereon the	quidator may, with the sanction of my other sanction required by the e or kind, the whole or any part of hall consist of property of the same not. or may set such value as he deems foresaid and may determine how in the members or different classes members. Sion, vest the whole or any part of or the benefit of the contributories ember shall be compelled to accept	o Yes o No
	Indemnit	у	
91	Every officer of the company shall be independently against any liability incurred by limited by limited expendently against any liability incurred by limited whether civil or criminal, in which judgment he is acquitted or in which relief is granted to Note: The Articles shall be signed by each association who shall add his address, description are signatures shall be in form specified below	nim in defending any proceedings, nt is given in his favour or in which to him by the court or the Tribunal. subscriber of the memorandum of scription and occupation, if any, in shall attest the signature and shall nd occupation, if any, and such	o Yes o No
	addresses, descriptions and occupations of	Witnesses (along with name	es, addresses,
subscrib	<del> </del>	descriptions and occupations)	
ABC of	merchant	Signed before me Signature	
	i		

Dated theday of20				
	20	day of	ated the	n

Place: .....

urtici 4 No.	Description	Applicable Y/N
······································	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Grectors may, from time to time, register an increase of members.	o Yes o No
no region del Mort	All the articles of Table F in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company.	o Yes o No
abie f	- ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES	
	Interpretation (1) In these regulations—	o Yes o No
	(a) "the Act" means the Companies Act, 2013, (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) thiless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	
	Share capital and variation of rights	
	Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.	o Yes o No
	(i) Every person whose name is entered as a member in the register of inembers shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,—(a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first.  (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon.  (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.	o Yes o No

3	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate.  (ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall mutatis mutandis apply to debentures of the company.	o Yes o No
4	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.	o Yes o No
5	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder.  (ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40.  (iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.	o Yes o No
6	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class.  (ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.	o Yes o No
7	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.	o Yes o No
8	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.	o Yes o No
	Lien	

1 II - 610 E	3(1)] भारत का राजपत्र : असाबारण	
9	(i) The company shall have a first and paramount lien—	o Yes o No
1	(a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether	l
	presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that	j
	share; and	ĺ
	(b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name	
ĺ		•
1	of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the	]
İ	company:	
	Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be	
]	wholly or in part exempt from the provisions of this clause.	j
1	(ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable	
	and bonuses declared from time to time in respect of such shares.	
10	The company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on	o Yes o No
	which the company has a lien:	0 100 0 110
		ļ
	(a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or	
ļ	(b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and	
	demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien	
	exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the	
i	time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death	
1	or insolvency.	
11	(i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to	o Yes o No
	transfer the shares sold to the purchaser thereof	0 100 0 110
j	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in	
İ	any such transfer.	
	(iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase	
	money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or	·
<u></u>	invalidity in the proceedings in reference to the sale.	
12	(i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in	o Yes o No
	payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is	
1	presently payable.	
	(ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently	
i		
	payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person	
-	entitled to the shares at the date of the sale.	
ļ	Calls on shares	
13	(i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect	o Yes o No
	of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal §	[
j	value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of	
	allotment thereof made payable at fixed times:	
	Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the	
	share or be payable at less than one month from the date fixed for the	
	1	Į.
1	payment of the last preceding call.	
	(ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice	
1	specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at	
i	the time or times and place so specified, the amount called on his shares.	
]	(iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.	[
ł		
L	<u> </u>	

14	A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by	o Yes o No
	instalments.	
15	The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.	o Yes o No
16	(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine.  (ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.	o Yes o No
17	(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable.  (ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
18	The Board—  (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.  Transfer of shares	o Yes o No
19	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee.  (ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.	
20	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register—  (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or	o Yes o No

	·	
21	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless— (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56; (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.	o Yes o No
22	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine: Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.	o Yes a No
	Transmission of shares	
23	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares (ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.	o Yes o No
24	(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either—  (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made.  (ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.	o Yes o No
25	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects. (ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share. (iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.	o Yes o No

27   (	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company: Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.  In case of a One Person Company—  (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable;	
28 I f a a r v	(i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member; (ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and	o Yes o No
29 T	(iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.	
29 T	Forfeiture of shares	
(t   t   t	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.	o Yes o No
Įt	The notice aforesaid shall—  (a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and (b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.	o Yes o No
s t		o Yes o No
31 (i	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.	o Yes o No

32	<ul> <li>(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares.</li> <li>(ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.</li> </ul>	o Yes o No
33	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and (iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.	o Yes o No
34	The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
	Alteration of capital	
35	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.	o Yes o No
36	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,—  (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;  (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination;  (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum;  (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.	o Yes o No

37	Where shares are converted into stock,— (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose. (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage. (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.	o Yes o No
38	The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law,—  (a) its share capital;  (b) any capital redemption reserve account; or-  (c) any share premium account.	o Yes o <b>No</b>
<u> </u>	Capitalisation of profits	
39	(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve—  (a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and  (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.  (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards—  (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such respectively;  (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid;  (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause  (B);  (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares;  (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.	o Yes o No

	जिल्ला का स्वयंत्र । अस्तिवारन	
40	(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall—  (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any;  and  (b) generally do all acts and things required to give effect thereto.  (ii) The Board shall have power—  (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and  (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares;  (iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.	o Yes o No
41	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.	o Yes o No
42	General meetings  All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
43	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting.  (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.  Proceedings at general meetings	o Yes o No
44	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.  (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
45	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
46	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
47	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No

48	In case of a One Person Company—  (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118;  (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member;  (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	
49	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place.  (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.	o Yes o No
	(iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	:
50	Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,—  (a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and  (b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.	o Yes o <b>No</b>
51	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
52	(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.  (ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.	o Yes o No
53	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
54	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
55	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid	
56	<ul> <li>(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.</li> <li>(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.</li> </ul>	o Yes o No

গদ (I-खण्ड 3(i)]

	Proxy	}
57	The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.	o Yes o No
58	An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105	o Yes o No
59	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
	Board of Directors	
60	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
61	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company.	o Yes o No
62	The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.	o Yes o No
63	The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may thinks fit respecting the keeping of any such register.	o Yes o No
64	All cheques, promissory notes, drafts, hundis, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine	o Yes o No
65	Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.	o Yes o No

66	<ul> <li>(i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles.</li> <li>(ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act.</li> </ul>	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
67	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit.  (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
68	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.  (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
69	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
70	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
71	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit.  (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
72	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
73	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.	o Yes o No
	<u> </u>	

<del></del>		
74	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
75	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
76	In case of a One Person Company— (i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.	o Yes o No
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	
77 78	Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board; (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.  A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to	o Yes o No
	be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	
79	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal.  (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.	o Yes o No
	Dividends and Reserve	
30	The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.	o Yes o No

<del></del>	THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINART	[FARI II—SEC
81	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.	o Yes o No
82	(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve	o Yes o No
83	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares.  (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share.  (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.	o Yes o No
84	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.	o Yes o No
85	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct.  (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.	o Yes o No
86	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.	o Yes o No
87	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.	o Yes o No
88	No dividend shall bear interest against the company.	o Yes o No
	Accounts	

89	(i) The Board shall from time to time determin and at what times and places and under what accounts and books of the company, or any conspection of members not (ii) No member (not being a director) shall have account or book or document of the company authorised by the Board or by the company in page 2.	conditions or regulations, the of them, shall be open to the being directors. We any right of inspecting any except as conferred by law or	o Yes o No
	Winding up	- <del></del>	
90	Subject to the provisions of Chapter XX of thereunder—  (i) If the company shall be wound up, the liquid a special resolution of the company and any of Act, divide amongst the members, in specie or the assets of the company, whether they shall of kind or (ii) For the purpose aforesaid, the liquidator may fair upon any property to be divided as afores such division shall be carried out as between the of (iii) The liquidator may, with the like sanction, such assets in trustees upon such trusts for the if he considers necessary, but so that no members.	ator may, with the sanction of ther sanction required by the kind, the whole or any part of consist of property of the same not. By set such value as he deems said and may determine how embers or different classes members. West the whole or any part of benefit of the contributories r shall be compelled to accept	o Yes o No
	any shares or other securities whereon there is	any liability.	
	Indemnity		
91	Every officer of the company shall be indemn company against any liability incurred by him in whether civil or criminal, in which judgment is a he is acquitted or in which relief is granted to him Note: The Articles shall be signed by each subscassociation who shall add his address, description the presence of at least one witness who shall likewise add his address, description and or signatures shall be in form specified below:	n defending any proceedings, given in his favour or in which in by the court or the Tribunal. wriber of the memorandum of on and occupation, if any, in pattest the signature and shall	o Yes o No
Names.	, addresses, descriptions and occupations of Wit	nesses (along with name	s, addresses,
subscri		riptions and occupations)	
ABC of		ed before me ature	

Dated the......day of ......20.....

Place: .....

Artici e No	Description	Applicability Y/N
	interpretation	
1	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013; (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall have the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
	Members	
1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.	o Yes o No
2	The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.	o Yes o No
	General meetings	
3	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
4	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	
5	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.  (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
6	The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No

7	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
8	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	
9	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place.  (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.  (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.  (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	o Yes o No
	Voting rights	
10	Every member shall have one vote.	o Yes o No
11	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
12	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all sums presently payable by him to the company have been paid.	o Yes o No
13	<ul> <li>(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.</li> <li>(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.</li> </ul>	o Yes o No
14	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No

15	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
16	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
	Board of Directors	
17	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
18	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
19	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit.  (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
20	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.  (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	p Yes o No
21	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
22	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office.  (ii) If no such chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
23	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit.  (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No

(ii) If no suc not present meeting, th	mmittee may elect a Chairperson of its meetings. O Yes o No the Chairperson is elected, or if at any meeting the chairperson is the within five minutes after the time appointed for holding the members present may choose one of their members to be not the meeting.
(ii) Question a majority o	nmittee may meet and adjourn as it thinks proper. o Yes o No arising at any meeting of a committee shall be determined by of votes of the members present, and in case of an equality of hairman shall have a second or casting vote.
26 All acts don any person afterwards one or more they or any	e by any meeting of the Board or of a committee thereof or by acting as a director, shall, notwithstanding that it may be discovered that there was some defect in the appointment of any e of such directors or of any person acting as aforesaid, or that of them were disqualified, be as valid as if every such director or had been duly appointed and was qualified to be a director.
signed by all time being e shall be as y	rerwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, o Yes o No lead the members of the Board or of a committee thereof, for the entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, walld and effective as if it had been passed at a meeting of the mmittee, duly convened and held.
Ch	ief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer
officer may and upon so manager, co removed (ii) A director	to the provisions of the Act,— o Yes o No executive officer, manager, company secretary or chief financial be appointed by the Board for such term, at such remuneration such conditions as it thinks fit; and any chief executive officer, empany secretary or chief financial officer so appointed may be by means of a resolution of the Board, may be appointed as chief executive officer, manager, company chief financial officer.
be done by secretary or	of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to o Yes o No or to a director and chief executive officer, manager, company chief financial officer shall not be satisfied by its being done by
i i	me person acting both as director and as, or in place of, chief licer, manager, company secretary or chief financial officer.

30	(i) The Board shall provide for th	e safe custody	of the seal.	o Yes o No			
1	(ii) The seal of the company shall not be a	ffixed to any instrur	ment except by				
	the authority of a resolution of the Board	-					
	authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint						
1							
	for the purpose; and those two directors	and the secretary o	r other person				
	aforesaid shall sign every instrument to w	hich the seal of the	company is so				
	affixed in	their	presence.				
]	Note: The Articles shall be signed by each:	subscriber of the m	emorandum of				
1	association who shall add his address, des	cription and occupa	ation, if any, in <sup>'</sup>				
	the presence of at least one witness who	shall attest the sign	ature and shall				
	likewise add his address, description and occupation, if any, and such						
	signatures shall be in form specified below	<i>ı</i> :					
Names,	addresses, descriptions and occupations of	Witnesses (alon	g with nam	es, addresses,			
subscribers		descriptions and o	ccupations)				
ABC of merchant		Signed before me.	•••				
		Signature					
		·—					

Dated theday of20.
--------------------

Diame.	
Piace:	**************************

Article No	Description	Applicability Y/N
1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, register an increase of members.	o Yes o No
2	All the articles of Table F in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company.	o Yes o Na

1	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013, (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
	Share capital and variation of rights	]
li 1	Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.	o Yes o No
2	(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,— (a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first. (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon. (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.	o Yes o No
2	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate.  (ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall mutatis mutandis apply to debentures of the company.	o Yes o No
	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.	o Yes o No

5	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder. (ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40. (iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.	o Yes o No
6	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class.  (ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.	o Yes o No
7	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.	o Yes o No
8	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.	o Yes o No
	Lien	
9	(i) The company shall have a first and paramount lien— (a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and (b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company:  Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.  (ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.	o Yes o No

	7							
10	1		in such manner as	_			o Yes o No	
	which	the	company	has	a	lien:	ļ	
	Provided	that	no sale	shall	be	made—		
	(a) unless a	sum in resp	pect of which the	lien exists is p	resently p	ayable; or		
	(b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the							
			or the person enti	-			1	
	or insolvence		o pa		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ĺ	
11	<del></del>	<del></del>	such sale, the Box	ard may sytho	sico como	norcon to	o Yes o No	
17		the sha		-			0 162 0 140	
	1			•	urchaser	thereof		
	1 ' '	naser snall b	e registered as the	e notaer of the	snares co	-		
	any		such			transfer.		
	1		not be bound to se			•	ĺ	
	money, nor	shall his tit	tle to the shares	be affected by	/ any irre	gularity or		
	invalidity in t	the proceed	lings in reference t	o the sale.				
12			sale shall be receiv		pany and	applied in	o Yes o No	
	1		f the amount in re	•				
	presently	sucii part o	the billount mile	spect of wine		payable.		
		if	abalt aubiase ea :	a lika lian fan				
			shall, subject to					
	1 * *	•	the shares befor		paid to t	ne person		
	entitled to the	ne shares at	the date of the sa					
··			Calls on sho	ires	·			
13	(i) The Board	may, from t	time to time, make	calls upon the	members	in respect	o Yes o No	
	of any moni-	es unpaid o	n their shares (wl	hether on acco	ount of the	e nominal		
	value of the	shares or	by way of premit	im) and not b	y the con	ditions of		
	allotment	thereof	•	/able at	fixed	times:		
			nall exceed one-fo				•	
			less than one me					
		of						
	payment	•			ceding	call.		
	1		subject to receive	-				
	1 '		mes and place of					
	the time or	times and p	lace so specified,	the amount of	alied on h	is shares.		
	(iii) A call ma	y be revoke	d or postponed at	the discretion	of the Boa	ard.		
14	A call shall be	deemed to	have been made	at the time wh	en the res	olution of	o Yes o No	
	1		e call was passed a			1		
	instalments.	moneting th	e can was passed (	and may be fel	, u c u t u t	re para by		
15	<del></del>	dors of a shi	are shall be jointly	and coverally	liable to p	av all calle	o Yes o No	
13			are shall be jointly	and severally	nable to pa	ay all calls	O tes o No	
<b></b>	in respect the							
16	(i) If a sum	called in re	spect of a share	is not paid be	fore or or	n the day	o Yes o No	
	appointed fo	r payment t	hereof, the person	n from whom t	the sum is	due shall		
	1 ' '	• •	n the day appointe	and the second second				
			per cent per annu					
	the	Boa			-	etermine.		
	<b>;</b>			may				
	1 ' '	i shali be at	liberty to waive pa	yment of any	such intere	est wholly		
	or in part.			_				

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC.
17	(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable.  (ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
18	The Board—  (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.	o Yes o No
	Transfer of shares	
19	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee.  (ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.	o Yes o No
20	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register—  (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or (b) any transfer of shares on which the company has a lien.	o Yes o No
21	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless—  (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section  (1) of section 56;  (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.	o Yes o No
22	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine:  Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.	o Yes o No

Transmission of shares

		·
		<del></del>
23	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives	o Yes o No
1	where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the	
	company as having any title to his interest in the shares	}
1	(ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder	
Ì	from any liability in respect of any share which had been jointly held by him	
( 1	with other persons.	
24	(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or	o Yes o No
	insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may	0 103 0 110
	from time to time properly be required by the Board and subject as	
!	hereinafter provided. elect. either—	
	(a) to be registered himself as holder of the share; or	
! !	(b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member	
	could have made.	
!	(ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend	i
	registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had	
į	transferred the share before his death or insolvency.	1
25	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of	o Yes o No
	the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing	- 1
1	signed by him stating that he so elects.	
: :	(ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his	
	election by executing a transfer of the share.	
	(iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating	
	to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be	
!	applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or	
•	insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were	
	a transfer signed by that member.	
26	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency	o Yes o No
1	of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to	2 . 63 0 110
1	which he would be entitled if he were the registered holder of the share,	
1	except that he shall not, before being registered as a member in respect of	
	the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by	
	membership in relation to meetings of the company:	
	Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such	
	person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if	
	the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter	
	withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in	
	respect of the share, until the requirements of the notice have been complied	
	with.	
	<u> </u>	

27	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member; (ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable; (iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.  Forfeiture of shares	o Yes o No
28	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.	o Yes o No
29	The notice aforesaid shall—  (a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and (b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.	o Yes o No
30	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.	o Yes o No
31	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit. (ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.	o Yes o No
32	(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares.  (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.	o Yes o No
33	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and (iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any	o Yes o No

(~ equs )	(१)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
···		
	irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.	
34	The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
	Alteration of capital	
35	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.	o Yes o No
AK T	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,—  (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;  (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination;  (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum;  (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.	o Yes o No
÷7	Where shares are converted into stock,—  (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.  (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares have conferred that privilege or advantage.  (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.	o Yes o No
",g		o Yes o No
· <del>·</del>	Capitalisation of profits	

39	(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board.	o Yes o No
	(a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being	
	standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the	
	credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution;	:-
	and .	
	(b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner	·
]	specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled	
	thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.	
	(ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to	
	the provision contained in clause (iii), either in or towards—	
		·.
-	(A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by	
	such members respectively;	
	(B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and	
	distributed, credited as fully paid-up, to and amongs: such members in the	
1	proportions aforesaid;	: •
į	(C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in	:
İ	sub-clause (B);	
	(D) A securities premium account and a capital redemption reserve account	
	may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of	
Ì	1	::
İ	unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus	
Ì	shares;	:
	(E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in	
	pursuance of this regulation.	
40	(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board	o Yes o No
	shall—	
1	(a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved	:
1	to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if	
j		
1	any; and	:
	(b) generally do all acts and things required to give effect thereto.	
i •	(ii) The Board shall have power—	•
	(a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by	j
:	payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming	:
1	distributable in fractions; and	
<u> </u>	(b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled	:
	thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to	
]	them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which	;
ļ	they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for	
i	the payment by the company on their behalf, by the application thereto of	
	their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the	1
	amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares;	
) 	(iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding	
	on such members.	
	Buy-back of shares	

41	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.	o Yes o No
	General meetings	
42	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
43	<ul> <li>(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting.</li> <li>(ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.</li> </ul>	
	Proceedings at general meetings	<u> </u>
44	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.  (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
45	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
46	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
47	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
48	In case of a One Person Company—  (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118;  (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member,  (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.	o Yes o No

40	(NTL obsideration with the content of any marking at unbick a great	o Voc o No		
49	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from	o Yes o No		
	time to time and from place to place.			
	(ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the	ļ		
	business left unfinished at the meeting from which the adjournment took			
	place.			
	(iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the	1		
	adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.			
	(iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be			
	necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be	}		
	transacted at an adjourned meeting.			
	Voting rights			
50	Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class	o Yes o No		
	or classes of shares,—			
	(a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote;	}		
	and	1		
	(b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share			
	in the paid-up equity share capital of the company.			
51	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in	o Yes o No		
	accordance with section 108 and shall vote only once.			
52	(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote,	o Yes o No		
	whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes			
	of the other joint holders.	!		
	(ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the			
	names stand in the register of members.	 		
53	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made	o Yes o No		
	by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of			
	hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such			
	committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.			
54	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be	o Yes o No		
	proceeded with, pending the taking of the poll.			
55	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or			
	other sums presently payable by him in respect of shares in the company have			
	been paid			
56	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the	o Yes o No		
	meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or			
	tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all			
	purposes.			
	(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson			
	of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.	<u> </u>		
	Ргоху			

The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.	
A construment appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105	o Yes o No
A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
Board of Directors	<del> </del>
The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
(i) The remaineration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day.  (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them—  (a) in afterding and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) the other tion with the business of the company.	o Yes o No
The Thord may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.	o Yes o No
The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may thinks fit respecting the keaping of any such register.	o Yes o No
All chaques, promissory notes, drafts, hundis, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine	o Yes o No
Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.	o Yes o No

66	(i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles.  (ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act.	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
67	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
68	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.  (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
69	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
70	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office.  (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
71	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit.  (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
72	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
73	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.	o Yes o No

		<del></del>		
74	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.			
75	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.			
76	In case of a One Person Company— (i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.  Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial	o Yes o No		
Ì	Officer			
77	Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such renumeration and upon such conditions as it may thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board; (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer  A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by	o Yes o No		
	or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief	l		
	executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.			
···				
	The Seal			
79	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.	o Yes o No		
	Dividends and Reserve			
80	The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.	o Yes o No		

81	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.	o Yes o No
82	(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve	o Yes o No
83	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares.  (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share.  (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.	o Yes o No
84	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.	o Yes o No
<b>8</b> 5	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct.  (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.	o Yes o No
86	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.	o Yes o No
87	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.	o Yes o No
88	No dividend shall bear interest against the company.	o Yes o No

	<u> </u>		
89	(i) The Board shall from time to time determined at what times and places and under accounts and books of the company, or inspection of members  (ii) No member (not being a director) shall account or book or document of the company in the company	what conditions or regulations, the any of them, shall be open to the not being directors. all have any right of inspecting any	o Yes o No
	authorised by the Board or by the compar	ny in general meeting.	
	Winding		<u></u>
	<u></u>	<u>, '                                   </u>	
90	Subject to the provisions of Chapter thereunder—	o Yes o No	
	(i) If the company shall be wound up, the i	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	a special resolution of the company and a	any other sanction required by the	
	Act, divide amongst the members, in spec	ie or kind, the whole or any part of	
	the assets of the company, whether they s	hall consist of property of the same	
	kind or	not.	
	(ii) For the purpose aforesaid, the liquidat	or may set such value as he deems	
	fair upon any property to be divided as a	-	
	such division shall be carried out as between	·	j
	of	members.	
	(iii) The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories		
	if he considers necessary, but so that no member shall be compelled to accept		
	1		
	any shares or other securities whereon there is any liability.  Indemnity		
		<u> </u>	
91	Every officer of the company shall be in-	demnified out of the assets of the	o Yes o No
j	company against any liability incurred by	him in defending any proceedings,	j
	whether civil or criminal, in which judgme	nt is given in his favour or in which	l
	he is acquitted or in which relief is granted	to him by the court or the Tribunal.	Ì
	Note: The Articles shall be signed by each	-	
	association who shall add his address, de-		-
	the presence of at least one witness who		]
i	,	_ ,	ł
	likewise add his address, description and occupation, if any, and such signatures shall be in form specified below:		
Names, addresses, descriptions and occupations of Witnesses (along with names			s, addresses,
subscrib		descriptions and occupations)	-, <u></u>
	merchant	Signed before me	<del></del>
, 10C 01 1.	merendig	Signature	j
		Jigiratui C	

Dated the......day of ......20.....

Place: .....

TABL	E - J - ARTICLES OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPA	TON DNA YN
HAVII	NG SHARE CAPITAL	
Articl e No	Description	Applicability Y/N
1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.	o Yes o No
2	The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.	o Yes o No
3	All the articles of Table H in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company	o Yes o No
Table H CAPITA	I-ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NO L	T HAVING SHARI
	Interpretation	
ŀ	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013; (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall have the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
•	Members	
# 1	The number of members with which the company proposes to be o Yes o No registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.	
2	The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.	o Yes o No
	General meetings	-
3	All general meetings other than annual general meeting shall be called o Yes o No extraordinary general meeting.	
4	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

<ul> <li>(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.</li> <li>(ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.</li> <li>The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.</li> <li>If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.</li> </ul>	o Yes o No o Yes o No o Yes o No
(ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.  The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.  If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their	
shall be as provided in section 103.  The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.  If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their	
The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.  If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their	
general meeting of the company.  If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their	o Yes o No
If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their	o Yes o No
after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their	0 (63 0 (40
Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their	ľ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I
If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director	o Yes o No
is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the	"   "   "   "   "   "   "   "   "   "
•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· <del></del>	o Yes o No
	0.630110
1	
1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	
	1
transacted at an adjourned meeting.	
Voting rights	
Every member shall have one vote.	o Yes o No
A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made	o Yes o No
by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of	
hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such	
committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	
No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all sums	o Yes o No
presently payable by him to the company have been paid.	
(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at	o Yes o No
	<del>-</del>
tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for	
all purposes.	
(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the	
Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.	
	meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.  Adjournment of meeting  (i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place.  (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.  (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.  (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.  Voting rights  Every member shall have one vote.  A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.  No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all sums presently payable by him to the company have been paid.  (i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.  (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the

14	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given:  Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	a Yes o No
15	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
16	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
	Board of Directors	<u></u>
17	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
18	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day.  (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them—  (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company	o Yes o No
	Proceedings of the Board	<del></del>
19	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yès o No
20	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote	o Yes o No
21	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No

Charleson of

avar sian i valantta teasi ana

the day of the second s

(40s.)	(()) प्रस्त का संबंध : अस्तावरण	
	(i) The Board may elect a Chaupperson of its meetings and determine the partiol for which he is to hold office.  (iii) If no such chairperson is elected, or if it any meeting the Chairperson is more present within live minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of meir members to be consignation of the meeting.	o Yes o No
wiji Ti	powers to committees consisting of such member or members of its body as the Apr. delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as thinks fit.  (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be incrosed on it by the Board.	o Yes o No
	ii) A committee may elect a charpnoon of its meetings. It's for such Chairperson is elected, or it are my meeting the chairperson is cut prosent within five national election, the time appointed for holding the neeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
	(a) The committees may coset and adjusted as it thinks proper. (b) Questions aristing of sugmeeting of any tage to say the ability of a determined by a majority of voice of the members propert, and in case of an equality of voices, the chairman shall be we a second or costing voice.	o Yes o No
8	All acts done by any meeting or the Beshirst of a committee thereof or by any person esting as a director, shall, an withstanding that it may be afterwards discovered that there was to no defect a the appointment of any one or a six of such diseases on if any other in any as aforesaid, or distributed as any citizens were dismanded as if every such intectors a term appointment of the any other and considered to be a director.	o Yes o <b>No</b>
	Save in nownessing evancing provided to the fact that a resolution in writing, signed by the invalue of the Board or the being endated to receive and the committee stall be as read and or the board cean passed at a meeting of the board or committee of the board or committee of the board or committee of the board or committee of the board or committee of the committee of the board or committee of the committee o	o Yes o No
 /¥	Subject to the production of the Act, -	o Yes o No
	(i) A chief executive officer, manager, conspinity secretary or chief financial confidence with appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it turned to, and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer suppointed may be removed on means of meaningfine of the Soard.  (ii) A discourt may be appointed as officer recovery officer, manager, company resolutive of financial officer.	

29	A provision of the Act or these regulation to be done by or to a director and ci company secretary or chief financial office done by or to the same person acting both chief executive officer, manager, companificer.	nief executive officer, manager, r shall not be satisfied by its being as director and as, or in place of,
	The Seal	
30	(ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence. Note: The Articles shall be signed by each subscriber of the memorandum of association who shall add his address, description and occupation, if any, in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise add his address, description and occupation, if any, and such signatures shall be in form specified below:	
Names, addresses, descriptions and occupations of subscribers		Witnesses (along with names, addresses, descriptions and occupations)
ABC of merchant		Signed before me Signature

Dated theda	y of	20
-------------	------	----

Place: .....

[F. No. 01/13/2013-CL-V (Part-I)] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Sees.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014.